खण्ड-10 सत्र-12 / अंक-86 बुधवार 12 दिसम्बर, 2012 / मार्गशीर्ष 21, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा
दसवाँ सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-10 में अंक-73 से 80 तक सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय सूची

सत्र-10 बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/ज्येष्ठ 16, 1934 (शक) अंक-80

क्र.सं.	*विषय*	*पृष्ठ संख्या*
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	शोक संवेदना प्रस्ताव (पं. रविशंकर, प्रसिद्ध सितारवादक)	3
3.	चर्चा (दल्लूपुरा में दीवार गिरने से पाँच बच्चों की मृत्यु के संबंध में)	14
4.	नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	29
5.	समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति 1. कार्य मंत्रणा समिति का बाहरवां प्रतिवेदन 2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन	29
6.	समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण (सरकारी आश्वासन समिति का तीसरा प्रतिवेदन)	38
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात	39
8.	विधेयक का पुरः स्थापन	41
9.	अल्पकालिक चर्चा 1. दिल्ली सरकार की सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों में सरकार की संवेदनशीलता एवं उसके कार्यान्वयन पर चर्चा 2. तीनों नगर निगमों पर व्यापक भ्रष्टाचार व लापरवाही के कारण डेंगू से हुई मौतों व अभी तक हुई मामलों में रोकथाम न होने पर।	43
9.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	89

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-12	दिल्ली विधान सभा के बारहवें सत्र का दूसरा दिन	अंक-86

दिल्ली विधान सभा

सदन अपरान्ह 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री धर्मदेव सोलंकी
13. श्री हरिशंकर गुप्ता
14. डॉ. हर्ष वर्धन
15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
16. श्री हसन अहमद
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जयभगवान अग्रवाल
19. श्री जय किशन
20. श्री जसवंत सिंह
21. श्री करण सिंह तंवर
22. श्री कुलवंत राणा

23. श्री मालाराम गंगवाल
24. श्री मंगत कुमार
25. श्री मनोज कुमार
26. चौ. मतीन अहमद
27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री मुकेश शर्मा
29. श्री नंद किशोर
30. श्री नरेन्द्र नाथ
31. श्री नरेश गौड़
32. श्री नसीब सिंह
33. श्री नीरज बैसोया
34. श्री ओ.पी. बब्बर
35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. चौ. प्रेम सिंह
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राजेश लिलोठिया
40. श्री राम सिंह नेताजी
41. श्री रमेश बिधूड़ी
42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
44. श्री साहब सिंह चौहान
45. श्री सतप्रकाश राणा
46. श्री शोएब इकबाल
47. श्री श्रीकृष्णा
48. श्री श्याम लाल गर्ग
49. श्री सुभाष चौपड़ा
50. श्री सुभाष सचदेवा
51. श्री सुमेश
52. श्री सुनील कुमार
53. श्री सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-12   बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/मार्गशीर्ष 21, 1934 (शक)   अंक-86

सदन अपराह्न 2.04 बजे समवेत हुआ
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए।

शोक संवेदना प्रस्ताव

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पांच बच्चे मर गये है। दिल्ली के दल्लूपुरा में पांच बच्चे मरे हैं एमसीडी पर बिल्डर माफिया हावी है

.....अंतरबाधा.....

श्री कंवर करण सिंह: अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है। इस पर चर्चा कराई जाये।

.....अंतरबाधा.....

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, पांच बच्चे मरे हैं। एमसीडी में बिल्डर माफिया हावी है। अध्यक्ष जी, रुल 290 में मेरी मांग है सदन का सारा बिजनेस सस्पैंड करके इस पर चर्चा कराई जाये। मेरा आपसे अनुरोध है रुल 290 में पहले इस पर चर्चा कराई जाये बाद में हाउस के अंदर कोई और बिजनेस लिया जाये। मेरा आपसे अनुरोध है एमसीडी बिल्डर माफिया से मिली हुई है।

.....अंतरबाधा.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः किस एमएलए के इलाके में हुआ है

.....अंतरबाधा.....

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, 5 बच्चे मरे हैं। एमसीडी पर बिल्डर माफिया हावी है। अध्यक्ष जी, रुल 290 में मेरी मांग है कि सदन का सारा बिजनेश सस्पेंड करके इस पर चर्चा कराई जाये। सदन में अंडर रुल 290 पर पहले इस पर चर्चा कराई जाये, बाद में दूसरा बिजनेश लिया जाये। एमसीडी बिल्डर माफिया से मिली हुई है और इसके साथ-साथ अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि 5 बच्चे दिल्ली में मरे हैं इसलिए रुल 290 के अंडर हाऊस का सारा बिजनेश सस्पेंड करके इस पर चर्चा कराई जाये। अध्यक्ष जी, अंडर रुल 290 में हाऊस का सारा बिजनेश सस्पेंड करके पहले 5 बच्चों की हुई मौतों के लिए जिम्मेदार नगर निगम के मामले में सदन में चर्चा कराई जाये। आज इससे महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है। आज एमसीडी बिल्डर माफिया से मिली हुई है। एमसीडी क्रप्ट बॉडी है। एमसीडी की नगलीजेंसी की वजह से 5 बच्चे अब मरे हैं, दो दिन पहले गीता कालोनी में 4 लोग मरे। उससे पहले गीता कालोनी में लोग मरे। करोड़ों रुपये एमसीडी के अफसर बिल्डरों से और फार्म हाऊसों से इकट्ठा करते हैं।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये, अनिल जी, आप बैठिये, झा साहब, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। देखिये, आपकी और से प्रश्न उठाया गया है, उस पर मैंने अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है। इसलिए, बीच में मत बोलिये। प्रश्नकाल हो जाये उसके बाद आप यह मामला उठा सकते हैं।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। मुकेश जी, बैठिये। बंसल साहब, बैठिये।

देखिये, इससे पहले की कोई कार्रवाई चले, मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे देश के विश्वप्रसिद्ध सरोज वादक रवि शंकर जी की मृत्यु हो गयी है। मेहरबानी करके उनको श्रद्धांजलि दे लें। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः पं. रविशंकर सितार के बहुत बड़े कम्पोजर, मास्टर और इंडिया के बहुत ही beloved और one of the best known musicians expired early morning Indian time at San Diago Hospital, U.S.A. वे 92 साल के थे। उनको न केवल हिंदुस्तान में highest civilian award भारत रतन से ले करके अनेकों और कितने अवार्ड मिले लेकिन विक्ष्व में भी उन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक कला खासकर म्यूजिक का नाम प्रसिद्ध किया और अनेकों सैकड़ों अवार्ड उन्हें मिले। हिंदुस्तान की क्लासिकल परम्परा को यदि किसी ने बेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न वर्ड को यदि किसी ने पहचान हिंदुस्तान को ले करके दी वो माननीय स्व. पं. रविशंकर थे। वेस्ट में वे उतने ही प्रसिद्ध थे जितने वे आज हिंदुस्तान में हैं। उनके देहांत से एक पूरा युग जो कला का म्यूजिक से परिचित है वो खत्म हो गया है। मैं बड़े अफसोस के साथ यह सूचना माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ शेयर कर रही हूं और मुझे विक्ष्वास है कि हमारा सारा सदन उनको रिसपेक्टलफुल अपनी homage दे कर पे करेगा और उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी सुपुत्री जो हैं जो स्वयं एक सितार की बहुत बड़ी वादक बनी हुई हैं, उसको भगवान का आर्शीवाद मिले और वे अपने पिता के कदमों पर चल सके, यही हमारी कामना है।

अध्यक्ष महोदयः प्रो. मल्होत्रा साहब।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, आपने जो एक शोक प्रस्ताव रखा है और मुख्य मंत्री जी ने उनके संबंध में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, हम उनके साथ अपने शब्द मिलाना चाहते हैं। पं. रविशंकर एक महान संगीतज्ञ थे, श्रेष्ठतम संगीतकार थे। उन्होंने उनेक नये रागों का विकास किया था और न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में उनकी बहुत बड़ी प्रसिद्धी थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक विशेष जो संगीत जो उसका पक्ष है उसको सारे विश्व में प्रसारित किया। उनको 1967 में पदम विभूषण मिला था। 1999 में उनको भारत रतन भी मिला। भारत रतन से सम्मानित, स्वाभाविक तौर पर भारत रतन को भी उन्होंने गौरान्वित किया था। ऐसे व्यक्तियों को भारत रतन मिलता है और उनके जाने से जैसा शीला दीक्षित जी ने कहा है कि एक युग का अंत हुआ है परन्तु उनका जो संगीत का सारा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम के संगीत को और भारतीय संगीत का समिश्रण किया वो भी अपने में अदभुत था। ऐसी विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन से भारत की तो क्षति हुई है परन्तु सारे विश्व के और संगीत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके संगीत का जो पूरा का पूरा एक विकास है उसमें उनकी पुत्री और उनके जितने शिष्य हैं उसको आगे बढ़ाते रहें, हम यही कामना करते हैं।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, ट्रामा सेंटर में..........व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। अभी दिल्ली दूर है, वो भी आ जायेगा।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, यहां पर कहने के बाद भी श्रद्धांजलि नहीं रखी गई। रविशंकर जी को श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है। ट्रामा सेंटर में सरकार की लापरवाही के कारण-........व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः अब सभी सदस्य 2 मिनट मौन के लिये खड़े होंगे।

(सभी सदन के सदस्य दो मिनट मौन के लिए खड़े हुए)

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा अंडर रुल 290 में प्रस्ताव है कि सदन का सारा बिजनेश सस्पेंड करके इस पर चर्चा कराई जाये।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये।

विविध

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बल्ली साहब। देखिए, नियम आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के लोग इस पर बोलना चाहते हैं। बल्ली साहब ने डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा मांग है तो क्यों न इस पर शांतिपूर्वक चर्चा हो जाए? मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा प्रारम्भ की जाए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप चर्चा प्रारम्भ करें, मैंने आपको एक नोटिस दिया था कि कवेश्चन आवर सस्पैंड किया जाये और श्रीमती शीला दीक्षित को जो लोकायुक्त ने सिफारिश की थी उस सिफारिश को.........व्यवधान, यह मुझे मालूम है उसी की साजिश आप कर रहे हैं। पहले मैंने लिखकर भेजा था उससे पहले आपने इनका ले लिया...... व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः इसके बाद ले लेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, श्रीमती शीला दीक्षित को..........व्यवधान,

क्या बात है, इसके बाद कैसे ले लेंगे। यानि लोकायुक्त की सिफारिश को तोड़ करके, यह कोई तरीका नहीं है, लोकायुक्त का रद्दी की टोकरी में डाल दिया, हाईकोर्ट का डाल दिया, राष्ट्रपति को किया, इतना बड़ा फ्रॉड जो दिल्ली में हुआ है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी और यह चर्चा की जाएगी।..............व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः देखिए, इसमें कोई शक नहीं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने भी क्वेश्चन आवर स्थगित करने का नोटिस दे रखा है लेकिन क्योंकि ये जो मुकेश जी ने मामला उठाया है यह अरजैंसी का मामला है और कई दिन पहले आपका आया है तो उसको दोबारा से ले सकते हैं। इसलिए मैं उसको अलाउ कर रहा हूं।..............व्यवधान

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर दिया है..........

.....अंतरबाधाएँ.....

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, आपके लिए तो सभी बराबर हैं, आप सीएम को क्यों सेव करना चाह रहे हैं, क्यों बचाना चाह रहे हैं.............

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः यही प्लानिंग की गई है............

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मुखी साहब, इसके बाद उसको ले लीजिए मैं बचाना नहीं चाहता हूं.............व्यवधान

.....अंतरबाधाएँ.....

(विपक्षी सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदयः सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2.46 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

श्री सत प्रकाश राणा: अध्यक्ष जी मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। मैंने कल 280 में एक विषय उठाया था कि मेरे क्षेत्र में पानी की परेशानी है और इस संबंध में मैं ये 18 हजार पत्र अपने साथ लेकर लाया हूँ। ये मेरे साथ रखे हैं। मैं सदन को दिखना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की परेशानी है और मैं ये 18 हजार पत्र सदन को दिखाने के लिए लाया हूं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की पानी की परेशानी को दूर करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: राणा साहब, यह क्या है।

श्री सत प्रकाश राणा: अध्यक्ष जी मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं। ये 18 हजार पत्र हैं।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: इनमें से कुछ मुझे लाकर दिखाना। राणा साहब, मैं इनको मंगा लूंगा, मैं इनको देखूंगा। देखिए मैंने................।

श्री सत प्रकाश राणा: अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है। उसको लेकर मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुकेश जी बोलिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा था। यह मामता बाद में आया था।

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मैंने आपको राइटिंग में दिया है।

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, पहले राजकुमार चौहान का, फिर लोकायुक्त का इश्यू था।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री रविन्द्र नाथ बंसलः आप पहले चर्चा कराओ।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप सब बैठ जायें तो मैं जरा बोलूं। आप एक मिनट बैठ जाइए। माननीय मल्होत्रा साहब और प्रतिपक्ष के चीफ ह्विप साहब मेरे पास आये थे। मैं उनके और आपके संज्ञान में एक नियम को उद्धत कर रहा हूँ जिससे 293 में किसी संकल्प या प्रश्न या किसी अन्य विषय की स्वकृति या अस्वीकृति देने के बारे में जो अध्यक्ष का निर्णय हो। उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। ऐसी अवस्था में जिसका अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आपने यदि यह ठान लिया है कि मैंने कुछ नहीं सुनना है तो बात अलग है।

श्री साहब सिंह चौहानः आप नियमों को मानिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः मैं बिल्कुल नियमानुसार चल रहा हूं मैंने आपको कोट कर दिया है और यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो बोलते रहिये...........अंतरबाधा। मुकेश शर्मा जी बोलिए।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम...............अंतरबाधा।

कंवर करण सिंहः अध्यक्ष जी, इन लोगों की नीयत हाऊस को चलाने की नहीं है, जो पांच बच्चे मर गये हैं, इनको शर्म आनी चाहिए..............

अध्यक्ष महोदयः बंसल साहब ये........... ये राणा साहब तो मेरे रिश्तेदार हैं, यही खिलाफ कर दिये आपने..............अंतरबाधा। एक तो करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइये. ....रातावाल साहब बैठ जाइये।

श्री एस.पी. रातावालः अध्यक्ष महोदय आप हमारी बात भी तो सुनिये.............. अंतरबाधा।

कंवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदय इनका कोई इन्टरेस्ट नहीं है कि हाऊस चले, ये न तो अनआथोराइज्ड पर रिप्लाई सुनना चाहते हैं और जो हादसा हुआ है न ही उसके बारे में सुनना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय.............अंतरबाधा।

श्री रविंद्र बंसलः अध्यक्ष महोदय, हास्पीटल भी दिल्ली सरकार का है............ अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः बंसल साहब इसलिए तो चर्चा लगाई है जब आप कह रहे हैं कि हास्पीटल भी उनका है और मरने वाले भी...............अंतरबाधा।

श्री रविन्द्र नाथ बंसलः एमसीडी की चर्चा लगी हुई है.............अंतरबाधा।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय जी कारर्पोरेशन पर चर्चा लगी हुई है..... ....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः अभी कल की घटना है, एक परसों हुई थी लोग मरे हैं तो उस पर विचार करना बुरी बात नहीं है.................अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, विचार तो होगा, वो एमसीडी में करेंगे, वहां हाऊस है। सीएम के खिलाफ लेने के लिए तैयार नहीं हैं आप। उसको बाईपास कर रहे हैं. ....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः नहीं बाईपास मैं नहीं कर रहा हूं, नियमानुसार कर रहा हूं, आप लोग बैठ जाएं नहीं तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी...........अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, वो लोग डिस्कशन करेंगे वहां पर। एमसीडी में डिस्कशन होगा...............अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये हाऊस की कार्यवाही चलने दीजिए, नहीं तो मैं कार्यवाही करुंगा.............अंतरबाधा। देखिये मैं नेम करुंगा फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा......... अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: सर, वहां पर इलेक्टिड हाऊस है वो वहां पर डिस्कस करेंगे। आप सीएम को बचाने की बात कर रहे हैं.............अंतरबाधा।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय: देखिये आप लोग बैठ जाइये और हाऊस की कार्यवाही चलने दीजिए..............अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, इलेक्टीड हाऊस है, वो वहां इसे डिस्कस भी करेंगे, डिसाइड भी करेंगे किंतु यहां सीएम के खिलाफ एलीगेशन है, उनके खिलाफ रिपोर्ट है, तीन चर्चा लगी है, लोकायुक्त ने कहा है..............अंतरबाधा।

श्री एस.पी. रातावाल: एमसीडी पर चर्चा लगी है..............अंतरबाधा।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय: जो खड़े हैं उनको बाहर ले जाइये, जो नारे लगा रहे हैं, उनको बाहर ले जाइये, आप क्यों खड़े हैं आप अपना काम करिये...........अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या काम करे जी, यानि के जो कोई यहां सवाल उठाए उसको बाहर ले जाए। ये काम करें यहां पर, क्या काम करना है। यह कोई तरीका है? सीएम की बात करो तो उसको सदन से बाहर निकाले दो। कोई आज तक एक आदमी नहीं निकाला किसी ने...........अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: आप चलने ही नहीं देना चाहते तो हम क्या करें?............ अंतरबाधा। इनको ले जाइये.............अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः सर, चलाइये न हाऊस, आप पहले से ही गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के दबाव में आकर के..........अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः चलिए इनको लेकर बाहर जाइये..................अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, हमारी निवेदन सुन लीजिएगा। आपकी गलती है जिस तरह से आप हमें कर रहे हैं।.........अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है निवेदन सुन लिया है। इनको ले जाइये.............अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा है। आप निकाल दीजिए...........अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः अग्रवाल जी कृपया बाहर जाइये............अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः सबको बाहर किया है एक दिन के लिए, क्या निर्णय है आपका?

अध्यक्ष महोदयः कल दोपहर आ जाइएगा............एक दिन के लिए चलिए। बोलिए मुकेश जी।

चर्चा

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरु करने से पहले एक तो मेरा आपसे निवेदन है, इस कार्यवाही से निकाल दिया जो आपकी इजाजत के बगैर बोले हैं, अच्छा होता कि हमारे विपक्ष के सदस्य भी यहां होते। भारतीय जनता पार्टी का शासन है और एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण और बिल्डर माफिया के कारण पांच मासूम की मौत पर यह सदन

चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वो पांचों बच्चे गरीब मजदूरों के बच्चे हैं इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी पार्टी की और से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मामले को स्वीकार किया। कल मैंने इस पर एक कॉलिंग अटेंशन भी आपको दिया था। दो दिन पहले गीता कालोनी में एक भवन गिरा, उसमें भी चार लोग मर गये। इससे पहले भी गीता कालोनी में एक मकान गिरा था, उसमें पांच मरे थे आज तक उस पहले वाले हादसे में किसी इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही तक नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा बिल्डर माफिया दिल्ली में काम कर रहा है। आज जो दल्लुपुरा में हादसा हुआ है। उसकी घटना की जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने पता किया।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा बिल्डर माफिया दिल्ली में काम कर रहा है। आज जो हादसा हुआ है दल्लूपुरा में उस घटना की जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने पता करा वहां पर एक बड़े प्लॉट के अंदर खुदाई हो रही थी और एक बड़ी इमारत बनाने की बिल्डर माफिया की तैयारी थी। उसकी बड़ी दीवार गिरी और उसमें पांच बच्चे जिसमें एक बच्चे का नाम अमित है जिसकी पांच साल उम्र है, एक बच्ची कंचन जिसकी छह साल उम्र है, एक बच्चा अंकित जिसकी चार साल उम्र है, एक बच्चा आदित्य जिसकी दो साल उम्र है एक बेबी तीन साल। अध्यक्ष जी, ये छोटे-छोटे पांच मासूम बच्चे इस हादसे के शिकार हो गये और इससे ज़्यादा बड़ी घटना दिल्ली में राजधानी में नहीं हो सकती। विपक्ष का इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इस विषय पर वो बहस के लिए तैयार नहीं है, हमने पहले कहा था जिस विषय पर बहस चाहते हो हम तैयार हैं बहस के लिए। पानी हो, बिजली हो, जनहित के हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं लेकिन पांच बच्चे मर जाये, उसी ईस्ट दिल्ली के अंदर तीन दिन पहले चार लोग बिल्डिंग गिरने से मर जाये और उस पर सदन में चर्चा न हो, नियम सस्पेंड न हो यह कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज कोई गरीब आदमी दिल्ली के अंदर यदि अपने

मकान की मरम्मत करता है तो आज एक लाख रुपये रिश्वत उस गरीब आदमी को देनी पड़ती है। तीनों नगर निगम में मैं ज़िम्मेदारी से रिकार्ड पर बोल रहा हूं, मैं चाहता था ये बैठे, इनके सामने कहूं, तीनों दिल्ली नगर निगम के अंदर शाम को तीस करोड़ रुपये रिश्वत बिल्डर माफियाओं से दिल्ली में इकट्ठा बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। कोई चैक नहीं है, गरीब आदमी मर जाये, इस पर्टिक्युलर हादसे की स्थिति यह है अध्यक्ष जी, कि इसमें सब-स्टेंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा था, इससे पहले जो बिल्डिंग गिरी उसमें सब-स्टेंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा था और यह किसी गरीब आदमी की बिल्डिंग नहीं है इसमें बिल्डर माफिया का हाथ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे Local Body Minister बहुत सजग है और काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन अध्यक्ष जी नगर निगम का ढाँचा इतना करप्ट ढाँचा है कि नीचे से जे.ई. से लेकर top to bottom अध्यक्ष जी पूरा एक-एक ईट एमसीडी की करप्शन में घसी हुई है और उसी करप्शन, लापरवाही के शिकार ये पांच बच्चे और वो चार व्यक्ति हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार से यह मांग करना चाहता हूं और खास तौर पर अपने Local Body Minister से मांग करना चाहता हूं कि इस पर्टिक्युलर घटना की और चार दिन पहले जो गीता कालोनी में हादसा हुआ है उसकी इन दोनों मामलों की एसडीएम से जांच कराई जाये, मजिस्ट्रेट जांच कराई जाये जो दोषी बिल्डर है उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और यह nexus जो एक सुनियोजित nexus दिल्ली के अंदर है निगम पार्षदों, बीजेपी लीडरों और बिल्डरों का जो गठजोड़ है इसकी बाकायदा सीबीआई से जांच होनी चाहिये क्योंकि एक ऐसा गठजोड़ है जिसने दिल्ली के अंदर आज गदर मचाया हुआ है। आज दिल्ली के अंदर स्थिति यह है आप सफाई के लिए टेलीफोन करे तो इंजीनियर को एड्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बगल में कोई गरीब आदमी मकान की मरम्मत कर रहा है तो एक लाख रुपया रिश्वत लेने इंजीनियर 10 मिनट में पहुंच जाता है। इसलिए अध्यक्ष जी

यह आवश्यक है इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ये पांच बच्चे मरे हैं, इन पांचों बच्चों को सरकार की और से मुआवजा मुहैया कराया जाये। दिल्ली सरकार इनको मुआवजा दे, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि इन पांच गरीब बच्चों को सरकार मुआवजा भी इस सदन के अंदर announce होना चाहिये क्योंकि बहुत गरीबतम बच्चे वो हैं। अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बिल्डर माफिया न केवल यहां पर है बल्कि अध्यक्ष जी, बवाना विधान सभा क्षेत्र के सैक्टर 21 रोहिणी में भी दस दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी है, मेरे पास स्लिप किसी साथी ने भेजी है। यह ऐसे और कई हादसे हैं जहां बिल्डिगें गिरती हैं लेकिन सौभाग्य से भगवान की कुछ कृपा है लोग हादसे के शिकार नहीं होते खाली ये वो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें बच्चों की जानें जा रही हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं। आखिर इसके लिए कोई ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिये और जो इस हादसे से पहले गीता कालोनी में हादसा हुआ था उसकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है, उसमें कितने ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जानकारी लेने का सदन को अधिकार है क्योंकि एमसीडी आज हमारी जूरिस्डिक्शन है इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अपने Local Body Minister साहब को कि वो इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई कराये और मुझे जानकारी यह मिली है कि दल्लूपुरा के मामले में अभी तक भी एमसीडी ने पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। कौन ज़िम्मेदार इसके लिए है इस पर हमारे एसडीएम को या हमारे डिप्टी कमिश्नर को तुरंत एफआईआर लौंज करानी चाहिये। दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाये, इन बच्चों को मुआवजा दिया और इन सारी घटनाओं की एसडीएम जांच कराई जाये, यह मेरी सदन में मांग है। आपने मुझे समय दिया और इस विषय पर बहस का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अमरीश गौतम जी।

उपाध्यक्ष महोदयः अध्यक्ष जी, मजबूरी में मुझे अपनी बात रखनी पड़ रही है पिछले चार साल से सदन में डिप्टी स्पीकर के नाते मैं अपनी कोई बात नहीं रख पाया। लेकिन यह हादसा मेरी विधान सभा क्षेत्र का है इसलिए मैं आपसे इज़ाज़त चाहते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। आपका मैं पहले धन्यवाद करता हूं, आपने इस मसले को उठाने की अनुमति दी और भाई मुकेश शर्मा जी ने इस मसले को ज़ोरदार ढंग से उठाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। यह दल्लूपुरा गांव मेरी विधान सभा क्षेत्र में आता है और यहां पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में, सुबह जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं वहां मौके पर गया, पैप्सी कोला कम्पनी वालों की तरफ से गोडाउन बनाने के लिये दीवार की जा रही थी। यह कम से कम 20-25 फुट ऊंची दीवार बन रही थी और इस दीवार पर न कोई बीम दिया हुआ था न साइड में कुछ दिया हुआ था, लम्बी दीवार इसी तरह से रातोंरात खड़ी की जा रही थी। वहां पर जो दूसरी तरफ बिल्डिंग का उस एरिया का भराव किया जा रहा था और दूसरी तरफ जो मकान थे किरायेदार रहते थे उधर उनके आंगन की तरफ यह दीवार गिरी वहां पर खेलने वाले छह बच्चे उस दीवार के नीचे आ गये जिनमें पांच की तत्काल मौत हो गई और एक पांच साल की बच्ची जख्मी हुई। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में जख्मी बच्ची को भर्ती किया हुआ है। पांचों बच्चों की डेड बोडी पोस्टमार्टम के लिये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटाल में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह सीधा-सीधा मामला एमसीडी का बनता है। किस सन्दर्भ में यह बिल्डिंगें इतनी बड़ी-बड़ी बनती हैं, क्या अमीरों के लिये कोई नियम-कायदे नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिये। निष्पक्ष इसकी जांच कराई जाये मजिस्ट्रेट से और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये और जिस परिवार के बच्चे मरे हैं उनको उचित मुआपजा दिया जाये सरकार की तरफ से मैं यह मांग करता हूं। मुकेश शर्मा जी ने बोल दिये हैं, मेरे पास भी वो नाम है क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल जाकर उन बच्चों के नाम लेकर आया था लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मुकेश शर्मा जी ने वो पांचों नाम जो मरे हैं उनके भी और एक बच्ची सरस्वती नाम की

जो पांच साल की है वो घायल है वो अस्पताल में भर्ती है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये और नियम, कायदे, कानून गरीबों के लिये भी उतने ही है और अमीरों के लिये भी उतने ही है, उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाये। एमसीडी के एरिये में ललिता पार्क में पहले भी कई ऐसे हादसे हुए कई लोग वहां पर मरे थे। अभी कल-परसों भी गीता कालोनी में एक हादसा हुआ, इन सब की जांच कराई जाये और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो बच्चे मरे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने टाइम दिया।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, एक दो लोगों को मैं बुलवा रहा हूं। अभी मंत्री जी को इसका उत्तर देना था लेकिन जो भी बोले कृपा करके दो मिनट से ज़्यादा न लें। श्री सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, यह अभी जो मुद्दा भाई मुकेश जी ने और अमरीश जी ने उठाया है मैं इस बात का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, यह आये दिन दिल्ली के अंदर कोई न कोई बिल्डिंग का हादसा होता रहता है, गिरती रहती है। अभी दस दिन पहले मेरे बवाना क्षेत्र में रोहिणी सैक्टर 21 में चार मंजिल की बिल्डिंग रात के समय गिर गई और मैं वहां गया जो आस-पास में मकान थे उन मकानों में भी पूरी की पूरी दरारें आ गई उस बिल्डिंग के गिरने से। अध्यक्ष जी, मैंने जब पता किया तो वहां यह बताया कि बिल्डर हैं जो बिल्डर कारपोरेशन से और दूसरे अधिकारियों से मिलकर बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग बना करके फ्लोर वाइज उसको बेचते हैं। अध्यक्ष जी, पता नहीं कैसे तो यह नक्शा पास कराते हैं, उनमें नक्शे भी पास नहीं है और एक जगह नहीं मेरे यहां इंक्वायरी कराओं ग्राम सभा की जो 20 सूत्री कालोनी है, मैंने एलजी तक लैंटर लिखे हैं और मैंने यह उनकी

शिकायत की है कि इनका नक्शा पास नहीं है। 5-5, 6-6 मंजिल के फ्लैट बना कर बेचते हैं। अध्यक्ष जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिये। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टास्क फोर्स बनाई थी। हमने पिछले दिनों में इसके बारे में मुद्दा उठाया था। आपके सामने बात रखी थी। इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उसको तो कोई रोकता नहीं। अगर गरीब आदमी अपने मकान की नींव भी भरता है, अपने पुराने मकान को रिपेयर भी करता है तो अध्यक्ष जी, 3 जगह पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस आती है, थाने के अलग पैसे जाते हैं। पीसीआर के अलग जाते हैं और कारपोरेशन के अलग जाते हैं। हमारे कौंसलर ने यह मुद्दा उठाया और रिकवेस्ट की तो वहां डीसी मौजूद थे, बिल्डिंग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने खड़े हो कर यह जवाब दिया कि यह हमारा काम नहीं है, रेवेन्यू का काम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस काम को रोकेगा। अध्यक्ष जी, बिल्डरों को एक गिरोह है और वे बिल्डर मिल कर जमीन देखते हैं कि कहां पर फ्लैट बनाने हैं और अधिकारियों से मिल कर वे फ्लैट बनाते हैं। मैंने इस बारे में एलजी साहब को और काफी अधिकारी को लैटर लिखे हैं। मेरी आपसे यह रिकवेस्ट है कि इनकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बगैर नक्शे के ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहता हूं कि ये मकान क्यों गिरते हैं, उनमें न सीमेंट नाम की चीज लगती है, न मैटीरियल लगता है। सिर्फ उनकी एक मंशा होती है कि करोड़ों रुपये के फ्लैट बेच कर अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इसमें तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री नंदकिशोर जी।

श्री नंद किशोरः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी

और मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में हर दो तीन महीने में एक बड़ा हादसा होता है और उसमें कई लोगों की जान जाती है। उसमें आश्वासन दिया जाता है कि इंकवायरी होगी। 2-4 दिन खबरों में छपने के बाद वो फाइलें वहीं जाम हो जाती हैं। एमसीडी के जो आज अधिकारी जो दिल्ली में जेई, एई हो, चाहे एक्सीयन हो, चाहे चीफ हो, यह है कि सिवाय माल इकट्ठा करने के सिवाय दूसरा काम इन लोगों का नहीं है। चाहे आप अनौथराईज्ड कालोनी में चले जाओ, चाहे पॉश इलाके में चले जाओ। जहां पर इनको पैसा इनके निगम पार्षदों के पास इनके पास चला जाता है। भारी बिल्डिंग बनवाते हैं और कोई भी बिल्डिंग बॉयलाज का कोई नक्शा पास कराने की जरुरत नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इन हादसों से हमें कुछ सीखना चाहिये क्योंकि पिछली बार गीता कालोनी में हादसा, 5 बच्चों की मौत हो गई। उत्तर नगर में हादसे, ललिता पार्क में हादसे हुए। ये कब तक हादसे चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के साथी जो यहां सदन में नहीं हैं, कोई अगर ट्रामा सैंटर में मर जाता है तो चर्चा के लिए तैयार हैं। परन्तु जो आज एमसीडी में 7-8 साल से दिल्ली में इनका राज है और निगम के तीन-तीन विभाजन के बाद भी अध्यक्ष जी, वहां पर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। सिवाय भ्रष्टाचार और लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो बच्चे इस हादसे में मरे हैं, उनको मुआवजा देना चाहिये और आगे कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे ये हादसे न हो सकें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री आशिफ मोहम्मद खान।

श्री आशिफ मोहम्मद खानः अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुद्दा कितना भी गंभीर हो इस हाऊस के अंदर फौरन राजनीति होनी शुरु हो

जाती है। चाहे ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पीटल में जो 5 लोग मरे, उनकी जान गई, उस पर भी बीजेपी के लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की और आज वो मासूम बच्चे उस दीवार के नीचे दबे उस पर भी राजनीतिक करनी शुरु कर दी। हम मूल जड़ पर नहीं जाना चाहते। हम असलियत पर नहीं जाना चाहते बल्कि फुटबाल जैसा मैच खेल रहे हैं कि अपने पाले में अगर गेंद आती है तो दूसरे के पाले में करने की कोशिश करते हैं। ये 1639 अनोथराईज्ड कालोनीज की जो दिल्ली में देन हुई है वो किस की है। क्या एमसीडी की है। यह दिल्ली पुलिस या डीडीए की देन है। हम डीडीए की और दिल्ली पुलिस की कोई बात यहां नहीं करना चाहते। अगर मैं सही बोल रहा हूं, मुकेश शर्मा जी ने इससे पिछले वाले सदन में कहा था कि थाने के अंदर तीन एसएचओ होते हैं। एक मेन होता है, एक इनवेस्टीगेशन होता है और एक अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन का होता है जो मेन होता है। आज मुकेश शर्मा जी वो अपने अलफाज भूल गए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन की यह भरमार है और देन है तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की है। कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस के भी निगम पार्षद बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी के निगम पार्षद पैसा लेते हैं जो शायद इनको भी यह भूलना नहीं चाहिये कि इनके भी निगम पार्षद उस भ्रष्टाचार में इनवॉलव हैं। उनके खिलाफ आप बात क्यों नहीं करना चाहते। आपको मूल जड़ की बात हम नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर अभी जो कॉलोनीज डीडीए जिनको देखता है क्या उसमें अनौथराईज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अगर एक एमसीडी या डीडीए कम्लैंट थाने में करती है कि इस अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाये तो पुलिस वाला उस कम्लैंट को ले कर फोरन उस जगह पर पहुंच जाता है। वो दस हजार रुपये की डिमांड करता है जहां एमसीडी या डीडीए जब कम्पलैंट करता है तो वही पुलिस वाला एक लाख रुपये की डिमांड करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कम्पलैंट हुई है और कम्पलैंट होने के बाद भी वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है। क्या एमसीडी के अंडर में काम करती है।

एक हैंड पम्प लगाने के लिए 50-50 हजार रुपये देने पड़ते हैं। जल बोर्ड पानी की सप्लाई नहीं देता। दूसरी तरफ पुलिस जो है जितने हमारे मैम्बर बैठे हुए हैं, दिल पर हाथ रख कर कहें कि एक बोरिंग करने के लिए 5 से 10 लाख रुपये एसएचओ को रिश्वत के तौर पर देने पड़ते हैं तब पीने का पानी मुहैया होता है। जब वो हैंड पम्प लगाने देती है। अगर में बेसिक भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ फुटबाल जैसा मैच खेलेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे तो ये हादसे होते रहेंगे और होते रहे हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः शोएब इकबाल साहब।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष जी, आज जो दुर्घटना हुई है, बहुत ही अफसोसनाक है। इसको मैंने टीवी में बकायदा देखा। दिल्ली के लिए अजीब इतफाक है 5 लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरे और आज मासूम 5 बच्चे जिनका कोई कसूर भी नहीं, खेल रहे थे उन बेचारों की जान चली गई। मासूम बच्चे, बच्चे किसी के भी हो सकते है। हमारे, आपके किसी के भी। जिस तरह से पेप्सीकोला या मल्टी नेशनल कम्पनी जिनकी शायद हम लोग वकालत कर रहे थे वो काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर वो किस तरह से गैर कानूनी काम करेंगे, उसका अंदाजा शायद हम लोग नहीं लगा पायेंगे। यह हकीकत है कि इसमें सियासत होती है, सियासत होनी भी चाहिये लेकिन उसके भी मापदण्ड होने चाहिये। मेरे भाई मुकेश शर्मा ने कहा कि उनको मुआवजा दे दिया जाये। मुआवजा कुछ चीज नहीं होती। मापदण्ड यह है कि आने वाले वक्त में कोई हादसा न हो वो असली मुआवजा है। इसकी गारंटी होनी चाहिये। एमसीडी भाजपा के पास हो या किसी और के पास हो। 1993 से 1995 तक हमारे पास थी जब हम पहली बार एमएलए बन कर यहां पर आये। एमएलऐज के पास था तो कम से कम हम लोग उस वक्त पूरी रोकथाम लगा लिया करते थे। नये नये कौंसलर आते है नये लोग आते हैं। उनको इतना पता नहीं

होता जेई, एई अपना सांठ गांठ कर लेते हैं, पुलिस वाले सांठ गांठ कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिना पुलिस की मर्जी के दिल्ली शहर के अंदर पता नहीं हिल सकता। जो मर्जी आये आप पुलिस की शह पर काम करा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने होम मिनिस्टर से जा करके कम्पलैंट की। एसएचओ थाने के सामने इमारत बनवा रहा था, आपके नोटिस में मैंने यहां कहा था। 9 लोग मारे गये। गुप्ता जी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस स्टेशन में आये थे। सारी बात रखी गई। थाने के सामने एक एसएचओ बिल्डिंग बनवा रहा है, वह बिल्डिंग गिरती है 9 आदमी उसी समय मर जाते हैं। कौन ज़िम्मेदार है, पुलिस। क्योंकि आज उनको कोई बड़ा क्राईम, और गेनाइज क्राईम और कोई क्राईम नहीं मिल रहा। दिल्ली मे आज सबसे ज्यादा आमदनी कहीं है तो वह अनाथराइज कंस्ट्रेक्शन की है। ठेकेदार आज अपना काम करा रहे हैं, एमएलए अपना काम कांट्रेक्टर से करा रहे हैं उससे पैसे लेते हैं। बरमा नहीं लगा सकते, बोरिंग नहीं कर सकते, कुछ भी आप कर नहीं सकते, आप टेलीफोन की तार नहीं बदलवा सकते, आप बिजली के तार नहीं लगवा सकते, पुलिस, पुलिस हर जगह पुलिस। जहां उनको दूसरे काम करने चाहिए वे इधर लगे हुए हैं। और यह भी नहीं कि उन पर पाबंदी लगाएं अध्यक्ष महोदय, पुलिस को पैसा चाहिए होता है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि दिल्ली सरकार ने कारपोरेशन के ऊपर एसडीएम लगाए हैं अनाथराइज कंस्ट्रक्शन पर अभी हाल ही लगाए हैं, आप उनको पूछ लीजिए, एसडीएम साहब के और मजे आ गये, वे पहुंचते हैं पुलिस वाले उधर पहुंचते हैं एसडीएम साहब और एसएचओ साहब की इतनी बढ़िया सांठ-गांठ हो रही है अब मत पूछिए। अब तो कारपोरेशन से मैं समझता हूं रोल नहीं है आजकल तो एसडीएम साहब का और एसीपी साहब का और एसएचओ साहब का पूरा रोल है। आप कहां इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और रिश्वत का भाव और बढ़ता चला जा रहा है, कहां रोकथाम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज आपके पास इसका उपाय है मैं इस हाउस में बता रहा हूं। अगर आज के बाद से पूरे दिल्ली शहर में अनाथराइज कंस्ट्रक्शन बंद ना हो जाए, आप ऐलान कर दीजिए। कल ही जगहों की

वैल्यू खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अगर एक भी अनौथराइज कंस्ट्रक्शन हो जाए, अगर आप चाहें तो, आप रजिस्ट्री बंद कर दीजिए, आप फ्लैटों की रजिस्ट्री बंद कर दीजिए, कोई डिपार्टमेंट आपके पास है कोई अनौथराइज कंस्ट्रक्शन होगा, किसी मकान पर होगा, किसी फ्लैट पर होगा उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी कल ही पूरी दिल्ली के अंदर रेट भी गिरेगा और कोई अनौथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन क्यों 7-8 मंजिला इमारतें बन जाती हैं वे बिना नक्शे के और अगले दिन रजिस्ट्री करा लेते हैं। रजिस्ट्रार के भी मजे आ रहे हैं एसडीएम के भी मजे आ रहे हैं। आप ऐलान कीजिए, आपमें इतनी हिम्मत है या ताकत है तो आप ऐलान करें कि जो भी अवैध निर्माण होगा उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। सारा अखबार में निकल जाएगा। हर आदमी चाहता है कि रजिस्ट्री भी हो मकान भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं, अगर इस सरकार में हिम्मत है, रजिस्ट्री होती है, खूब रजिस्ट्री हो रही है, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में रात दिन देखिए, आप पूरा रिकार्ड निकलवाइए, मैं चाहूंगा कि सरकार इसको पेश करे कि आपने कितनी अवैध जगहों का, एमसीडी में उसका कोई क्लीयरेंस सर्टीफिकेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जल बोर्ड को बोलिए कि उसको पानी न दें, बिजली वालों को कहिए कि उसको बिजली का कनेक्शन ना दें, रजिस्ट्री नहीं होंगी। जो चीज आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में है वह आप क्यों नहीं करते, अगर आप ऐलान करेंगे कि बिजली का कनैक्शन नहीं मिलेगा, आपको पानी का कनैक्शन नहीं मिलेगा और रजिस्ट्री नहीं होगी, मंत्री जी बैठे हैं ऐलान कीजिए, आज यहां इस सदन में कीजिए, कारपोरेशन भी हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएगी, पुलिस का मामला भी खत्म हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। मंत्री महोदय कहें कि आज से अवैध निर्माण पर रजिस्ट्री नहीं होगी, या जो आपका इंट्रेस्ट है आप चाहते हो कि दिल्ली में अनौथराइज का काम हो, नहीं तो आप ऐलान कर दीजिए कि नहीं होगी। दिल्ली में बिना नक्शे के निर्माण हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या होती है, वे अनाप शनाप बनाते हैं, जो नक्शा पास कराकर करते हैं उस पर सरकार का और एमसीडी का पूरा डण्डा होता है वह

वाइलेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अनाथराइज के अन्दर वाइलेशन भी कीजिए, ये तमाम चीजें कीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एक सुझाव है यदि आपके अन्दर शक्ति है और दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को बचाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को बचाना चाहते हैं उनकी जान की रक्षा करना चाहते हैं तो आज आप यह ऐलान कीजिए। आपको यह ऐलान करना होगा नहीं तो ये दिल्ली वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को खत्म करता हूं अभी कहा गया कि इनको कम्पनशेसन दीजिए, मेरे यहां भी 9 लोग मरे थे उनको अभी तक कम्पनशेसन नहीं मिला। कम्पनशेसन दीजिए, मेरे यहां भी 9 लोग मरे थे उनको अभी तक कम्पनशेसन नहीं मिला। कम्पनशेसन का जैसे आज ऐलान होता है तो चेक उनके घरों पर पहुंच जाएं, अव्वल तो उनकी जानों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय बात किसी की भी हो बड़ों की हो किसी की भी हो दिल्ली के ट्रोमा सेंटर के अन्दर जिस तरह हादसा हुआ उनको भी उसी तरह का कम्पनशेसन मिलना चाहिए वे भी गरीब लोग थे। आप एक गाइडलाइन तैयार कर लीजिए कि साहब कोई भी हादसा होगा आप उस परिवार को मुआवजा देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी बात को खत्म किया है साथ में मैंने जो अहम बात की है कि यदि सरकार, मंत्री जी आज ऐलान कर दें तो कल से पूरी दिल्ली के अन्दर कोई अनौथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य रह गये हैं, विशेष करके मालाराम गंगवाल जी और जयकिशन जी इनको इसके तुरंत बाद एमसीडी पर होने वाली चर्चा में बुलवाया जायेगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि वे जवाब दें।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, बहुत ही अहम मसले ऊपर आपने सदन में चर्चा कराई इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार है और जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि निश्चित रुप से यह हम सब

लोगों के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से अनौथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से लगातार एक के बाद एक दिल्ली में हादसे हो रहे हैं उसके ऊपर निश्चित रुप से लगाम लगाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं दिल्ली के अन्दर जो नगर निगम अनौथराइज कंस्ट्रक्शन को चैक करना उनका काम है और उनका मेन कार्य भी है। उस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अध्यक्ष जी, अनाथराइज कंस्ट्रक्शन चाहे वह अनौथराइज कालोनीज में हो चाहे वह अनौथराइज रैगूलराइज कालोनिज में हो, चाहे वह फार्म हाउसेज में हो, चाहे वह अर्बन विलेजिज में हो, चाहे वह रुरल विलेजिज में हरे, अगर वह बिना नक्शे पर हो रही है या वह बिना एमसीडी के नार्मस को फोलो करके हो रही है तो उसको रोकना एमसीडी की बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए माननीय एलजी साहब के आर्डर से लोकल एसएचओ को भी, शोएब जी ने जैसे कहा उनको भी इसके लिए जिम्मेदारी ठहराया गया है। यह हम सबके लिए बहुत तकलीफ का विषय है कि इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस सप्ताह में ही यह लगातार तीसरा हादसा है और आज का हादसा तो बहुत ही दुखद है और हम उन परिवारों के साथ जिन परिवारों के बच्चों की मृत्यु हुई है उनके दुख के साथ अपने को जोड़ते हुए यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है इसलिए हमने इसके मैजिस्ट्रियल जांच के आर्डर दिए हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुख और चिंता का विषय यह है कि बजाए इस बात के कि हम लोग अपनी कमियों और खामियों को दूर करें, एमसीडी जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ जाती है वह बहुत चिंता का विषय है। कमी और खामी किसी भी आर्गेनाइजेशन में हो जाती है लेकिन उसको दूर करने की आवश्यकता है। शोएब भाई ने बहुत अच्छा सुझाव रजिस्ट्री के बारे में दिया है उसकी क्या लीगल पोजिशन है निश्चित रुप से हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि हमने मैजिस्ट्रियल

जांच के पहले ही आर्डर दे दिये हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को दु:ख सहने की शक्ति दे। हमने उन बच्चों के लिए जिनकी मृत्यु हुई है आलरेडी उनके लिए एसग्रेसिया एक लाख रु. और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए 50 हजार रु. कम्पनशेसन के रुप में एनाउंस कर दिए हैं। हमारे जो लोकल डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे खुद कहा है कि वे इसको मौनिटर करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार के पास लेकर आएं ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं और जो लोकल एमसीडी के कमिश्नर हैं उनसे भी हमने रिपोर्ट मांगी है। एमसीडी और रेवैन्यू डिपार्टमैंट दोनों विभाग इसके अन्दर रिपोर्ट देंगे और जो लोग भी उसके अन्दर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें चाहे एसडीएम हो चाहे पुलिस हो चाहे वह एमसीडी हो लेकिन बुनियादी तौर पर अनाथराइज कंस्ट्रक्शन रोकने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। ईश्वर लाल डोरे के गांव में जहां के लिए एमसीडी का एक आर्डर है कि आपको नक्शा पास करवाने की जरुरत नहीं है लेकिन बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से आप अपना मकान बना सकते हो। अगर वहां भी बिल्डिंग बाइलाज से मकान नहीं बन रहा है तो उसको रोकना भी एमसीडी की जिम्मेदारी है। तो अनाथराइज कंस्ट्रक्शन का मियादी रुप रोकना एमसीडी की जिम्मेदारी है जिसके काम में सहयोग दिल्ली पुलिस और किसी लेवल के ऊपर एसडीएम भी देते हैं। इसलिए हमने मेजिस्ट्रियल इन्क्वारी के ऑर्डर किए है, कि इसमें जो भी एजेन्सीज जिम्मेवार होगी, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सरकार इस मामले में मुकदर्शक, ठीक बात है कि एमसीडी के अपने अख्तियार हैं, यह ठीक बात है कि एमसीडी का पॉलिटिकल सेटअप अलग है। यह ठीक बात है कि एमसीडी beyond a point हम लोग एन्टरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जिस तरह से लोगों की जान जा रही है। उसमें सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती। इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। अब 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख लिए जायेंगे। चौ. सुरेन्द्र कुमार।

चौ. सुरेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान और मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रताप नगर, मण्डोली एक्सटेंशन, रमा बाई मोहल्ला, हर्ष विहार, खजानी नगर, माता वाली गली, मिलन गार्डन, प्रताप नगर, हरिजन बस्ती आदि कालोनियों में अब तक काम शुरु नहीं हो पाये जब कि ये कालोनियां 895 की लिस्ट में क्लीयर कर दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शहरी विकास मंत्री जी को कई पत्र लिखे गए कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईडीसी से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर इस पर चर्चा की जाए परन्तु आज तक भी इस संबंध में कोई बैठक नहीं की गई। सरकार मेरे साथ तथा मेरे क्षेत्र की जनता के साथ पक्षपात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कालोनियां क्लीयर कर दी गई हैं, इनमें पानी की लाइन, सीवर लाइन तथा रोड बनाने के लिए बजट देने की कृपा करें तथा इन कालोनियों में विकास कार्य जो बाकी बचे हैं, उनको करवाने का कार्य करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कालोनियां जो सीमित बजट के कारण उनमें काम रुक गया है, उनके टैण्डर लग गये हैं, उनमें अभी केवल एस्टिमेट बनाये हैं, फाइनेन्स में नहीं भेजे गये हैं। जो पहले नाली रोड के लिए आपने बजट दे दिया है, उनमें कार्य करवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र यादव।

श्री देवेन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एनआरएचएम/आरसीएच में जो कांट्रेक्ट पर स्टॉफ है और उन्हें दो वर्ष से ऊपर हो गए उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया है और न ही दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग की नीति तरह कांट्रेक्ट कर्मचारियों की तरह उन्हें सेम वर्क सेम स्केल दिया गया है। तो मेरी इस सदन से और आपसे विनती है कि उन्हें भी एनआरएचएम की स्कीम के तहत, एनआरएचएम में जो कांट्रेक्ट पर जो स्टॉफ है, उनकी तरह सेम वर्क सेम स्केल दिया जाए या स्थायी किया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। चौ. भरत सिंह।

चौ. भरत सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले चर्चा चल रही थी अनाथराइज्ड पर उसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का, मुख्यमंत्री जी का एवं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियां हैं। इन कालोनियों में जो रह रहे हैं उन पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं पूरी दिल्ली की बात है। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने कांग्रेस की चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी जी से कालोनियों में जो प्रोजेक्टस सर्टिफिकेट दिलाने का जो कार्य किया था, जिनके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया था, उन कालोनी- वासियों में एमसीडी तथा दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा अत्याचार हो रहा है। जब भी कोई कालोनी वासी अपने 20 गज 50 गज या 100 गज का प्लाट की बाउण्ड्री या मकान बनाना चाहता है, उसी समय बीट अफसर आकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि एसएचओ साहब से जाकर मिल लीजिए। तब आपका मकान बनने दिया जायेगा। जब एसएचओ के पास जाता है तो उससे पूछा जाता है कि कितने कमरे बनायेंगे, कितने बेड रुम बनेंगे, कितने फ्लोर बनायेंगे इस आधार पर अलग अलग तरीके से आकलन करते हुए

पैसे मांगने का काम किया जाता है। उसे बाद एमसीडी के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि अगर आप बाउण्ड्री या डीबीसी करेंगे तो इतने पैसे देने हैं तथा ज्यादा बनाना है तो उसका पैसा अलग लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस व एमसीडी के अधिकारियों को जो लोगों का रवैया है, इस पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए। दिल्ली पुलिस का मानना है कि कोई भी किसी भी प्रकार से जब मकान बनाने की बात करता है, तुरन्त वहां पर कोई न कोई वहां पर पहुंचकर पैसा वसूल करने का काम करता है और जितना भी मन चाहा, उतना पैसा लेकर मकान बनाने का काम करवाता है। खुले आम दिल्ली पुलिस घड़ल्ले से पैसा ले रही है। और जब कोई पैसा देने से मना करता है तो दिल्ली पुलिस के पास एक कानून है कि 7(51) में और कोई धारा न मिले तो 7 (51) के अन्तर्गत डराने का काम करते हैं और कइयों को अंदर भी कर चुके हैं। यदि कोई विधायक या एमपी या काउन्सलर किसी की सिफारिश करता है तो उनको कहते हैं कि आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं। ऐसी बाते हमें सुनने को मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते है कि जो कालोनियों की जो लिस्ट आपने बनाई है। जो पास की लिस्ट में हैं। सभी का कम से कम उनमें जो कार्य हो रहा है, आप कोई ऐसा कानून बनायें कि जो लोग उन कालोनियों में रह रहे हैं, वे ठगे न जायें। जहां तक रेवेन्यू देने की बात है, वह देकर खुले तरीके से अपना मकान बनायें। नक्शा पास कराने की बात है तो अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली की तमाम पुनर्वास कालोनियों में खाली पड़ी ज़मीनों तथा बड़ी संख्या में बंद व टूटे फूटे

शौचालयों के स्थान पर जनहित में पार्क जिम, रिक्रिएशन सैन्टर, चौपाल, ओल्ड एज होम, छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर, लाइब्रेरी आदि बनवाने की और दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास कालोनियों, को स्लम व जेजे विभाग ने बसाया था। जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। उस समय अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम कोई चीज यहां बनवाना चाहते हैं तो दिल्ली नगर निगम इन कालोनियों की पूरी तरह से मालिक बनी हुई है और हमें कोई भी चीज बनाने के लिए न तो वे एनओसी देते हैं और न बनाने देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि दिल्ली की तमाम पुनर्वास कालोनियों को स्लम ने बसाया था। तो ये जो अधिकार है एनओसी देने का या न देने का यह स्लम विभाग के पास होना चाहिए। अब दिल्ली नगर निगम को उस समय केवल रख-रखाव के लिए ये कहा था कि इसकी साफ-सफाई करें और रख-रखाव करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने कई प्रपोजल कम से कम अपने क्षेत्र में 17 जगहों पर ऐसे प्रपोजल बनाकर दिए कि हमें यहां पर चौपाल, रिक्रिएशन सैन्टर या ओल्ड एज होम या इस तरह की कोई चीजें बनाने की अनुमति दी जाये, लेकिन अफसोस की बात है कि न तो वे खुद वो काम कर रहे हैं और नही हमें बनाने के लिए एनओसी दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से जो दिल्ली सरकार का शहरी सुधार बोर्ड है उसके अधीन ये जमीन होनी चाहिए। माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मैं अनुरोध करुंगा कि तमाम पुनर्वास कालोनियों में जो खली ज़मीन पड़ी है। चाहे वह टॉयलेट ब्लॉक हैं या किसी और की चीज है, या और जगह है। उन तमाम खाली जगह स्लम के अण्डर किया जाये, दूसरों के अण्डर किया जाये ताकि दिल्ली के विधायक जो हैं, वे अपनी मर्जी से या जनता की जो मांग है, उसके अनुसार वहां पर कुछ निर्माण करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली देहात में जो डीटीसी की जो बसें चल रही हैं और खासकर बवाना डिपो की, उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 15 साल हो गये हैं, 15 साल से लगातार मैं इस बात को उठा रहा हूं। मेरे यहां जो डिपो है, जो दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर जो बस खराब हो जाती है, उसको उठाकर बवाना डिपो में भेज देते हैं। मैंने लवली साहब से भी रिक्वेस्ट की। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बसें जरुर भेज देंगे। मगर अब ये डिपार्टमैन्ट मोस्वामी जी के पास आया। मैंने इनके पास जाकर भी रिक्वेस्ट की कि गोस्वामी जी बसों की हालत बहुत खराब है। जरा आप उसकी तरफ ध्यान दें। उस तरफ ध्यान देना तो दूर, वो जितनी यमुना पार की जितनी बसें खराब थीं। उनका एक बेड़ा 30-35 बसें वो भेज दीं। जो नई बसें भेजनी थीं। मैंने यह भी रिक्वैस्ट की कि लो फ्लोर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भेज दें। अध्यक्ष जी, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मेरे ये साथी हैं, ये देहात से हैं। वे बता देंगे। मेरे क्षेत्र में दो दो, तीन तीन किलो मीटर में बसें खड़ी हुई मिलेंगी। एक दो, जो पूरी वैन है। अध्यक्ष जी, उसकी स्पेशल ड्यूटी है कि जो उसकी ड्यूटी है। उसको खींचकर के डिपो में खड़ी कर दो। अध्यक्ष जी, मैं सच्ची कसम से यह बता रहा हूं। मैं झूठ नहीं कह रहा। जो शहर में बस खराब हो जाए, गांव में बसें ही नहीं जातीं। हमारी बहन, बेटियाँ कई-कई किलोमीटर तक रात में पैदल जाकर के गांव में जाती हैं। मैंने यह बात एक बार नहीं, इस बार उठा ली। अध्यक्ष जी, वो बसें जितनी किलोमीटर चलनी चाहिए थीं, वो बसें उससे दुगुनी किलोमीटर चल चुकी हैं। उनकी मियाद खत्म हो गई है। उनका समय पूरा हो गया है। मगर जितनी बसें हैं। आप पता कर लें। अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूँ। मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा और वो बसें ऐसी दे रखी हैं कि वो एक-एक, दो दो किलोमीटर पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। रात को तो

बसें जाती ही नहीं हैं। अगर रात को हमारा मेहमान आ जाए, मैं सच्ची बता रहा हूं। वो दिल्ली कहीं पर धर्मशाला में ही जाकर सोयेगा। वो अपने घर पर नहीं जा सकता। वो अपनी रिश्तेदारी में नहीं जा सकता। रात की सर्विस बन्द है। जो छोटा मोटा दिन में कोई काम पर जाते हैं, ये जो ड्यूटियों पर आते हैं। सुबह लाइन लगती है। कोई भी अपने दफ्तर में अपने टाइम पर नहीं पहुंच सकता। रास्ते में सारी बसें खराब हो जाती हैं। अब हम कोई काम करने के लिए गांव में जाते हैं। वो मुझ से एक ही बात कहते हैं कि भाई हमारी बस लगवा दे। हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर मैं यह बात पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 15 साल से, वहां पर भी तो देहात के अंदर भी तो डिपो है। एक भी डिपो के अंदर यह बता दे कि एक भी लो फ्लोर बस भेजी हो। नई माडियों से सारे डिपो भरे हैं। न कोई ए.सी गाड़ी है और न कोई लो फ्लोर बस है और जब डीटीसी वालों से बात करते हैं। सर मैं डीटीसी वालों को लैटर लिखता हूं। मेरे और भी कई साथी लिखते हैं। वहां से ऐसे जवाब आते हैं कि हम ने उस रुट पर इतनी गाड़ियाँ लगा दीं और उस रुट पर इतनी गाड़ियां लगा दी। डीटीसी के जितने भी अफसर हैं, वो सारे झूठ बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से रमाकान्त जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने डीटीसी को सुधारने के लिए काफी जोर दे रखा है और आये दिन अख्बार में आती है। मगर थोड़ा सा इस शहर से हटकर के देहात की तरफ भी ध्यान दो। वहां पर बहुत बुरा हाल है। मैं गलत नहीं कह रहा। आप एक बार देखो तो सहीं। आपने कहा था कि मैं दौरा करुंगा। हम ने लवली जी कहा कि वहां पर CNG Pump नहीं है तो उन्होंने सी.एन.जी पम्प भी लगवा दिया। इन्होंने मेहनत करके वहां पर CNG Pump भी दे दिया। अब फिर भी वहां पर बसें नहीं जा रहीं। अध्यक्ष जी, आज हमें इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि हमें कब तक बसें मिल जायेंगी। मैं एक ही नहीं कह रहा। यह भाई इसका डिचाऊ डिपो है। नरेला डिपो है, बवाना डिपो है, नजफगढ़ डिपो है। एक भी किसी भी डिपो में नई बस बता दो और हमें यहां पर बोलते बोलते 15 साल हो गए। मगर इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब मुझे उम्मीद हुई थी। वो यह कहने लगे कि तुम्हारे

यहां पर सौ बसें जा रही हैं। मैं परिवहन मंत्री जी के पास जाकर के धन्यवाद करके आया। मैं खुद उनके यहां पर धन्यवाद करके आया। मुझे पता लगा कि सीमापुरी की 35 बसें खराब बसे जिनको इन्होंने कंडम कर दीं। वो बसें हमारे डिपो में भेज दीं। अध्यक्ष जी, यह कोई तरीका नहीं है। मैं एक बात और कह रहा हूँ ये तमाम साथी इस बात को कह रहे हैं। जो बस शैल्टर दिल्ली के अंदर खराब हो जाए। जो बस शैल्टर कंडम हो जाए। उसको लदवाकर के देहात में लगवा देते हैं। क्या देहात के अंदर आदमी नहीं रहते। अध्यक्ष जी, आप किसी लड़कियों के कॉलेज के आगे जाकर के देखो। एक बार वहां पता करवाओ। कोई बस शैल्टर नहीं है। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। सब बाहर खड़े रहते हैं। कहीं भी कोई भी एक बस शैल्टर बता दे। हम ने फोटो खिंचवा खिंचवा करके कितने बस शैल्टर बनने हैं। हम ने इनको सारे दिए। मगर यहां सब के बस शैल्टर बन गए और हमारे यहां से जितने बस शैल्टर बदले गए वो कोई नजफगढ़ में भेज दो, कोई बवाना में भेज दो। कोई डिचांऊ में भेज दो। कहीं भी भेज दो। बस शैल्टर भी पुराने यहां से तोड़ तोड़कर के वहां भेजे जा रहे हैं। वहीं बसें भी भेजी जा रही हैं। अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल ज्यादती है। मैं आपको देहात के हिसाब से बताऊं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में जरुरत बतायें कि हमारे यहां पर कब से बसें लग जायेंगी।

अध्यक्ष महोदयः सुरेन्द्र जी बैठिए। मंत्री जी वास्तव में स्थिति अच्छी नहीं है। आप मेहरबानी करके इस पर विचार करिए और एक बार सुरेन्द्र जी की मीटिंग बुला लीजिए और जो अपने देहात से विधायक हैं। आप उनको भी बुला लीजिए और बाप जितनी सुविधा दे सके। उतना ज्यादा अच्छा हो। आप यदि कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कह दूं। डीटीसी ने मुझको 22 जगह लिखकर दीं कि ये रोड ये पुलिया यदि आप ठीक करा दो तो हम बस चला देंगे। मैंने 22

के 22 मेहनत करके, ठीक करवा करके इनको लिखकर भिजवाया। राजकुमार जी ने सारी रोडस ठीक करवा दीं। अब तो हमारे रोडस भी ठीक हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे रोडस भी ठीक हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे रोडस खराब हैं।

अध्यक्ष महोदयः परिवहन मंत्री जी।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक और मेरे साथी श्री सुरेन्द्र जी, श्री सोमेश जी और मुझे सुबह ही मिले भरत सिंह जी और आपने भी मुझ से दो तीन बार कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ग्रामीण इलाके हैं। उसमें हमारे सामने कुछ कठिनाई आ रही है और भाई सुरेन्द्र जी के साथ हम ने मीटिंग भी की है। हम खुद चाह रहे हैं कि बसें जहां पर नहीं पहुंचती हैं, वहां पर जायें। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बसों का युक्तिसंगत एक सर्वे हम ने किया है और मुझे यकीन है कि ये रुट जब route rationalization हो जायेगा और वो हम बड़े सारी दिल्ली का कर रहे हैं। लगभग जो हमारे 667 रुट हैं। हम उनका पूरा पुर्निरीक्षण कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जायेगा। उसके बाद जो गांव है, जो ग्रामीण इलाके हैं और जो दूर दराज में हैं। वहां पर निश्चित रुप से बसें जाने लगेंगी। मेरा ऐसा मानना है। मैं इनकी चिन्ता जो इन्होंने व्यक्त की है। मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं इनको यह भी आश्वासन देता हूं कि जब भी route rationalization के बाद हमारे पास कुछ बसें बच जायेंगी। हम उनको उस तरफ लगायेंगे। यह भी ठीक है कि वहां पर सड़के बहुत खराब थीं जिसकी वजह से लो फ्लोर बसें नहीं जा पाती थीं। लेकिन अब कुछ सड़के काफी ठीक हो गई हैं और हम इसको शीघ्रातिशीघ्र जो इनकी चिन्ता है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमेश शौकीन।

श्री सोमेश शौकीनः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जो पिछली बार सरकार ने फैसला लिया था कि जो पुनर्विकास कॉलोनियां हैं या resettlement clusters हैं। उनको जो मालिकाना हक देने का फैसला किया था। मेरी विधान सभा में तीन resettlement clusters हैं। उनको जो मालिकाना हक देने का फैसला किया था। मेरी विधान सभा में तीन resettlement कॉलोनीज हैं। द्वारका के सैक्टर तीन, 15 और 16 अध्यक्ष जी, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि उनमें से तीनों ये जितने भी क्लस्टर्स हैं। इन तीनों का नाम उन मालिकाना हक की लिस्ट में नहीं है तो मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि उनका भी नाम उस लिस्ट में डलवा दें तो अच्छा रहेगा। उनको भी मालिकाना हक मिल जाए। पूरी दिल्ली में जो हो रहा है। अध्यक्ष जी, उससे हमारी विधान सभा अछूती न रहे तो उनको भी मालिकाना हम मिल जायेगा। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदयः श्री कंवर करण सिंह सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेंगे।

श्री कंवर करण सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री कंवर करण सिंह सदन में प्रस्तुत दूसरे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन को पटल पर रखेंगे।

श्री कंवर करण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एव संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है कंवर करण सिंह जी। अब श्री नसीब सिंह जी सरकारी आश्वासन का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदयः अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री अपने विभाग से संबंधित की प्रति सदन पटल पर रखेंगी। डॉ. वालिया जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः Honourable Speaker, Sir, I internd to lay the copy of Reports mentioned item 5(1) (i) to (iii) on the Table of the House:

(i) Notification F.No. 12/01/2006 ar/12785-12944 DATED 20TH November, 2012 regarding externsion of the tenure of Sh. Shanti Kumar Jain, IPS (Retd.) as whole time Member of Public Grievances Commission. Government of National Capital Terriotory of Delhi upto 27.08.2016 i.e. the date on which he attains the age of 65 years.

(ii) Explanatory Memorandum of Action Taken by the Govt. of NCT of Delhi on the suggestions/ observations of the Public Grievances Commission on its 10th Annual Report for the period 2007-2007 (English & Hindi version).

(iii) Explanatory Memorandum of action taken by the Govt. of Delhi on the special report of the Lokayukta in complain No. C-245/ Lok/2009 cited Lokayukta on its own motion, in the matter of publication of newq report, "Pension ke badle parshad vasul rahen hai chanda" in -"Jagran City" section of "Dainik jagran" dated 22.10.2009 against Sh. Narender Bindal, Councillor, Ward-42- Respondent R/o, Y- 3007, Phase-1, JJ Colony, Nanglai, Delhi-110041] under sub-section 3 of section 12 of the Delhi Lokayukta & Upalokayukta Act, 1995.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री रमाकांत गोस्वामी जी, चुनाव मंत्री चुनाव कार्यालय से संबंधित अधिसूचना की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

परिवहन/चुनाव मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 43 धारा 22 के उपसंबंधों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के नियुक्ति से संबंधित दिनांक 18 जून, 2008 को अधिसूचना संख्या 434 दिल्ली विधान सभा, 2008 की हिंदी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

विधेयक का पुनः स्थापन

अध्यक्ष महोदयः अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री विधेयक का पुनःस्थापन करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्रीः Honourable Speaker, Sir, I, hereby, intend to introduce "The Delhi Value Added Tax" (4^{th} Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 15 of 2012) with the leave of the House.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां बोले,
जो इसके विरोध में हैं, न बोले
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्य मंत्री बिल को हाऊस में प्रस्तुत करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री: Honourable Speaker, Sir, I, Hereby, introduce "The Delhi Value Added Tax (4thAmendment) Bill, 2012 (Bill No. 15 of 2012) in the House.

अध्यक्ष महोदयः अब सभा की कार्यवाही आधा घंटा के लिए स्थगित की जायेगी।

श्री कंवर करण सिंहः सर, अनआथोराइज्ड करा लेते, फिर वो तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। आज टी ब्रेक की भी जरुरत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः तीनों को इकट्ठा बुलवा दें।

शहरी विकास मंत्री: आज ब्रेक रहने ही दे सर।

अध्यक्ष महोदयः तीनों को एक साथ खड़ा कर दें, तीनों एक साथ बोल लेंगे। सात मिनट में कैसे हो जायेगी।

श्री कंवर करण सिंहः नहीं टी ब्रेक न करने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः इसके बाद हो जायेगा।

शहरी विकास मंत्री: ब्रेक न करें तो सर जल्दी खत्म हो जायेगा। शादियों का भी मामला है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि सात मिनट में खत्म हो।

शहरी विकास मंत्री: अनअथोराइज्ड तो हो जायेगा सात मिनट में।

अध्यक्ष महोदयः आप लोग चाय पीजिए उसके बाद करा देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं, हमारे वरिष्ठ सदस्य भाई अनिल भारद्वाज जी बोढा हो गये हैं, विवाहित हो गये हैं। शादी कर ली है। अब आप इनसे पार्टी लेंगे या इनको देंगे ये आप डिसाइड कीजिए। हाऊस की कार्यवाही चायकाल के लिए स्थगित की जाती है धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय द्वारा हाऊस की कार्यवाही चायकाल के लिए स्थगित की गई।

सदन अपराह्न 4.28 बजे पुनः समवेत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय (श्री अमरीश सिंह गौतम) पीठासीन हुए।

अल्पकालिक चर्चा

उपाध्यक्ष महोदयः अनधिकृत कालोनियों पर हुई अल्पकालिक चर्चा का मंत्री जी उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी................(व्यवधान)

श्री आसिफ मोहम्मद खानः सर, मैं बोलना चाहता हूं अनधिकृत कालोनियों पर, मैंने कल स्लिप दी थी।

उपाध्यक्ष महोदयः अभी एमसीडी पर चर्चा बाद में होगी।

श्री आसिफ मोहम्मद खानः सर, मैं अनधिकृत कालोनीज पर बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदयः अनअथोराइज कालोनीज पर मंत्री जी को जवाब देना है। मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री आसिफ मोहम्मद खानः सर, हमारी बात तो सुन लें मंत्री जी जवाब तो तभी देंगे। मुझे तो मौका दिया ही नहीं, मैं कल से अध्यक्ष महोदय से अपील कर रहा हूं कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, आप दो मिनट बैठ जाये।

श्री आसिफ मोहम्मद खानः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर मसला यहां उठा रहा हूं और बिल्कुल एक्सेप्शन है वो। हमारी मोहतरमा इज़्ज़तमाफ चीफ मिनिस्टर मोहतरमा हाउस में भी और प्रैस के ज़रिये भी बार-बार यह कहती रही है कि 1639 कालोनीज को हम रेग्युलराइज करेंगे और उसकी एक ईंट भी नहीं गिरायेंगे। यह हम सभी और यही उम्मीद पूरी दिल्ली की जनता भी करती है और हम दुआ करते हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा को सेहत दे ऊपरवाला और वो इसी तरह से दिल्ली की जनता के बारे में सोचें और उम्मीद भी है और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे भी और जनता को भी उम्मीद है कि वो यही सोच रखती है दिल्ली की जनता के बारे में। उनके दु:ख-दर्द को शेयर करने में उनकी कहीं भी हम कोताही नहीं समझते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी कुछ मिसगाइड करती है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1639 कालोनीज की एक कालोनी जो 391 बी है श्रम विहार उसको एनक्रोचमेंट के नाम पर गिरा दिया गया। मैं यह कह रहा हूं कि मुझे न सरकार की नीयत में कहीं खोट नज़र आता है न अपनी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा की नीयत में खोट आता है न हमारे यूडी मिनिस्टर साहब से मुझे कोई शिकायत है बल्कि कभी-कभी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिसगाइड करके और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती है। मैं एक बात यह जानता चाहता हूं कि पिछले असेम्बली सेशन में मैंने यह क्वेश्चन लगाया था और मुझे रेग्युलराइजेशन की जो लिस्ट मुहैया कराई थी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की उसमें यह 391 बी मौजूद है और जो तीन-चार फर्जी पाई गई जो रामवीर सिंह बिधूड़ी एमएलए जो उस टाइम थे और उन्होंने लोकायुक्त में जो कंप्लेंट की थी उसमें चार फेक कालोनीज पाई गई थी और श्रम विहार 391 उसमें नहीं आता है। उसके बावजूद वहां की जनता के साथ बड़ी नाईसाफी हुई और मैं सुबह मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा के घर पर नौ बजे मिला और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था और उन्होंने मेरी मौजूदगी में फोन भी किया था और सिर्फ इतनी बात कही थी कि वहां से सिर्फ एनक्रोचमेंट रिमूच किया जायेगा उसके बावजूद पूरी कालोनी को

मिसमार्क कर दिया गया। 5 तारीख को मैं यूडी मिनस्टिर साहब से मिला उन्होंने बहुत सख्त अपनी तरफ से सख्त लहजे में यूडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा और एक कमेटी भी constitute की है डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास ये जो भी डॉक्युमेंटस हैं वो यूडी के हैं मेरे अपने कोई भी डॉक्युमेंटस नहीं है जो मैं यहां दिखाना चाहता हूं। 1994 में इसका ले-आउट प्लान एमसीडी में जमा है श्रम विहार का, उसके बाद बार-बार इसका रि-सर्वे, रि-सर्वे होता रहा, बार-बार इसका प्लान जो है मांगा गया और हर बार यह वहां existence थी, इसकी मौजूदगी थी और उस टाइम जो एमएलए थे परवेज हाशमी साहब उन्होंने भी यह लैटर 1994 में मदन लाल खुराना जी को लिखा कि यह रेग्युलराइजेशन की लिस्ट में आता है श्रम विहार और इसको electrification के लिए इसके लिए लैटर लिखे वो भी सब मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा मेरे पास जो ब्रीफ समरी है, 391 की यूडी की वो भी यह कहती है कि एमसीडी और एरियल फोटोग्राफ के हिसाब से 2002 में इसमें जो बिल्ट-अप पोर्शन था वो more than 50 परसेंट था और 2008 और 2009 में, यह मैं नहीं कह रहा, यह यूडी कर रही है, अब यह कहां गड़बड़ है और किसने यह गलत रिपोटर्स दी है और कौन एनक्रोचमैंट के नाम पर अनौथराइज कालोनी को तोड़ रहा है। यह हो सकता है कि इस कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिये कोई साजिश हो, तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी बहुत डीप्ली सेट-अप होनी चाहिये। मैं उसके लिये अपने यूडी मिनिस्टर साहब का बहुत तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जैसे वहां वह डिसाइड हुआ कि 2007 के बाद की अगर यह कालोनी है तो कंसीडर नहीं की जायेगी और 2007 से पहले एरियल फोटोग्राफ से यह कालोनी दिखाई देती है और वहां मौजूद है तो उसको हम रेग्युलराइज करने के लिए रि-कंसीडर करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एसडीएम की अध्यक्षता में आपने टास्क फोर्स बना रखी है जो एग्रीकल्चर लैंड पर अनौथ्राइज

कालोनीज को रोकगी और पुलिस की भी यह ड्यूटी फिक्स है कि वो अनौथराइज फरदर 1639 कालोनीज के बाहर जाकर कोई अनौथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिये। अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो क्या उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन किया जायेगा, क्या एसडीएम के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। क्योंकि वहां इस सर्दी के मौसम में सैकड़ो-सैकड़ो मकानों को तोड़ दिया गया। एक तरफ हम यह एनाउंस करते हैं, बार-बार कहते हैं कि हम नाइट शैल्टर्स बना रहे हैं और दिल्ली में किसी भी जनता को, किसी को भी बिना छत के हम रात को नहीं सोने देंगे। यह हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा का कमिटमेंट है और वो किसी हद तक पूरा भी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोगों के मकान तोड़ दिये जाते हैं डार्क में रख कर तोड़ दिये जाते हैं। अब वो उस मैदान में पड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करुंगा कि उनका यह केस बहुत सीरियसली टेक-अप होना चाहिये और यह जनरल दिल्ली की जो कंस्ट्रक्शन की अनौथराईज्ड कंस्ट्रक्शन की बात है यह जनरल प्रोबलम है। उसमें हो सकता है कि श्रम विहार भी उसका कहीं न कहीं हिस्सा हो। क्योंकि 2007 के बाद हर अनौथराईज्ड कालोनी मे कम से कम 25-30 परसैंट अनौथराईज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है। हो सकता है किसी में 40 परसैंट भी फर्दर 2007 के बाद हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी कालोनी को मिस-मार्क करके पूरी कालोनी को तोड़ दें। अगर आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट वो 30 परसैंट 40 परसैंट इल-लीगल है और 2007 के बाद हुआ है उसको तोड़ दिया जायेगा तो वो एक अलग मसला है। पॉलिसी के बाहर की बात है। लेकिन आपकी पॉलिसी है, मैं यह कहता हूं कि जब आपने बार-बार मेरी कंस्टीट्यूंसी के जब रामवीर सिंह विधूड़ी जी लोकायुक्त में गये और जगह-जगह कम्पलैंट की जो आपने ओखला कंस्टीट्यूंसी के बारे में री-सर्वे करवाया। री-सर्वे में भी श्रम-विहार 391-बी वहां एग्जीस्ट करता था, मौजूद था और उसी कम्पाउंड में उससे 50 मीटर की दूरी पर अबूल फजल इनकलेब पार्ट-जी और एच ब्लाक है जो फेक पाये गये हैं और वो आज भी वहां

मौजूद हैं। कोटला माहीग्राम वहां से 100 मीटर की मौजूदगी पर है जिसका यूडी का रिकार्ड कहता है प्रोवीजनल सर्टीफिकेट कैंसिल कर दिया है और यूडी ने भी माना है, डीडीए ने भी माना है कि यह फेक है उसके बावजूद उस फेक कालोनी को नहीं डेमोलिश किया गया, बल्कि जिसमें कई हजार आदमी सैकड़ों लोग रहते थे उस कालोनी को बिल्कुल मिस-बार कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर की तवज्जो चाहता हूं कि इसका री-कंसीडर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरुर इस पर कोई न कोई एक्शन लेंगे और उन लोगों का जिनका घर उजड़ा है, उनको बसाने की कहीं न कहीं इस बारे में सोचे और हमारे यूडी मिनिस्टर साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक मिनिस्टर की हैसियत से जितने सख्त अलफाज में क्योंकि यह एक्शन जो है डीडीए ने नहीं लिया है, प्राइवेट लैंड थी, जिस दिन एक्शन हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने किया। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली सरकार का जो रेगूलराईजेशन में यकीन रखती है, उसी का एक डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट कालोनी को तोड़ता है और 3 बजे, 3 तारीख को ही डीडीए को हैंड ओवर कर देता है। धन्यवाद। शुक्रिया।

उपाध्यक्ष महोदयः हमारे बीच में श्री रमेश लाम्बा, जो एक्स एमएलए है एलजी गैलरी में उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करत हैं। अब मंत्री जी, अनौथराईज्ड कालोनीज पर चर्चा का जवाब देंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, आपने चर्चा का जवाब देने के लिए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर हमारे विपक्ष के साथी भी यहां मौजूद होते तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होता। उनकी बातों का भी जवाब मिल जाता। अध्यक्ष जी, बहुत दुख और चिंता की बात यह है कि हमारे विपक्ष के साथी जब मीटिगों में आते हैं या चीफ मिनिस्टर साहिबा से मिलते हैं या मेरे पास मीटिंग में आते हैं तो एक बात कहते हैं और हाऊस के

अंदर दूसरी बात कहते हैं। बाकी मुद्दे जो इन्होंने उठाये उनका जवाब दूंगा जो रिकार्ड पर आयेगा लेकिन उससे पहले हमारे तीन सदस्यों ने कल चर्चा में भाग दिया जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। श्री माहेन सिंह बिष्ट, श्री धर्मदेव सोलंकी और श्री अनिल झा। अध्यक्ष जी, तीनों ने यह कहा कि उनकी कंस्टीट्यूंसी में जो अनौथराईज्ड कालोनीज हैं, उनकी परेशानी का जिक्र किया। दिल्ली की अनौथराईज्ड कालोनीज का जिक्र किया। मैं रिकार्ड के लिए यह बात कहना चाहता हूं कि मोहन सिंह बिष्ट जी जो करावल नगर से एमएलए हैं उनकी टोटल विधान सभा में 30 अनौथराइज्ड कालोनीज हैं। अध्यक्ष जी, उनमें से 23 पास हो गई हैं और 7 पेंडिंग हैं। इन 23 कालोनीज में डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। उनके यहां एक भी कालोनी ऐसी बची नहीं है जिसमें डेवलपमेंट का काम न हो रहा हो। दूसरे हमारे धर्मदेव सोलंकी जी हैं। उनकी अपनी असेम्बली में 52 अनौथराईज्ड कालोनीज हैं। इनमें से 40 पास हो गई हैं और 40 में से 33 में काम हो चुका है और बाकी 7 के एस्टीमेट, टेंडर वगैरह लगे हुए हैं। तीसरे हमारे एमएलए जो चर्चा में भाग ले रहे थे श्री अनिल झा, उनकी असेम्बली कंस्टीट्यूंसी में टोटल 106 कालोनीज हैं। इनमें से 76 पास हो गई हैं और 30 पेंडिंग हैं। जो 76 पास हो गयी हैं उनमें 50 में डेवलपमेंट का काम हो चुका है और बाकी 26 में वर्क-इन-प्रोग्रेस है। जो एक आध महीने में खत्म हो जायेगा। यानी की 76 की 76 कालोनीज के अंदर जो 895 में आती हैं उनमें डेवलपमेंट का काम लगभग पूरा हो रहा है। ये आंकड़ें मैंने इसलिए दिए कि जिनको अपनी असेम्बली की जानकारी नहीं है वो सारी दिल्ली में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जो 895 कालोनीज हमने पास की हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। यह उनकी विधानसभा की कालोनीज की वस्तु-स्थिति है कि किस तरीके का डेवलपमेंट का काम वहां पर हो रहा है। इसलिए यह कहना मैं समझता हूं कि गैरवाजिब है कि हमने जो 895 कालोनीज पास की हैं उनके डेवलपमेंट की तरफ या कार्यों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। अध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूं कि बहुत ही एतिहासिक

काम दिल्ली सरकार ने किया है और उस समय भी मैंने यह कहा था कि यह महज हमारा एक पहला कदम है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसको इस ढंग से कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई लोकुना न रह जाये कहीं रुल रेज्यूलेशन में कालोनी न फस जाये, उसको हम शॉर्ट आऊट करते आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने जब कालोनीज को रेगूलराईज्ड किया था तो उस समय भी 575 के लगभग कालोनीज रेगूलराईज्ड हुई थीं। यह आजादी के इतिहास के बाद यह पहली मर्तबा हुआ है कि 895 कालोनीज के रुप में इतनी बड़ी संख्या में आथोराज्ड हुई हैं, मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि यह उनकी कद वाली लीडरशिप अवेलेबल थी जिसकी वजह से यह संभव हो गया नहीं तो दिल्ली में कालोनीज पास करवाना, इतनी मल्टीपिली अथारिटीज होने के बाद इतना आसान काम नहीं है और 895 कालोनीज को पास करने के बाद अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी हुई। इन दो-तीन महीनों में मैंने आलमोस्ट 50 से 60 परसैंट एमएलऐज के साथ मीटिंग की। उनकी कठिनाइयों के बारे में जाना। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी कालोनियों में एप्रोच रोड या सड़क टूट गई है क्योंकि अनोथराईज्ड कालोनीज के कुछ नॉर्मस हैं जिसको सरकार को फॉलो करना पड़ता है। इन कालोनियों के ये नॉर्मस थे कि अगर किसी भी अनौथराईज्ड कालोनी की सड़क बननी है तो वह 3 साल से पहले दोबारा नहीं बन सकती थी। अगर कंकरीट की रोड बन गई है तो 5 साल से पहले नहीं बन सकती। उसके बाद समय-समय पर मेरे प्रेडीसर डॉ. ए.के.वालिया जी के टाईम पर एक आर्डर हुआ कि जब तक सीवर ले नहीं हो जायेगा तब तक उसके ऊपर कंकरीट की रोड़ नहीं बन सकती। हम लोगों ने कैबिनेट के माध्यम से वह फैसला किया, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर यह फैसला किया कि ये जो 895 कालोनीज हैं अब इनके ऊपर कोई नॉर्मस नहीं हैं। इनके ऊपर वही नार्मस लागू होंगे जो बाकी अनौथराईज्ड रेगूलराईज्ड

कालोनियों पर लागू होगे। यानि आप रिपेयर कर सकते हैं, आप एमएलए हेड़ लगा सकते हैं। आप इसके अंदर कौंसलर हेड लगा सकते हैं। सीवर डला हो या न डला हो, आप इसके ऊपर सड़क बना सकते है और मैं यह बात अपने साथी विधायकों को इसलिए भी कह रहा हूं कि यह बात मैं रिकार्ड पर कह रहा हूं। अगर हमारा आर्डर पहुंचने में डिले हो तो आप विधान सभा की कार्यवाही के साथ अपनी डेवलपमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको निर्देश दे सकते हैं ताकि वो अपना कार्य आगे ले कर आयें। अब इन कालोनीज के अंदर कोई किन्तु, परन्तु नहीं रह गया। अब इसमें कोई अड़चन नहीं है। अब आप डेवलपमेंट का काम चाहे वो रिपेयर का हो, चाहे नई सड़कें ले करने का हो, चाहे वो सीवर सिस्टम डलवाने का हो, चाहे पानी की लाइनें डलवाने का हो। कुछ कालोनीज ऐसी हैं जिसमें जलबोर्ड की 3-4 साल बाद सीवर डालने की प्लानिंग है। अब तुरन्त प्रभाव से अपना काम करवा सकते हैं। सड़क टूट गई है तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं। अब इन 895 कालोनीज में अब कोई भी किन्तु परन्तु नहीं रह गई है। कोई अड़चन नहीं रह गई है। हमारी सरकार ने इन 895 कालोनीज के लिये यह काम किया। रजिस्ट्री खोलने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एलजी साहब के पास फाईल भेज दी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिनों में आ जायेगी। उसके अंदर हमने इस बात का प्रावधान किया है कि क्योंकि जो अब 895 की लिस्ट बनी थी उसके अंदर हमने 312 को डारेक्ट प्राईवेट लैंड के ऊपर डिक्लेयर की थी। भारत सरकार के नॉर्मस हैं जिसका मेनशन हमारे साथी भी कर रहे थे, लैंड कॉस्ट लेने की बात है और वो भारत सरकार का आर्डर है। अध्यक्ष जी, उसमें 312 कालोनीज प्राइवेट लैंड पर हैं उनकी रजिस्ट्री तुरन्त खोलने के लिये लिखा है। लेकिन बाकी की जो कालोनीज हैं उनके लिए हम एक सर्वे करवा रहे हैं। क्योंकि 2012 का उपराज्यपाल महोदय का आर्डर है जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड को डिफाईन किया हुआ है। उसके अंदर जो उन्होंने डेफीनेशन दी थी उस डेफीनेशन के हिसाब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह कहा गया है कि वे सर्वे करें। डेफीनेशन के आधार पर वे तय करेंगे कि

कौन सी प्राइवेट कालोनी हैं और कौन सी गवर्नमेंट कालोनी हैं। उस सर्वे की डेड लाईन हमने 25 दिसम्बर रखी हुई है। इस तारीख तक यह सर्वे पूरा होगा। हमारे साथी कह रहे थे कि कब हम पैसा इकट्ठा करना शुरु करेंगे। कब सर्टीफिकेट देंगे। अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि कोई भी काम हो वो दस दिन लेट हो जाये लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय न हो। जो कालोनी प्राइवेट लैंड पर है उनसे हम किसी कीमत पर पैसा नहीं लेना चाहते। हम केवल उन्हीं कालोनीज से पैसा इकट्ठा करेंगे जो गवर्नमेंट लैंड पर है। मुझे उम्मीद है कि इस सर्वे के आने के बाद एक अलग सी स्थिति ऊभर कर आयेगी। क्योंकि कुछ कालोनीज ऐसी है जिसका कुछ पार्ट प्राइवेट लैंड पर है कुछ पार्ट गवर्नमेंट लैंड पर है। मुझे उम्मीद है कि हम यह सब जनवरी तक कर पायेंगे। अध्यक्ष जी, तीसरा, हमारे साथी कह रहे थे कि इन कालोनीज का नक्शा पास नहीं हो पा रहा। इन कालोनीज में नक्शा पास क्यों नहीं हो रहा। यह हर चीज हमारे ऊपर मड़ने की बजाय अगर अपनी पार्टी की बैठक कर और इनकी जो एमसीडी की लीडरशिप है उनको यह समझाने की कोशिश करें तो शायद दिल्ली के लोगों के लिए भी अच्छा होगा और इन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। आज दो महीने हो गये हम लोगों को इनको कहे हुए कि आप ले-आउट प्लान बनाईये। ले आउट प्लान बनाईये। ले आउट प्लान बनाना किसकी जिम्मेवारी है, लोकल बॉडी की जिम्मेवारी है। ले आउट प्लान अगर ये जल्दी नहीं बनाते तो मकानों के बिल्डिंग बॉयलाज कैसे लागू होंगे और ये बॉयलाज लागू नहीं होंगे तो ये हाऊस टैक्स कैसे लेंगे। ये अपने हाऊस टैक्स की कलेक्शन का भी लॉस कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और दिल्ली की उन अनौथराईज्ड कालोनी में रहने वाले लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वे बिना नक्शे के बनायें। हमने तो इनके सामने यह भी सुझाव रखा था कि जिस तरीके से लाल डोरा के अंदर यह आर्डर है कि अगर कोई आदमी लाल डोरा सर्कल के अंदर रहता है और एसडीएम उसको कह देता है कि लाल डोरा सर्कल के अंदर है तो वह बिल्डिंग बॉयलाज के हिसाब से मकान बनाना चाहे तो वो बिल्डिंग बॉयलाज के बिना नक्शा पास

कराये मकान बना सकता है। हमने कहा था कि जब तक आप ले आउट प्लान फाईनल नहीं करते, आप इसी तरीके का प्रोवीजन अनौथराईज्ड कालोनी के लिये क्यों नहीं रखते कि जो सर्टीफाई एसडीएम कर देता है कि ये अनौथराईज्ड कालोनी की बाउंड्री के अंदर रहते हैं और वे बिल्डिंग बॉयलाज के हिसाब से अपना नक्शा बनायें, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तैयार नहीं है। ये अपने अंदर झांके, हमें सलाह न दें। ये पिछले 6 साल से एमसीडी में गवर्न कर रहे हैं। अगर ये वहां का काम निश्चित रुप से ठीक तरीके से करें तो निश्चित रुप से यह काम और तेजी से बढ़ेगा। हमने अभी यह फैसला किया है कि हम इनको लेआउट प्लान करने के लिए हमको इन्हें कुछ पैसा भी एडवांस देना पड़ेगा जो बाद में हम इनेस एडजस्ट कर लेंगे, हमें वह देना पड़ेगा तो हम वह भी देने को तैयार हैं, पर हम इनको कोई बहाना नहीं देना चाहते कि लेआउट प्लान में ये किसी भी प्रकार की देरी करें। दूसरे अध्यक्ष जी, मैं उन कालोनियों की बात करना चाहता हूं जो इन 895 से अलग हैं। जैसा हमने पहले कहा कि हम 895 को रैगूलराइज करेंगे। हमारे साथी संगम विहार की और बाकी जो फारैस्ट लैण्ड की बात कर रहे थे कि उनमें कुछ नहीं हो रहा वहां डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष जी, हमने उसके लिए भी रास्ता निकाल लिया है जो हमारी तमाम फारैस्ट की कालोनी हैं जो हमारी एएसआई की कालोनीज हैं उसके अन्दर हमने 100 मीटर का सर्कल बना लिया है और फारैस्ट की लैण्ड आइडेंटीफाई कर ली है। इसलिए जो बाकी पोर्शन है जो गवर्नमैंट आफ इंडिया का आर्डर है और मास्टर प्लान है वह यह कहता है कि कालोनीज और पार्ट आफ कालोनीज तो जितना भी पोर्शन फारैस्ट में पड़ता है जितना पोर्शन एएसआई में पड़ता है उसको छोड़कर बाकी सबको भी हम आने वाले समय में रैगूलराइज करने वाले हैं, हमारी यह कोशिश है कि जितनी भी हमारी 1639 की 1639 सही होंगी इनमें कुछ लोगों ने ऐसे भी एप्लाई कर दिया होगा जो कालोनी सही नहीं है। लेकिन जिस भी कालोनी के अन्दर लोग रह रहे हैं जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करते हैं कि 2002 में एक्जिस्टेंश हो 2007 के

अन्दर 50 परसेंट का बिल्टअप एरिया हो, जो भी इन नार्मस पूरे करते हैं उनको रैगूलराइज करने में हमको जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह हम करेंगे और हम विकली इसको रिव्यू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के लेवल पर मंथली रिव्यू हो रहा है अनौथराइज कालोनी हमारी कमिटमेंट भी है और हमारे मैनीफैस्टो का हिस्सा भी है। जिस तरीके से हमने 895 कालोनियों के लिए कदम उठाए हैं वैसे ही हम बाकी कालोनियों के लिए भी निश्चित रुप से करेंगे। हमारे भाई आशिफ जी ने अपनी कालोनी की बात की उसके लिए हम लोगों ने आलरेडी इन्क्वायरी के लिए कहा हुआ है 10 दिन के अन्दर उसकी रिपोर्ट आएगी निश्चित रुप से वह इनक्रोचमेंट नहीं होगी तो बिल्कुल जो हमने कहा है वह करेंगे, लेकिन फोटो एरियल सर्वे जो है 2007 का हमारे पास आ जाएगा उसको एकार्डिंगली हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि लेआउट प्लान के लिए हम लोग इनको तो काम शुरु करने के लिए कह ही रहे हैं हम लोग तकरीबन एक लाख के करीब का खर्च कह रहे हैं कि लेआउट प्लान का आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग इस बात के लिए भी अगर कोई आरडब्ल्यूए अपना लेआउट प्लान बनाती है और उसे एमसीडी को देती हैं तो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आप लोगों के सुझाव भी हमें इसमें चाहिए होंगे कि अगर हम एमएलए हैड को अलाउ कर दें लेआउट प्लान को बनाने के लिए तो और जल्दी से इसके अन्दर काम हो सकता है। इसलिए हम उस दिशा की और सोच रहे हैं क्योंकि हमारी भी यह कोशिश है कि दिल्ली में अनौथराइज कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगे और इन कालोनियों का फायदा भी तभी होगा जब रजिस्ट्री खुल जाए, हमने डेवलपमेंट के नॉर्मस आलरेडी सब ठीक कर दिए हैं और तीसरा इनमें नक्शे पास होने लग जाएं ताकि अपना नक्शा बनाकर जो आदमी को अपना बनाना है वह बनाएं। यह कहते हुए मैं अपने सभी तमाम सदस्यों को और बाउंड्री के बारे में नसीब जी ने कई मरतबा उठाया है कि कुछ कालोनीज की बाउंड्री गलत फिक्स

कर दी है उसी के लिए अगर नसीब सिंह जी आपको याद हो मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि हमने टास्क फोर्स जो गठित की है उनमें तमाम इस तरीके की जो कमियां रह गई हैं कोई कालोनी हमसे गलत हो गई है या किसी की बाउंड्री गलत फिक्स हो गई है उनको हमने आलरेडी अथौराइज कर दिया है और हम लोगों ने ये क्लीयरकट इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के नॉर्मस हैं, वे नॉर्मस ये हैं कि आरडब्ल्यूए ने जो भी अपना नक्शा जमा कराया है अगर वह 2002 में एक्जिस्ट करता है और 50 परसेंट बिल्टअप है तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसके अन्दर फालतू की दखलंदाजी करें, जो उस आरडब्ल्यूए के नक्शे के हिसाब से मकान अंदर आते है वे तमाम रैगुलराइज होंगे, इस दिशा की और टास्क फोर्स कार्य करेगी और आपने जो कम्पलेंट की है उसको हम देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि टास्क फोर्स उसको जल्द ही उसको सुलझाएगी। यही कहते हुए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सदन में फिर यह दोहराना चाहता हूं कि हमें उम्मीद है कि हम फरवरी मार्च तक इन अनौथराइज कालोनीज के तमाम इश्यूज को शार्टआउट कर देंगे और दिल्ली के लोगों को जो कांग्रेस की सरकार ने वादा किया उसको हम निश्चित रुप से पूरा करेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय-धन्यवाद मंत्री जी।

श्री शोएब इकबाल-अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा हादसा होता है कहीं आग लगती है झुग्गी झोपड़ी में तो ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से उनके लिए कैम्प लगाकर दिए जाते हैं, जो हालत कल हमने देखे हैं आशिफ भाई थे हम लोग थे वहां छोटे-छोटे मासूम बच्चे थे, ठण्ड का मौसम और ऊपर से बरसात, कम से कम इन्सानियत के नाते आप उनके रहने के लिए टैन्ट और खाने के लिए कुछ इंतजाम कर दें, जब तक आपकी रिपोर्ट आ रही है। मेरी आपसे यह हम्बल रिक्वेस्ट है और मैं समझता हूं कि इन्सानियत के नाते आप यह काम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

शहरी विकास मंत्री-अध्यक्ष जी, मैं इसको दिखवाता हूं।

श्री शोएब इकबाल- आप इसमें करवा देंगे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कहा।

उपाध्यक्ष महोदय- अब भी मुकेश शर्मा, श्री नसीब सिंह, श्री नन्दकिशोर दिल्ली सरकार के सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों में सरकार की संवेदनशीलता एंव उसके कार्यान्वयत पर सदन में अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री शोएब इकबाल-अध्यक्ष जी, अल्लाताला हमारी मुख्यमंत्री साहिबा को उम्रदराजी दें अच्छा स्वास्थ्य दें, ऐसी हमारी दुआएं हैं जनता की दुआएं भी हैं। जब आदमी बीमार होता है तो अच्छे काम करता है उससे दुआएं लगती हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप ऐसा कर लेंगी, अल्लाताला आपके इन शब्दों को कबूल कर लेगा। आप कह तो दीजिए, इसमें क्या है।

श्री मुकेश शर्मा-अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दिल्ली में सोशल सैक्टर में जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर अन्नश्री जैसी सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष की नियत सुबह से इसलिए ठीक नहीं थी कि उनका सोशल सैक्टर पर और दिल्ली के गरीब आदमियों के लिए बनाई जा रही सरकार की अन्नश्री जैसी महत्वपूर्ण योजना में कोई रुचि नहीं है और दिल्ली में पूरा विपक्ष गरीब आदमी के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने सुबह जो रवैया अख्त्यार किया यह शुरु से लग रहा था कि यह रवैया ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार है जहां कुल बजट का 64 परसेंट सोशल सैक्टर पर खर्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहने के लिए खड़ा

हुआ हूं कि सोशल सेक्टर के अन्दर न केवल एमसीडी योजना है, मैं अभी एमसीडी पर आ रहा हूं इस सोशल सैक्टर को दिल्ली में ओल्डएज पेंशन दी जा रही है। इसी सोशल सैक्टर में 1,56,869 लड़कियों को लाडली योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली भारत का पहला राज्य है, जहां आबादी के अनुपात में 26622 विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिल्ली सरकार ने इसी सोशल सैक्टर के अन्तर्गत दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसी सोशल सैक्टर के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐसी सरकार हैं कि जिस दिल्ली की सरकार ने न केवल एजुकेशन, न केवल एससीएसटी/ओबीसी बल्कि हमारी सरकार ने मॉइनॉरिटी के स्टूडैण्टस को भी बाकायदा इस सोशल सैक्टर के अंतर्गत कवर किया है। जो हमारी सरकार का नायाब काम है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस केश सब्सिडी को लेकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में गई, कि ये कैश सब्सिडरी क्यों दी जा रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ये सरकार हैं, जिसकी पेंशन भी ईसीएस बैंकों में जा रही है। आज एमसीडी के कार्पोरेटर्स पेंशन को ईसीएस इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि उसके अंदर आधी-आधी रिश्वतखोरी बांटी जा रही है। यह हमारी सरकार है, जिसने करप्शन को खत्म करने के लिए हर स्कीम में ईसीएम सिस्टम को लागू किया है। आज विधवा पेंशन का पैसा सीधा बैंकों में जा रहा है। ओल्ड एज पेंशन का पैसा सीधा बेंकों में जा रहा है। कोई एक योजना ऐसी नहीं है, जिसके नगद राशि एन्वाल्व हो और उसमें ईसीएस न किया जा रहा हो। हम दिल्ली की पहली सरकार हैं पूरे देश के अंदर कि जिसने इस सिस्टम को लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निस्संदेह निश्चित तौर पर दिल्ली में ऐसे हालात नहीं हैं कि दिल्ली में कोई भूखा सो रहा हो। दिल्ली के अंदर बिल्कुल ऐसे हालत नहीं हैं कि दिल्ली के अंदर

इतनी ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे लोग रह रहे हों कि दिल्ली में जीना ही मुश्किल हो। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली भारत का दूसरा राज्य है, जहां पर कैपिटा इन्कम सबसे ज्यादा है और एक साल के अंदर 25783 रु. पर कैपिटा बढ़ी है जो किसी राज्य का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय ये हमारी सरकार की डेवलपमैंट की नीतियों का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अन्नश्री योजना शुरु करने का अर्थ ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं या भूखे सो रहे थे। अन्न श्री योजना शुरु करने का मतलब केवल और केवल ये था कि बीपीएल के जो राशन कार्ड थे, उसमें भारत सरकार का कैप है और उस योजना के अंतर्गत 24200 रु. की एक कण्डीशन लगा रखी है, अध्यक्ष महोदय, मुझे संदेह है कि 24200 रु. सालाना इन्कम वाला व्यक्ति दिल्ली में रह सकता है या नहीं रह सकता है। मुझे इसमें थोड़ा सा क्षमा करना संदेह है, मैं बीपीएल कार्ड की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये अन्न श्री योजना इसलिए शुरु की गयी कि भारत सरकार का कैप होने की वजह से हम जिन गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड देना चाहते थे। हम जिन गरीब लोगों को पीडीएस सिस्टम में लाना चाहते थे, भारत सरकार के कैप की वजह से उनको नहीं लागू कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसलिए दिल्ली की सरकार ने यह फैसला किया कि वह अपनी फंडिंग से 6 सौ रु. महीना उन परिवारों को देगी जिनको हम बीपीएल नहीं दे सके। यह ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं कि जो वह अन्नश्री का फार्म है, वह फार्म किसी की सिफारिश से या रिश्वत देकर नहीं मिल रहा है। वह अन्नश्री का फार्म दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत जीआरसी जो एनजीओज हैं, वह राशनकार्ड होल्डर्स के घर पहुंचा रहे हैं। वह फार्म भरकर लेकर यह सुविधा भी सरकार ने उनको दी है और इसमें कोई करप्शन न हो। कोई गलत आदमी इसका फायदा न उठा सके, जैसे कि बीपीएल कार्डस में कई जगह हेराफेरी हुई दिल्ली के अंदर, यह तय हुआ है कि यह पहली योजना

दिल्ली में है, जिसमें आधार कार्ड के आधार पर दिल्ली में लागू किया जा रहा है। जिसके पास यआईडी कार्ड है, वही इस स्कीम के अंन्तर्गत पात्र है। दो लाख लोगों को दिल्ली सरकार ने पहले चरण में चिह्नित किया है। अन्नश्री योजना के तहत। जिन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। 1 अप्रैल से 4800 रु. उनको अलग से मिलेंगे और 600 रु. महीना उनके खाते में जायेगा। अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को त्यागराज स्टेडियम में हमारी आदरणीय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों से इस योजना का शुभारम्भ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का गरीब आदमी सरकार की और देख रहा है और इस योजना के अन्तर्गत में कहना चाहूंगा कि माफ करेंगे हमारे मंत्री जी हारुन यूसुफ साहब, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने जो इस योजना में उस परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से जो खाते में आपने कैश सब्सिडी देने का फैसला किया है, ये कैश सब्सिडरी अन्नश्री तो है ही है लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारी सरकार का, या हमारी दिल्ली की सरकार का जो महिला सशक्तिकरण का मिशन है, अन्नश्री योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मैं मानता है। क्योंकि आपने ये खाता महिला के नाम से खोला है, और अध्यक्ष महोदय, इस खाते के अंदर पैसा जायेगा, जरुरी नहीं कि वह उससे आटा खरीदे या दाल खरीदे। वह उसके जिस इस्तेमाल में लाना चाहे, वह उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, वो कार्ड सरैण्डर करके इस अन्नश्री में आना चाहते हैं। यदि बीपीएल सिस्टम में, पीडीएस सिस्टम में कितना राशन मिलता है, उसमें लीकेजिज हैं, सरकार भी मानती है, प्रशासन भी मानना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अन्नश्री जैसी योजना को लागू किया है। अच्छा होता कि हमारे दोस्त यहां पर

होते। अध्यक्ष महोदय, हम पहला राज्य हैं अन्नश्री लागू करने वाले। इनकी गुजरात में सरकार है। गुजरात के आंकड़े यह कहते हैं कि 28 प्रतिशत बच्चे गुजरात में रात को भूखे सोते हैं। जहां पर इनके वुड बी क्या हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मोदी शोदी क्या हैं जो भीं कहें, अध्यक्ष महोदय, उस स्टेट की ये हालत है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के आंकड़े मैं बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की 39 प्रतिशत बच्चे भूखे सोते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सरकारों का हाल है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रान्त जो कृषि प्रधान राज्य है, अध्यक्ष महोदय, पंजाब जैसे राज्य में जहां अकालियों का और भाजपा गठबंधन का शासन है, वहां भी 13 परसैंट ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पूरा भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सरकारों का हाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमने सोशल सैक्टर में न केवल अन्नश्री जैसी योजना को शुरु किया है, हमने सोशल सैक्टर के अंदर अपनी रसोई, आपकी रसोई, अपनी रसोई हंगर फ्री कैम्पेन दिल्ली में चलाया, दिल्ली की सरकार ने चलाया। और ये पहली संवेशनशील सरकार है, जिसने आपकी रसोई कार्यक्रम के अंतर्गत 15 रु. में न्यूनतम में उस गरीब आदमी को पका हुआ खाना देने का फैसला किया और सरकार उस पर पैसा खर्च नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात करेक्ट करना चाहती थी, मुकेश जी माफ कीजिएगा कि जो हमारी जनाहार की योजना है, उसके तहत 15 रु. में खाना मिल जाता है। लेकिन आपकी रसोई जो है, वह बिल्कुल मुफ्त है। वह उन लोगों के लिए है, जिनके पास 15 रु. भी नहीं होते हैं।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर दो आउटलेट ये इकट्ठे हैं, वहां पर ये कई दफा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये दो योजनाएं हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ फिर ये जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली में हालांकि ऐसे हालात नहीं हैं कि दिल्ली में कोई गरीब या कोई बहुत ज्यादा भूखा आदमी सो रहा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहने के लिए भी खड़ा हूं कि हमने सोशल सैक्टर में न केवल जनाहार, न केवल आपकी रसोई योजना शुरु की है, बल्कि हमने सोशल सैक्टर के अंदर ही केरोसीन फ्री दिल्ली कैम्पेन हमने चलाया। आज चूल्हा सिलैण्डर हम उस व्यक्ति को डुअर स्टेप पर जाकर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमने सोशल सैक्टर के अंदर दिल्ली के अंदर, एक नहीं, हमने अनेकों योजनाएं शुरु की हैं। जिनसे दिल्ली के अंदर खुशहाली बढ़ी है और दिल्ली के अंदर लोग अपने आप को ये महसूस कर रह हैं कि दिल्ली की सरकार आम आदमी के साथ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री से आग्रह करने के लिए भी खड़ा हुआ हूं। ये जो हमारी अन्नश्री योजना है इसके अंदर जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके आधार कार्ड जल्दी से तय करवायें या बन जायें। और जो लोग इस सर्वे से छूट गये हैं। उनको जब दो लाख का कैप आपका पूरा हो, तो उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये भी मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ आपसे ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अच्छा होता कि विपक्ष के साथी हमारे साथ यहां पर होते, बहस में थोड़ा और मजा आता।

हमारी सरकार पूरे तरीके से दिल्ली के अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर लोगों को बाकायदा हर योजना के तहत खाद्य सुरक्षा की गारन्टी देने की नीयत से अन्न श्री योजना लाई है और अध्यक्ष जी, हम दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अन्न श्री योजना के तहत, जन आहार के तहत, अन्न श्री के तहत, आपकी रसोई के तहत और

अध्यक्ष जी, भागीदारी आता है। 20 हजार मीट्रिक टन आटा हम दिल्ली के लोगों को भागीदारी योजना के अंतर्गत दे चुके हैं, यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को जब त्यागराज स्टेडियम में सोनिया गांधी जी इस योजना का शुभारम्भ करेंगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली में दिवाली जैसा माहौल होगा और हम आशा करते हैं कि गुजरात जैसे प्रदेश जहां पर नाटकबाजी हो रही है वो प्रदेश भी इस योजना को अपने राज्यों में लागू करेंगे और दिल्ली का अनुसरण करके दिल्ली के गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जायेगी। आपने मुझे बोलने के लिए सामय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अध्यक्ष जी, एक बार फिर मैं फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर का आभार प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी महत्वपूर्ण योजना लेकर आये हैं और उसको लागू कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आज इस एक अल्पकॉलिक चर्चा जो मुकेश शर्मा जी ने दिल्ली सरकार की सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मुकेश जी ने बताया और उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र भी किया। अध्यक्ष जी, हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1998 में एक शुरुआत थी कि जब दिल्ली में Old Age Pension के नाम पर दो सौ रुपए मिलते थे। आज हमारी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के उन बुजुर्गो को हजार रुपए और ऐसे कमजोर वर्ग के लोग जो SC, ST या मॉयनरिटी में आते हैं। उनको 1500 रुपए और 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है। उनको भी 1500

रुपए जो मुझे लगता है कि अगर घर में दो बुजुर्ग हो तो तीन हजार रुपए में उनका खर्चा आज के जमाने में ठीक से चल सकता है। ऐसी व्यवस्था की। इसके लिए मैं अपनी सरकार की मुखिया को बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी तरह से विकलांगों के लिए जो कमी सिर्फ जो युवा होते थे। उन्हीं को मिलती थी। लेकिन आज अगर कोई बच्चा पैदा होते ही विकलांग होता है। उसको भी सरकारी अस्पताल का यह सर्टिफिकेट मिलता है कि वो विकलांग है। आज उसको भी पेंशन हमारी सरकार दे रही है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जिस तरह से विधवाओं को दस हजार रुपए मिला करते थे और पूरी जिन्दगी दस हजार रुपए देने के बाद उसको कोई पेंशन का सरोकार नहीं था। आज वो संवेदनशीलता हमारी मुख्यमंत्री जी ने इस दिल्ली सरकार में रहते हुए दिखाई कि विधवा अपने जीवन यापन के लिए अगर कुछ नहीं कर पाती है। जैसा कि गरीब घरों में अक्सर होता है। आज उसको हजार रुपए महीने की पेंशन मिलती है। उसकी लड़की की अगर शादी होती है तो उसकी शादी के लिए तीस हजार रुपए की सहायता मिलती है। और तो और मैं अपनी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कि जिन्होंने उन तलाकशुदा महिलाओं को जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया या उनके केस भी चल रहे हैं। अगर उसका केस भी चल रहा है। उसको भी पेंशन देने का जो हमारी सरकार ने इस सामाजिक व्यवस्था में अपना रोल अदा करने की बात शुरु की है। यह अपने आप में एक अलग तरह की पहचान बनाती है। वे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने गुजरात में जाकर सुशासन की बात की और बिल्कुल सुशासन है। वो मुख्यंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री जो अपने आपको मुख्यमंत्री कहते हैं। उनके माथे पर उन हत्याओं का कलंक भी लगा हुआ है। वो सुशासन नहीं कहलाता। अगर राजा अपने प्रदेश में, अपने राज में हत्या करवाता है तो वो राजा नहीं रहता है। वो उस राजा की बात कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी का यह सुशासन है और यह बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से इस सामाजिक व्यवस्था में गरीबों के लिए योजनाएं शुरु की और उन योजनाओं को लागू करके आज दिल्ली में तीसरी बार जब

सरकार बनी और चौथी बार भी बनेगी क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जो दिल को छूने वाली हैं जिससे कि लोगों के दिलों में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए एक अपनी जगह है। आज अगर दिल्ली को kerosene free किया गया तो इसमें उन गरीबों को फ्री गैस सिलेन्डर देने का और एक स्टोच देने का कार्यक्रम बनाया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से इस सामाजिक व्यवस्था में दिल्ली कल्याण समिति समय समय पर उन लोगों की मदद करती है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है जिससे ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को, ऐसे बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है जिनको इस मदद की बहुत खास जरुरत होती है। लाडली योजना के बारे में बताया गया कि पहली बार दिल्ली में जिस तरह से लाडली योजना की शुरुआत की गई। अध्यक्ष जी, जिन स्कूलों में लड़कियों की संख्या बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। आज उन सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या एकदम से वो आंकड़े बताते हैं कि 30 से 40 परसेंट बढ़ गई है। आज उन बच्चियों को 12वीं पास करने के बाद एक लाख रुपया मिल जाता है। गरीब आदमी की बच्ची को अगर एक लाख रुपए 12वीं पास करने के मिल जायें। अध्यक्ष जी, बहुत सारे तो ऐसे गरीब लोग होते हैं जो शायद एक लाख रुपए में उसकी शादी भी कर सकते हैं। लेकिन वो आर्थिक सहायता इसलिए है कि वो अपनी पढ़ाई कर सके या उसके आगे आने वाले जीवन को आगे ले जाते हुए वो अपने आगे के जीवन को सुधार सके। यह सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का एक बहुत बड़ा कदम उसी तरह से SC, ST & Minority के लोगों को छात्रवृत्ति देने का काम उसी तरह से, आश्रम खोले गए। Shelter House खोले गए।

अध्यक्ष जी, आज किसी भी प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था शायद देखने को नहीं मिलेगी कि रात में ठहरने के लिए आश्रम गृह बनाए गए और उसके साथ-साथ खाने के लिए उनको minimum पैसे में भरपूर भोजन देने की व्यवस्था की गई। उसके साथ साथ फ्री व्यवस्था भी लोगों ने बहुत सारी एन.जी.ओ ने सहायता की और वो आगे आये कि हम

मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं को देखते हुए हम भी सरकार की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसी तरह से मैं इसमें जरुर एक बात को रखना चाहता हूं कि उन गरीब आदमियों की बी.पी.एल की एक केटगारी फिक्स की गई है। जब स्कूलों में गरीब बच्चे की केटगारी के लिए हमारे मंत्री जी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक लाख रुपए की इनकम वाले लोगों के बच्चों को फ्री EWS में दाखिले का प्रोविजन किया गया है। हमारी भी मुख्यमंत्री जी आपसे यह निवेदन है कि इस 24200 की केटगरी को निकालकर उसको एक लाख रुपए की केटगरी में डाला जाए जिससे बहुत सारे लोगों की जिससे बहुत सारे लोगों की जो मदद करने की जरुरत पड़ती है जिनको कई कारणों से मदद नहीं हो पाती है। उसको पूरा किया जा सके। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जहां प्राइवेट स्कूलों में बच्चे उसके दरवाजे की तरफ नहीं देख सकते थे। आज हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की कि 25 परसेंट उन गरीबों के बच्चे उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे जिनमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। यह एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। एक सामाजिक परिवर्तन में जो हमारी सरकार ने उठाया, उसी तरह से एस.सी, एस.टी चौपाल अगर 1993 से लेकर 1998 तक जब बी.जे. पी की सरकार रही। अध्यक्ष जी, एक भी चौपाल या एक भी बस्ती में SC, ST की बस्तियों में एक भी पैसा अगर खर्च किया गया हो तो आज ये हमें उठाकर बता दें। यह पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई और राजकुमार चौहान जी ने जिस तरह से SC, ST की बस्तियों के लिए और चौपालों के लिए दिल खोलकर जो पैसा दिया। मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री नसीब सिंह: शोएब भाई ये तो सिद्धान्त का मामला है। आप सिद्धान्त पर रहो, सैंद्धान्तिक बात करो और वो बात करो जो जनता के फेवर की हो। किसी के भुलावे में

आकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इस सामाजिक व्यवस्था में जो गरीब आदमियों की मदद दिल्ली में हुई है। सरकारी अस्पतालों में जो गरीब आदमी का इलाज होता है।

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब, आप मत बोलिए। आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, अगर किसी गरीब आदमी का दिल का ऑपरेशन होना हो तो उसके पास लाखों रुपए नहीं हैं। यह भी व्यवस्था दिल्ली की सरकार ने आरोग्य निधि के माध्यम से की कि उसको पूरा पैसा आरोग्य निधि जमा करे और उस गरीब आदमी का ऑपरेशन हो जाए। जिस तरह से सब्सिडी देकर उन गरीब लोगों को बिजली में भी राहत देने की कोशिश की गई। यह भी अपने आप में एक साहसिक कदम है। अध्यक्ष जी, सामाजिक सुविधा संगम, स्त्री सशक्तिकरण, ऐसी बहुत सारी योजनाओं पर जिस भागीदारी को लेकर जिस तरह से दिल्ली में एक अलग तरह का एक अलख जगाया गया। वहां की Resident Welfare Association को वो अधिकार दिए गए कि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप डाइरेक्ट मिलकर उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको बजट भी दिया जाता है। ऐसा कभी किसी सरकार ने गुजरात में मोदी की सरकार ने नहीं किया होगा। मोदी तो सुनने में आता है कि वो तो मिलते भी नहीं हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी के घर पर सुबह, शाम कोई भी आम आदमी जाकर मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री गुजरात कभी किसी पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक हीयरिंग नहीं करते हैं। यह बिल्कुल एक सच्चाई है। मीडिया वाले भी इस बात की जानकरी रखते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किसी भी आम आदमी से न तो सैक्रेटरिएट में मिलते हैं और न घर में मिलते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से मुकेश जी ने गुजरात और एम.पी में वहां की reports के बारे में बताया। यह सोचनीय है। अगर कुछ बड़ी बड़ी अपनी विधान सभाओं में जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मंत्री गुजरात में या दूसरे

प्रदेशों में काम करते हैं। अगर उन्होंने वहां पर अपना कुछ पैसा खर्च करवाकर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की हो। अब जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में अखबारों में आ रहा है कि सारा पैसा, राहुल गांधी जी ने कहा कि सारा पैसा गुजरात का बजट का पैसा तीस, 40 परसेंट पैसा एक ही विधान सभा में खर्च किया गया है जिससे वो जिन्दगी भर खड़े रहें और वो कहते हैं कि दूसरों पर ऊंगलियां उठाते हैं। दूसरों की सामाजिक व्यवस्था, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था पर ऊंगलियां उठाते हैं। किसी की प्रेमिका के बारे में बोलते हैं किसी की उसके बारे में बोलते हैं। ये लोग इस तरह की बातें करके मुख्यमंत्री का रोल या राजा का रोल अदा नहीं करते। ये अपनी इनकी जो औकात है, ये जो नीचता की भाषा है। उसका इस्तेमाल करके देश के लोगों को यह जताना चाहते हैं कि हम जितने समाज सुधारक भी हो सकते हैं, उतने बड़े गन्दे भी हो सकते हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो रहा है। शालीनता नाम की कोई चीज नहीं है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बार-बार बोला जाये, हम सच के साथ बोल रहे हैं। कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं लेकिन दिल्ली को जनता को वो तीन चुनावों में वो भ्रमित नहीं कर पाये। उन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ते गये और मल्होत्रा जी को बहका लिया। मैं 1965 में पैदा हुआ उस समय अपने मल्होत्रा जी दिल्ली के चीफ एक्जीक्यूटिव कांऊसलर यानि मुख्यमंत्री थे। अब ये बताइये मैं तीसरी बार मेम्बर बन गया ये आदमी अभी यहीं बैठने की चाह रखे हुए है। डॉ. साहब आपने ठीक कहा कि ये तो अभी कांऊसलर भी बनना चाहते है, ये चाहते हैं कि जो एमसीडी का काम है वो भी मैं ही देख लूं। तो इस तरह की जो इनकी नीयत है, इस तरह से सरकारी तौर पर लोगों की हत्याएं करने का आरोप है वो किसी से छिपा नहीं है और उस मोदी के बारे में कहते हैं कि वहां पर सुशासन है। जो सरकार लोगों की हत्याएं करवाती हो वो सुशासन है। सुशासन तो दिल्ली में हैं जो इतनी सारी योजनाएं लागू करेक समाज में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाये कि हमें भी इनका लाभ मिल रहा है। और तो और यूपी, बिहार, राजस्थान

न जाने कहां कहां से लोग इस दिल्ली में आये हैं ये दिल्ली दिल्ली नहीं अपितु एक मिनी भारत है। जिसमें पूरे देश के लोग यहां रहते हैं और उनको सारी सुविधाएं मिलती है। वो सुविधाएं नहीं जो बम्बई में, महाराष्ट्र में शिव सेवा के लोग उत्तर भारत के लोगों पर अंगुली उठाते हैं। उनको बाहर खदेड़ने की बात करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार बनाने की योजना बनाते हैं। दिल्ली में आधार कार्ड का सर्वे जो 2008 में किया था। पांच साल हो गये। मेरा यह निवेदन है कि गरीब लोगों का जो सर्वे हुआ था उसमें से 60-70 परसेंट लोग पलायन कर चुके। और उसके बाद जो गरीब आदमी होता है, ये जो योजनाएं आपने शुरु की हैं उसका जवाब नहीं है क्योंकि वो रिक्शे वाला कहीं बैठ कर जिसने कभी स्थान नहीं देखा था, उसको भी योजनाओं का लाभ मिला। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और जिसने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं होगा कि मुझे राशन कार्ड नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उस आखिरी आदमी को देने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई सबूत भी नहीं है तो आपका सबूत बनाया जायेगा। आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका खाता खुलवाया जायेगा। उसके बाद वो सुविधा आप तक पहुंचाई जायेगी। ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा, ये सरकार जो गुजरात की सरकार है। उन अल्संख्यकों को मारने का काम कर रही थी। कभी किसी को सुधारने का काम नहीं कर रही थी। अध्यक्ष जी, एमसीडी की योजनाएं हैं। इनकी सरकार छह साल से एमसीडी में है।

अध्यक्ष महोदयः थोड़ा जल्दी कर दीजिए।

श्री नसीब सिंहः ठीक है सर, मैं जल्दी कर रहा हूं। एमसीडी के स्कूलों में जो मिड-डे मील स्कीम है वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कांऊसलर हैं उन सबने

एनजीओ बनाए हैं और सारी की सारी सप्लाई कांऊसलर के रिश्तेदार या उनके किसी रिश्तेदार के नाम से चल रही है और घटिया खाना दिया जा रहा है। अगर सौ पैकेट दिये जा रहे हैं तो चार सौ लिखे जा रहे हैं। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही खतरनाक हो रही हैं। मैं आज मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में नई नई योजनाओं को लागू करने का प्लॉन किया जा रहा है और मनमोहन सिंह उन प्लॉन को इम्पलीमेंट करने का काम स्टेटवाइज कर रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि किस तरह से उनके दिल में गरीब के लिए दर्द है और किस प्रकार से अन्न श्री की योजना, एफडीआई की योजना से दिल्ली को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब वो दिल्ली में एफ डीआई लागू होगी तो दिचाऊंकलां के लोग जो गोभियां बेचने से खुश हो रहे हैं, उन लोगों ने दिवाली मनाई।

अध्यक्ष महोदयः नसीब जी समाप्त कर लीजिए कई बोलने वाले हैं।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, मैं अपनी दिल्ली की मुख्य मंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को एक बार फिर से बधाई देता हूं जो ये योजनाएं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगी तो अगले चुनाव में हम चुनाव जीत कर आएंगे और दिल्ली की मुख्य मंत्री रिकार्ड बनाएंगी कि चौथी बार वो जीत कर दिल्ली के मुख्य मंत्री के पद को सुशोभित करेंगे। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री नंद किशोर जी। वो चिट चौ. भरत सिंह जी की मिल गयी है मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा। अब श्री नंद किशोर जी बोलेंगे।

श्री शोएब इकबालः सर, फिर से जान से मारने की धमकी आई है। अभी अभी टेलिफोन पर आई है।

अध्यक्ष महोदयः नंद किशोर जी।

श्री नंद किशोरः सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल्ली सरकार की......... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट। ये चौ. भरत सिंह जी ने मोबाइल नं. दे दिया है जिससे टेलिफोन आया है ताकि तुरंत कार्यवाही करायी जायेगी।

श्री शोएब इकबालः ये सुरक्षा का मामला है, अभी अभी टेलिफोन आया है। गंभीर मसला है।

श्री नसीब सिंहः देश की राजधानी में भी इस तरह से काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः इसके तुरंत बाद बात करेंगे। आप लोग बैठ जाइये। इसकी समाप्ति की बाद। हाऊस के खत्म होने के तुरंत बाद करेंगे आप बैठ जाइये। नंद किशोर जी बोलिए।

श्री नंद किशोरः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज जो मुकेश शर्मा जी और नसीब सिंह जी ने दिल्ली सरकार की सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों व खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों में सरकार की संवदेनशीलता एवं उसके कार्यान्वियन के अंदर सदन में जो अल्पकालिक चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की सभी कैबिनेट को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा कि जो इन्होंने अन्नश्री योजना को दिल्ली में लागू किया इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। जैसा कि नसीब सिंह जी ने बताया कि हमारे यहां वैसे तो सरकार ने 14 साल में पिछले काफी योजनाएं जनहित के लिये लेकर आये हैं परन्तु अन्नश्री योजना एक ऐसी योजना है जो उन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई जो बीपीएल या एवाई के जो कार्ड इनके पास नहीं थे जो गरीब लोग थे

और जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें वो सुविधाएं दिल्ली सरकार के द्वारा मिलेंगी क्योंकि यह एक ऐसी योजना है अध्यक्ष जी, जिसमें वे लोग जो गरीब लोग हैं और जिनके पास न राशन कार्ड था, न पहचान पत्र था और किराये पर ज़्यादातर रहने वाले, मकान अपना नहीं था, 25-30 गज के जो छोटे-छोटे मकानों में अपना जीवन-यापन करते थे उन लोगों को इस अन्नश्री योजना के द्वारा 600 रुपये प्रति महीने की दर से यह दिया जायेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि उस परिवार की जो मुखिया, जो महिला होगी उसके खाते में वो 600 रुपये जायेंगे इससे जो हमारी सरकार की महिला सशक्तिकरण की सोच जो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला होने के नाते, दिल्ली की महिलाओं को सुदृढ़ बनाना इसके लिए भी बहुत बधाई की पात्र हैं। आज वैसे तो हमारी सरकार चाहे वो विधवा की पेंशन के लिये हो, चाहे वो वृद्धा की पेंशन के लिये हो, चाहे विकलांग की पेंशन के लिये हो आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा पेंशन कहीं दी जाती है तो दिल्ली की सरकार 1500 रुपये विडो की पेंशन और विकलांग की पेंशन हमारी सरकार ने दी है। दूसरा लाडली योजना हमारी सरकार ने चलाई, जिन बच्चियों माता-पिता यह घबराते थे कि कभी घर में बच्ची पैदा न हो जाये उसकी शादी कैसे होगी उन बच्चियों के लिये हमारी सरकार ने सोचा और आज जो बच्ची बारहवीं क्लास पास करके शादी के लायक होगी दिल्ली सरकार की तरफ से उसको एक लाख रुपया दिया जायेगा यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज चाहे वो आरोग्य निधि हो, चाहें सामाजिक सुविधा संगम की तरफ से चलाई गई योजनाएं हो, चाहे वो अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जनाहार योजना के तहत 15 रुपये थाली और अपनी रसोई के द्वारा फ्री खाना गरीब लोगों को दिलाया जा रहा है। भागीदारी योजना के तहत लोगों को सस्ते दाम पर जो हमने आटे की स्कीम चला रखी है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है दिल्ली की सरकार उसकी नीयत साफ है, उसकी सोच अच्छी है और यह सोचते हैं कि गरीब लोगों को जो एक हमारी कांग्रेस पार्टी

की जो यह था कि गरीब जनता के साथ कांग्रेस का हाथ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह कोशिश रही है कि गरीब लोगों को दिल्ली सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार हो उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मैं यही कहना चाहूंगा कि 2008 और 2010 के बीच इसका सर्वे हुआ था पांच लाख के आस-पास लोगों का सर्वे इसमें किया गया और दो लाख लोगों को हम इस योजना के अन्तर्गत ले रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जितने भी लोग इसमें बचे गये हैं उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी इसमें लिया जाये और एक सर्वे दोबारा कराया जाये क्योंकि कुछ लोग इससे वंचित है। उनके पास न बीपीएल कार्ड है, न एवाई कार्ड है तो इस योजना में कुछ रह गये हैं। उनको भी इसके अंदर लेकर गरीब लोगों के हित में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके, हम करें। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, चर्चा का उत्तर देगे।

ऊर्जा मंत्रीः बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अभी सोशल सैक्टर की जो मुक्तलिफ स्कीम्स हैं उसमें चर्चा में भाग लिया भाई मुकेश शर्मा जी ने, नसीब सिंह जी ने, नंद किशोर जी ने और तमाम जो सरकार की मंशा है इन तमाम स्कीम्स के पीछे उस पर बड़े विस्तार से बात की और यह आज से नहीं लगातार 14 वर्षो से जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है श्रीमती शीला दीक्षित जी का, पूरी कैबिनेट का तमाम हमारे विधायकों का यह मत रहा है कि दिल्ली को न सिर्फ एक खूबसूरत शहर बनाया जाये बल्कि जो सुविधायें हैं लोगों को खास तौर से सोशल सैक्टर में उनको अच्छे तरीके से मुहैया कराया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उसका लाभ सीधे जो बेनिफिशियरी है उसको मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार का जो बजट था पिछला 65 प्रतिशत बजट का हिस्सा हमने सोशल सैक्टर के लिए रखा था और इसलिए रखा था कि दिल्ली एक ऐसा

शहर है जहां पूरे हिंदुस्तान के मुक्तलिफ प्रांतो से लोग आते हैं, रोजगार ढूंढते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे वो लोग भी हैं जो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी सुविधाओं से। उन तमाम सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने चाहे हेल्थ सैक्टर हो, जिस तरीके से अभी नसीब सिंह जी बता रहे थे कि जो सीमा गरीब आदमी के इलाज की थी वो दो लाख से बढ़ाकर सरकार ने पांच लाख रुपये कर दी है। यह लाभ उन गरीबों को मिलता है जिनके पास कोई सहारा नहीं है कोई और ज़रिया नहीं है कि वो इस महंगे इलाज को करवा सके। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर इकोनोमिकली बेकवर्ड जो हमारे दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों को 25 प्रतिशत जो शिक्षा के अंदर आरक्षण दिलवा कर बड़े-बड़े स्कूलों में वो बच्चे आज शिक्षा हासिल कर रहे है। चाहे कितने भी बड़े घर के बच्चे आते हो वो बच्चे भी उनके बराबर में डेस्क पर बैठकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि किस तरीके से महिलाओं को बेहतर सुविधाएं दी जाये। उनको ताकतवर बनाया जाये, उनका एम्पावरमेंट हो, उसको लेकर चाहे वो लाडली स्कीम हो जिसमें जब लड़की जो है वो स्कूल जाती है और पढ़कर 12वीं से बाहर निकलती है तो उसको एक लाख रुपया दिया जाता है। जो हमारी विधवा बहनें है उनको पहले 10 हजार रुपया मिला करता था, आज 1500 रुपये महीना उन महिलाओं को मिलता है ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। इसकी तरीके से जो बुजुर्ग है उनको जो पेंशन मिल रही है दिल्ली में तकरीबन चार लाख लोगों को उसका सीधा लाभ उनको पहुंच रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अभी अन्नश्री स्कीम की जो बात कर रहे थे यह एक ऐसी आधुनिक सोच है, एक ऐसी सोच है जिसमें सरकार की नीयत और सरकार की मान्यता इंसानियत पर कितनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। जो लोग बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड या झुग्गी राशन कार्ड जिनके पास हैं चूंकि वो सीमा तय प्लानिंग कमीशन करता है भारत सरकार का और वो सीमा 4 लाख

लोगों की दिल्ली में तय हुई थी। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि किस तरीके से जो बाकी लोग रह गये हैं उनको यह सुविधा प्रदान की जाये और उसमें भी उन्होंने जो घर की सबसे बड़ी महिला है उसके नाम से खाता खुलेगा और उसके खाते में 600 रुपया महीना जायेगा। 15 दिसम्बर को जो कांग्रेस अध्यक्षा, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता हैं हमारी प्रेरणास्त्रोत हैं उनके हाथों से इस स्कीम का उदघाटन होगा और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा एतिहासिक कदम होगा जो न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक दिशा दिखायेगा। क्योंकि जिस तरीके से पीडीएस की खामियां हैं और जिनको मैंने हमेशा फ्लोर ऑफ दी हाऊस स्वीकार किया है कि जिस तरीके से यह सिस्टम पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है तो निश्चित रुप से सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। भारत सरकार भी इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है और आप सब जो हम यहां विधायक हैं, चाहे हम कुछ भी बात करें लेकिन जब हम बैठते हैं और सोचते हैं तो सच्चाई यह है कि पीडीएस में थोड़े से लोग उस इलाके के होते हैं और वो भी वो लोग होते हैं जिनके बाजुओं में भी ताकत होती है और जबान पर बदतमीजी बोलने की पूरी शक्ति होती है। उन लोगों को राशन आराम से मिलता हैं बाकी लोग उस राशन का इंतजार करते रहते हैं। यही वो सोच थी जिसको मद्देनजर रखते हुए श्रीमती शीला दीक्षित जी ने अन्नश्री योजना शुरु की है और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में चलाया था कि राशन के बदले में उपभोक्ताओं को कैश दिया जाये और एक संस्था की सेवा जिसने यह सर्वे किया था और उसमें यह पाया गया कि 94 प्रतिशत दिल्ली की जनता यह चाहती है जहां वो सर्वे हुआ था कि लोगों को राशन के बदले कैश डारेक्ट ट्रांसफर किया जाये और उसके जो और नतीजे थे वो ये थे कि न सिर्फ वो अपने बच्चों को, क्योंकि महिलाओं के नाम पर वो खाता खोला था, एक धारणा यह थी जब इस पर बहस होती थी, वो तमाम लोग जो उस लॉबी को सुपोर्ट करते हैं, जो कालाबाजारी और इस तरह की राशन की चोरी

करते हैं, वो उसके वकील बन गए थे कि घर का जो मर्द होगा, वो शराब के अंदर या जुए में उस पैसे को खत्म कर देगा। उस सर्वे में बड़ी स्पष्टता के साथ ये तथ्य सामने आये हैं कि 94% महिलाओ ने यह कहा कि कैश फोर राशन अगर होगा तो हम न सिर्फ राशन पायेंगे बल्कि जो प्रोटीन के ऊपर 2% वो लोग खर्च करते थे वो बढ़ कर 26% हो गया। जो आंकड़े उस स्टडी के हिसाब से हैं। मैं समझाता हूं कि सरकार की हमेशा यह मंशा रही है कि आम लोगों को किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जायें। और मैं समझता हूं कि चाहे वो जन-अहार योजना हो, जहां गरीबों को, होमलैस को बगैर पैसे दिये हुए खाना दिया जाता है। आपकी रसोई 15 रुपये दे कर पोष्टिक खाना खाता है। क्योंकि यह वो शहर है जहां दूसरे शहरों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता। उनको फ्री अहार की सुविधा जन-अहार के माध्यम से दी जाती है। आज शर्म की बात है, अपोजीशन यहां नहीं है, नहीं तो मैं जरुर उनसे पूछता कि उनकी संवेदनशीलता, उनकी इंसानियत, उनकी गैरत कहां सो गई है कि दिसम्बर की ठंड शुरु हो चुकी है, एमसीडी के अंदर बच्चों की वर्दी के लिए, स्वेटर के लिए आज तक पैसे नहीं दिये गये। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती और यह सोच इस बात का बताती है कि वो सोच जो मोदी की है तो खाली मोदी की सोच नहीं है इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच यह है कि किस तरीके से सत्ता में आ जाये। आरोप लगा कर, असत्य बोल कर, बाहें फैला कर सत्ता हासिल की जाये और सत्ता हासिल करने के लिए अगर कत्लेआम भी करना पड़े तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी नहीं हटते। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि हम दिल्ली के लोगों की खिदमत करें। शासक के रुप में नहीं बल्कि एक खिदमतगार के रुप में ताकि दिल्ली के लोगों को सुविधाएं भी मिलें और सुविधाएं सम्मान के साथ मिलें, उनकी इज्जत के साथ मिलें। मैं समझता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से 14 वर्षो

में आम आदमी का हमेशा ध्यान रखा है, ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं, मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष के लोग खास तौर से बीजेपी कितने असत्य आरोप लगाते हैं, कितनी खोखली बातें करते रहे हैं। कितनी अफवाहें फैलाते रहे हैं। यह आने वाले समय में भी अगले दस साल तक यहीं बैठने वाले हैं।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब तीनों नगर निगमों पर व्यापक भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण डेंगू से हुई मौतों व अभी तक हुई मामलों में रोकथाम न होने पर उत्पन्न स्थिति पर डा. नरेन्द्र नाथ जी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

डाक्टर साहब, आप थोड़ा संक्षेप में कहियेगा। क्योंकि आज शादियां बहुत हैं और सब जाना चाहते हैं।

डा. नरेन्द्र नाथ: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तीनों नगर निगमों में व्यापक भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण डेंगू से हुई मौतों एवं अभी तक इन मामलों की रोकथाम न होने पर चर्चा करने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज कारपोरेशन के ऊपर चर्चा तो काफी हो चुकी है और उसी लापरवाही का कारण था कि अमरीश गौतम जी के इलाके दल्लूपुरा में 5 मौतें भी हुई। लोग अनोथराईज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कारपोरेशन के अंदर दबा कर भ्रष्टाचार है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डेंगू जैसी बीमारी हर वर्ष होती है। दिल्ली सरकार भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए काफी कोशिश करती है कि इसकी कैसे रोकथाम करें। लेकिन सही मायने में यह दायित्व कारपोरेशन का है। वे इसमें पूरी

लापरवाही बरतते हैं और उसी का यह कारण बनता है कि बीमारी इस प्रकार से यह फैलती है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हर घर के अंदर यह बीमारी होती है। अगर थोड़ा सा बुखार होता है तो लगता है कि डेंगू तो नहीं हो गया है। वायरल इंफेक्शन होता है, और दूसरे बुखार हो जाते हैं, जहां जुकाम खांसी शुरु होती है, लोग सोचते हैं शायद डेंगू से पीड़ित न हों। और इसका यही कारण है कि नगर निगम इसके अंदर लापरवाही करती है। डेंगू फीवर से बहुत लोग पीड़ित होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं बताना चाहता हूं कि 1998 के अंदर इस बीमारी से 10 हजार से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हुए थे। उस समय भी नगर निगम इन्हीं की थी और उस समय 423 व्यक्ति की मृत्यु दिल्ली में इस डेंगू की वजह से हुई थी। अभी भी पेशेंटस की मात्रा वही रह जाती है कभी 6 हजार पीड़ित होते हैं, कभी 4 हजार होते हैं, कभी पांच होते हैं कभी सात हजार होते हैं और इस वर्ष भी दो हजार से ज्यादा तो वे केसिज हैं जो सरकारी अस्पतालों में रिपोर्टिड हुए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे केसिज हैं जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाते हैं, प्राइवेट डाक्टर को दिखाते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी कहीं रिकार्डिंग नगर निगम के खाते में कहीं आती नहीं है और सरकारी खाते में नहीं आती है। इस बार भी यह लिखा है कि डेंगू से 4 मौतें हुई हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं क्योंकि मौतें डेंगू से चार नहीं दिल्ली में बहुत ज्यादा मौतें इस बार भी हुई हैं। डा. वालिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस बात के लिए पूरी कोशिश करते हैं, नगर निगम के आफिसर्स को भी बुलाते हैं, उनको डायरेक्शंस भी देते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती हैं चाहे वह मलेरिया है, चाहे वह डेंगू फीवर है, चाहे वह चिकनगूनियां है और भी सारी बीमारियां हैं। बरसात के बाद जैसे बीमारियों की भरमार होती है उसको हम कैसे कंट्रोल करें और नगर निगम को डायरेक्शन भी देते हैं, लेकिन नगर निगम उस डायरेक्शन को पूर्णतया नहीं मानती है और उसी का यह कारण होता है कि डेंगू की बीमारी इसी प्रकार से फैलती जाती है। मैं एक बात जरुर कहना चाहता हूं

सीएमएस ने 2012 में एक सर्वे कराया था, उस सर्वे का यह नतीजा हुआ, जहां क्रप्शन की बात आती है तो नगर निगम के जो डिपार्टमेंटस हैं उनमें 88 परसेंट क्रप्शन के केसिज पाए जाते हैं जो वे नगर निगम के अन्दर हैं। कारपोरेशन का हर डिपार्टमेंट आप कोई उठाकर देख लीजिए, हैल्थ को लीजिए, बिल्डिंग को लीजिए, लाइसेंसिंग को लीजिए और कोई डिपार्टमेंट कारपोरेशन का ले लीजिए उसके अन्दर अगर क्रप्शन के केसिज पाए गए हैं तो सीएमएस के सर्वे के बारे में मैं बताना चाहता हूं, लोगों ने बताया कि जब तक हमने कारपोरेशन को पैसे नहीं दिए तब तक हमारा काम नहीं हुआ। दूसरे नम्बर पर दिल्ली की पुलिस आती है उसका कारण है कि जितनी भी अनाथराइज कंस्ट्रक्शन होती हैं वे नगर निगम और पुलिस दोनों ही मिलकर कराती हैं। उनके बगैर अनाथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। हकीकत यही है कि आज यदि देखा जाए तो क्रप्शन के मामले में नगर निगम सबसे आगे है, चाहे नक्शा पास कराने में हो, निर्माण के लिए हो, कम्पलीशन सर्टीफिकेट लेने के लिए हो या जो भी सामग्री परचेज की जाती है किसी भी चीज के लिए चाहे वह हैल्थ डिपार्टमेंट में है अगर ये पूरे तरीके से फौगिंग करते, इनके पास फौगिंग की मशीनें प्रोपर होती तो यह डेंगू इतना नहीं फैलता।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नगर निगम के पास फौगिंग की मशीनें हैं ही नहीं। जब आप एमएचओ को और डीएचओ को फोन करोगे कि यहां पर फौगिंग होना है तो वे कहते हैं कि जी मशीन खराब है। फौगिंग की दवाई नहीं है। मशीनें खराब हैं। वहां पर भी क्रप्शन है, मशीनें क्यों नहीं खरीदी जाती। खरीदी जाती हैं तो ऐसी मशीने खरीदी जाती हैं वे तीन-चार महीने भी नहीं चलती कि खराब हो जाती हैं। बीमारी इसी प्रकार से फैलती जाती है। जो एम्पलाइज रखे जाते है, किसी का कूलर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है उसमें कोई मासकिटो का कुछ

नहीं है उसका भी चालान कर देते हैं। जहां मासकिटो पाए जाते हैं जिससे डेंगू फैलता है उनका चालान करें, वे आम आदमी को भी तंग करते हैं और कहते हैं या तो हमें पैसे दो नहीं तो हम चालान करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज के अन्दर, नगर निगम मकानों का आवंटन कर देती है जब उसकी मेनटेनेंश करते हैं तो उसमें भी क्रप्शन। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रप्शन तो नगर निगम के हर महकमे के अन्दर है। हमारी सरकार ने कोशिश की थी तीन निगम बनाएं, हां तीन निगम बनाने से एक फायदा तो हुआ है कि लोगों को जो टाउन हाल पहुंचना पड़ता था कम से कम इतना जरुर है कि लोग अपने लोकल इलाके में जाकर काम कराते हैं। लेकिन जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 88 परसेंट लोगों ने यह कहा कि बगैर पैसे दिए नगर निगम में हमारा काम नहीं हुआ और 12 परसेंट लोगों के जिन्होंने पैसे नहीं दिए काम हुए ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर तरीके से क्रप्शन की बात आती है.........व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय-डा. साहब आप अपनी बात को शार्ट कर लीजिए।

डा. नरेन्द्र नाथ- ठीक है अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2008 और 2012 के बीच में नगर निगम का क्रप्शन का जो ग्राफ है वह दोगुना हुआ है। उसी का यह कारण है कि आज आप हर तरफ देख रहे हैं चाहे कोई बीमारी है, चाहे मकान गिरने से लोग मर रहे हैं या जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, जगह जगह पर मीट की दुकानें खुल गई,यह हालत हो रही है, उन पर कोई सावधानी नहीं रखी जाती, कोई ध्यान नहीं रखा जाता। नगर निगम उनको लाइसेंस दे देता है, झुग्गी कलस्टर्स के अन्दर भी दुनिया भर की मीट की दुकानें खुली हुई हैं। वहां पर उनके लिए कोई प्रिकोशन नहीं ली जाती वह भी एक बीमारी का कारण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नगर निगम के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला है नगर निगम का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां

भ्रष्टाचार ना हो। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी बताया कि ये जो बीमारियां फैलती हैं इनकी रोकथाम के लिए नगर निगम बिल्कुल असफल जिम्मेदार है और मैं डा. वालिया जी से निवेदन करुंगा कि बहुत सारे नगर निगम के ऐसे अस्पताल हैं जब प्लटलेट की जरुरत पड़ती है तो वहां पर प्लटलेट को ब्लड से अलग करने की मशीनें नहीं हैं। नगर निगम के अस्पतालों में यह हालत है। मैं प्रार्थना करुंगा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अन्दर प्लटलेटस को सैप्रेट करने की मशीनें हैं, वहां पर ब्लड बैंकस भी बने हुए हैं लेकिन नगर निगम में इसका अभाव है, इस बात के लिए कम से कम उनको डायरेक्शन दी जाए, वहां के हर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए ताकि अगले वर्ष डेंगू से जो लोग मरते हैं उनको बचा सकें और इस बीमारी से लोगों को भी बचा सकें। यह जिसको हो जाता है उसकी प्लटलेटस एकदम कम हो जाती है ये कम होने से ब्लीडिंग शुरु हो जाती है चाहे वह मुंह से ब्लीडिंग शुरु हो, नाक से ब्लीडिंग शुरु हो या लैट्रिन के साथ ब्लीडिंग आनी शुरु हो जाती है और मरीजों की यह हालत हो जाती है और मैं समझता हूं कि इसी वजह से डेंगू से जो लोग मरते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि कारपोरेशन की लापरवाही की वजह से सब कुछ होता है, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री नसीब सिंह, श्री देवेन्द्र यादव, श्री जयकिशन जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जयकिशनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, वैसे तो नरेन्द्रनाथ जी काफी कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को जो दिल्ली नगर निगम से सत्ता में बैठी है, कहते हैं छाज तो बोले छलनी भी क्या बोले जिसमें 72 फौ छेद। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि ये मुंग और मसूर की दाल, गूंगी गुड़ खाए गुड़ से परहेज करे, हमारे मंत्री हारुन

यूसुफ जी ने सही कहा है कि ये तो सालों साल तक भी सत्ता में नहीं आएंगे। यह कारपोरेशन के चुनावों में बिल्ली के भागों छीक टूट गया। अध्यक्ष महोदय, तीन कारपोरेशन बनाने से दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं उससे कुछ लोगों को सहूलियत हुई है लेकिन जो दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है नरेन्द्र नाथ जी ने जैसे अभी कहा स्कूल की हालत के बारे में, वहां शौचालय नहीं हैं, बैठने के लिए टाट नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टीचर नहीं हैं। शाम को टीचर न होने से स्कूल बंद हो जाता है, लेडी टीचर स्वेटर बुनती रहती हैं कोई पूछने वाला नहीं है। काउंसलर हैड मानस्टरनियों से मंथली ले करके बैठ जाते हैं और जो पेंशन सिस्टम है उसमें आधे से अधिक पेंशन तो काउंसलर, इंस्पैक्टर और अधिकारी मिलकर हजम कर जाते हैं। दो साल की पेंशन में एक साल की पेंशन काउंसलर और कारपोरेशन के अधिकारी खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कारपोरेशन के स्कूलों की यह हालत है कि पांचवीं क्लास के बच्चे को क, ख, ग लिखना नहीं आता। अपना नाम लिखना नहीं आता। अपना नाम लिखना नहीं आता, अपने माता पिता का नाम लिखना नहीं आता। मैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से और दिल्ली सरकार से कहूंगा कि कारपोरेशन की सारी शिक्षा को दिल्ली सरकार के अधीन लिया जाए। क्योंकि जनता हमारी है भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। शिक्षा स्तर को श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने सुधारा है न कि बीजेपी की सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। अभी नरेन्द्र नाथ जी ने चालान काटने की बात कहीं, चालान के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। जिस गरीब आदमी के पास खाने के लिए राशन नहीं है जो रेहड़ी वाला सुबह से शाम तक सब्जी बेच कर 50 रु. कमाता है उसका चालान काट दिया जाता है, वहां दलाल बैठा रखे हैं, वे 3-3 हजार और 6-6 हजार रु. का चालान काटते हैं। तीन हजार रु. तनख्वाह मिलती है 6 हजार रु. चालान भरा जाता है। जो दुकानदार मंथली नहीं देता उसका सामान उठाकर ले

जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक अजीब बात बता रहा हूं जो आवारा पशुओं को पकड़ने का काम है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गऊ हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। कहते है गाय को छोड़ दो और गाय के बछड़े को पकड़ लो गाय तो पीछे पीछे आ जाएगी, गऊमाता को जो सुबह एमसीडी की लाइसेंस डिपार्टमेंट की गाड़ी उठाकर ले जाती है, वे घरों से गाय भैंसों को निकाल ले जाते है। इनके पीछे पीछे इनकी दलाल होते हैं, वहां ले जाकर रोक देते हैं। गाय भैंस का मालिक जाता है तो उसको कहते हैं कि आप नीलामी में खड़े हो जाइए, वहां नीलामी लगती है। एक लाख रु. की भैंस 80 हजार रु. की भैंस, 70 हजार रु. की गाय को उनके दलाल 15-15 हजार में ले जाते हैं, एमसीडी में बड़ा भारी भ्रष्टाचार और घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना है कि जितना पैसा दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है उसको बंद किया जाए, उसको डायरेक्ट दिया जाए और उसकी विजिलेंस इन्क्वायरी की जाए।

दिल्ली सरकार उसके ऊपर काम करे। जब तक दिल्ली सरकार की विजिलेन्स और दिल्ली सरकार का एमसीडी का मंत्री एवं इंचार्ज सही सर्टिफिकेट न दे तब तक उनको एक पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि 50 हजार रु. आप दोगे तो 25 हजार रु. उनकी जेब में चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पार्कों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है।

अध्यक्ष महोदयः सम-अप कीजिए।

श्री जय किशनः कितना भी एमसीडी के खिलाफ बोला जाये चाहे चार दिन तक बुलवाओ, एमसीडी की नई-नई चीजें/ करतूत आयेगी। क्या करते हैं जो गरीब लोग हैं, जो मांसाहारी लोग हैं। रिसेटलमैन्ट कालोनियों में मांसाहारी लोग हैं। करीब 30-35 लाख लोग हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं। मच्छियां बिकती हैं, बकरे की दुकानें हैं। दूसरी मीटस की दुकानें

हैं। उनका वे मीट उठा ले जाते हैं। काउन्सलर की शह पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बकरों की जो दुकानें होती हैं, वहां से बकरा 15 हजार रु. का, 25-25 बकरे उठा ले जाते हैं घरों में। उठाकर उनकी दलाली करते हैं, उनको बेचते हैं। और उठाते हैं चार दिखाते हैं एक, 25 भैंस खोलेंगे, 25 गाय लेकर जायेंगे चार रिकॉर्ड पर दिखायेंगे बाकी बेचकर खा जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पर तो तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए और भ्रष्टाचार ....एमसीडी का चुनाव तो मेरे ख्याल से दिल्ली का चुनाव अगर ईमानदारी से करवाना है तो दिल्ली नगर निगम को भंग कर दिया जाये। मैं तो आपसे सीधा-सीधा ये प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, आपने मुझे समय दिया है। डेंगू की बात नरेन्द्र नाथ जी ने कही है और भी कई लोगों ने कहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो जितना काला मुंह कर दें, उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माला राम गंगवाल जी भी बोलना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आपका नाम बोलने वालों में है। ठीक है, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री माला राम गंगावालः अध्यक्ष महोदय, निगम को तीन भागों में विभाजित करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि निगम के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है, जो लापरवाही है, उसमें कही नहीं आई है। निगम के अंदर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली सरकार के जो काम होते हैं, उसके लिए निगम एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम काम करवाते हैं। लेकिन जो टेण्डरिंग पोजीशन है, वह पहले मैन्युअल हुआ करती थी, फिर उसके बाद उसको नेट पर डालकर फिर कम्प्यूटर पर करना शुरु कर दिया और कम्प्यूटर के बाद फिर कई दफा अपना काम नेट पर ले आते हैं या उसे मैन्युअली कराते हैं। ये मामला ऐसा है जिससे हमारे करोड़ों रु. आज तक सड़क पर नहीं आये, आज तक

खर्च नहीं हुए हैं। इस और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जितना बड़ा अनाथराइज्ड कंस्ट्रक्शन निगम के लोग या सरकारी अधिकारी करवा रहे हैं, उसका सीधा-सीधा आरोप मैं निगम पर लगवाना चाहता हूं। दिल्ली की अगर किसी बस्ती में अगर आप जायें तो रोड छोटे होते जा रहे हैं। जहां से एक-एक दो दो ट्रक निकल जाते थे, आज स्थिति यह है कि साइकिल, मोटर साइकिल और कार वहां पर निकल कर नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन मिला हुआ है? इसमें तीन एजेन्सीज ऐसी हैं जिसमें एक कार्पोरेशन है, एक दिल्ली का पुलिस वाला है और एक जो है काउन्सलर के लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो पुलिस वाले पैसे लेते हैं, वही लोग डीसी/एसडीएम के पास एक शिकायत का कलन्दरा बनाकर भेज देते हैं कि यहां पर एक अनाथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एसडीएम का कलन्दरा जब आता है, वहां लेन-देन की बात होती है। पुलिस वाला पैसे पहले लेता है, एमसीडी वाला बाद में लेता है उसके बाद हमारा डीसी या एसडीएम उसमें एन्वाल्व हो जाता है। और जिस तरीके से अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि इनके बिजली पानी और बोरिंग के पैसे लेते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे पैसे लेते हैं। लेकिन अगर ये सुविधा अगर हम लोगों को उससे वंचित कर दी गई तो उससे वे कोर्ट में जाते हैं और जो नैसेसिटी है, उन चीजों को हम लोगों को फिर बहाल करना पड़ता है। मैं पुरुजोर आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एमसीडी का अगर बिल्डिंग डिपार्टमैन्ट अगर एमसीडी से निकालकर दिल्ली सरकार को दे दिया जाये, तो कार्पोरेशन समाप्त हो जायेगी। और वस्तुस्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, कि अगर आज काउन्सलर के पास कोई तनख्वाह नहीं, आज के काउन्सलर को जो ऑनरेरियम मिलता है, पर डे का जो मीटिंग के हिसाब से मिलता है, उससे उसका गुजारा नहीं होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पानी आपने इन लोगों से लिया है, जो

दिल्ली जल बोर्ड/मलव्ययन संस्थान होता था। उस समय आपका इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैन्ट होता था, डेसू और इसका प्राइवेटाइजेशन किया जिससे कि आज लोग सुचारु रुप से बिजली और पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, बोरिंग ले लीजिए आप। कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है और बोरिंग करने के लिए जाता है तो वहां पर पुलिस वाला पहुंच जाता है कि लाइये 10 हजार रु. दीजिए, 5 हजार रु. दीजिए। उसके बाद आप लोग पहुंच जाइयेगा, पुलिस वाले के बाद एमसीडी वाला आता है। एमसीडी के बाद फिर हमारा एसडीएम आता है। और वो सारी की सारी ऐसी चेन बनी हुई है कि एक आदमी पानी के पीने का कनैक्शन भी नहीं ले पा रहा है। मैं मांग करता हूं इस बात के लिए कि डेंगू फेल रहा है, डेंगू फैलता है तो डेंगू फैलने के लिए फॉगिंग की मशीनें जैसे डॉ. नरेन्द्र जी ने कहा कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं कि हम फॉगिग करके जो एन्टी लारवा जो हमारा तेल है, उस तेल के अनुसार लोग नालियों में और दूसरे तरीके से फॉगिंग नहीं करते, जिससे कि मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं और उससे लोगों की सेहत के ऊपर इन लोगों का काम था कि हाउस टैक्स वसूलें, हाउस टैक्स उन घरों पर वसूलें, जिन लोगों का नक्शा पास हुआ है या नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि एमसीडी का एक खोका लगा दिया, उस खोके पर भी हाउस टैक्स ले लेते है उस पर टैक्स मालिकाना हक की बात कर देते हैं। जिस डिपार्टमैन्ट की जिस जमीन पर वह खोका डला होता है, उस जमीन पर भी उसको मालिकाना हक दिलाने की चेष्टा करते हैं, ये मिली भगत है इन लोगों की। और इस मिली भगत के कारण, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पेंशन इनके माध्यम से जो मिलती है। पहले तो वे पेंशन किन लोगों को देते हैं, यह सोचने की बात है। वह सबको देते हैं, कोई क्राइटेरिया तो हो। कोई ऐसा कारण तो बने जैसे कि पेंशन लेने वाला लाचार है, मजबूर है, विकलांग है, विडो है, जिसको आये मर्जी चाहे 18 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 40 साल का हो। सबको बराबर में लाइन में लगाकर अपने अपने लोगों को जो पेंशन देते हैं और जो मिड डे मील है, जिसके बारे

में कहा जाता था कि मिड डे मील को भी वे अपने गुर्गों को एनजीओज को देकर के उसके अंदर भी घपलेबाजी करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि एक मेरी बात जिसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्डिंग विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन करके इसमें हम लोगों को निगम वालों से मुक्ति दिलायें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य मंत्रीः डॉ. नरेन्द्र नाथ जी, जय किशन जी, माला राम गंगवाल जी और हमारे और भी साथी बोलना चाहते थे, परन्तु समय सीमा के कारण सभी ने कम बोला है, ये बात सही है कि हमने बड़ी सोच समझकर एमसीडी का ट्राइफरकेशन किया था। और इस उम्मीद से किया था कि ट्राइफरकेशन के बाद एमसीडी में इम्प्रूवमैन्ट आयेगी। परन्तु मुझे कहते हुए दुख होता है कि इम्प्रूवमैन्ट की बात तो दूर जो भ्रष्टाचार था, जो पहले एक गुना था, वह तीन गुना हो गया। आज की तारीख में एमसीडी से ये उम्मीद करते थे कि इन्होंने वायदा किया था कि घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करेंगे। वाटर बॉर्न डिसीज कंट्रोल होगी। और उसके साथ साथ दिल्ली साफ सुथरी नजर आयेगी। मुझे याद है कि जब क्वीन एलिजाबेथ दिल्ली आयी थी। तो उन्होंने कहा था कि सबसे गंदा शहर है, दिल्ली शहर। और हमें बड़ा दुख होता है कि जब दिल्ली के अंदर डेंगू फैलता है। मलेरिया फैलता है। जो टूरिस्ट जो बाहर रहता है। वह दिल्ली आने से कतराता है। ये तीन चार महीने हर एक आदमी को यही डर होता है कि दिल्ली वासी भी डरते हैं। वे भी हरेक को कह देते हैं कि इस समय यहां डेंगू फैला हुआ है, आप दिसम्बर के बाद आइयेगा। तो भारत की राजधानी में आज ये स्थिति है। कि डेंगू जैसी बीमारी या मलेरिया हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसका मुख्य रुप से कारण यह है कि जो Anti Larwa जो spray करनी है वो proper नहीं की जाती। जो फॉगिंग घरों में की जानी चाहिए, उसको एम.सी.डी का स्टाफ सड़क पर करते हुए घूमता

है। चारों तरफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है। मलबा पड़ा हुआ है और उस पर कहीं कोई रोकथाम नहीं है और तो और कॉर्पोरेशन के कई मेंम्बर्स जो हैं। उन्होंने यह नया सिस्टम शुरु कर दिया कि वो पार्टनर बन जाते हैं। 20 परसेंट, 30 परसेंट की उनकी पार्टनरशिप है। उसके बाद वो बिल्डिंग बना लो। उसमें कोई MCD का staff कुछ नहीं कर सकता। आज अगर MCD में फण्डस की कमी है। अगर वे नक्शा पास करना शुरु कर देते हैं और कंप्लीशन देना शुरु कर देते हैं। Unauthorized construction रोक लेते हैं। मैं यह समझता हूं कि जो फण्डस की दिक्कत है वो पूर्ण रुप से खत्म हो जायेगी। इलाके के अंदर जहां कहीं थोड़ी बहुत सड़क बची थी, वहां पर उन्होंने अपनी वैनें लगवा दी हैं। दुकाने खुलवा दी हैं। मैं उसके लिए बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं। क्या उनको यह नजर नहीं आता कि ये जो वैन खड़ी है, यह बिना लाइसेंस के खड़ी है। उस पर कोई एक्शन करें। पहले MCD की गाड़ी आती थी वो चालान करती थी और लोगों को यह डर होता था कि MCD आ गई, MCD आ गई। अब तो सब बातें ही खत्म हो गई। अब तो यह है कि थोड़ा कॉर्पोरेटर के साथ राउन्ड कर लिया। बाकी छुट्टी हो गई। इस तरह से यह जो चलेगा तो मैं यह समझता हूं कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा रहेगी। हर व्यक्ति को अपनी responsibility समझनी चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अगर यही स्थिति रहती है तो गवर्नमैंट को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली किस तरह से किया जाए। जैसे मालाराम गंगवाल जी ने कहा कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट अगर MCD से ले लिया जाए तो फिर काफी हद तक दिक्कत खत्म हो जायेगी। अब हम ने 2007-08 के अंदर Vector Borne control के लिए कोई 24 करोड़ रुपए MCD को दिए थे और 2012-13 में इसको बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए कर दिया। डबल एमाउन्ट कर दिया। परन्तु जो केस 2007-08 में 548 डेंगू के केसिस हुए थे वो इस बार 2050 हो जायें। अब हम ने उनसे कहा कि तुम्हें जितने पैसे की requirement है। हम उस पैसे को देने के लिए तैयार हैं। परन्तु कुछ करो तो सही। परन्तु दुख है कि ये लोग हर तरीके से असफल हैं। जो

domestic checkers लगाए जाते है। उन्हे कोई ट्रेनिंग नहीं है। आठवीं, दसवीं क्लास या जो भी बच्चे हैं। उनको रिक्रूट कर लेते हैं। उन्हें यह भी नहीं समझाया जाता कि क्या क्या चैक करना है और क्या क्या एक्शन करना है। अभी हम ने यह प्रोग्राम बनाया था कि National Malaria Control Programme के ऑफिसर्स के साथ में कि पूरे साल हम लोग domestic checkers रखेंगे और उसके लिए दिल्ली सरकार पेमेंट करेंगी। अब 15 दिन, 20 दिन तो हो गए हैं। उनको हटा भी दिया गया और उसके अंदर सिर्फ ईस्ट दिल्ली से सवा दो करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है और साऊथ दिल्ली का चार करोड़ रुपए का एस्टीमेंट आया है। नॉर्थ दिल्ली से अभी कोई एस्टीमेट नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इसके अंदर एक रेगूलर domestic checkers रखने की जरुरत है। एन्टी लावर्स स्प्रे की जरुरत है। इनको सिखाने की जरुरत है कि क्या क्या चैक करना है और कैसे काम करना है ताकि यह हर साल डेंगू होने वाला कंट्रोल हो सके। मैं यह उम्मीद करता हूं कि शायद हमारे ऑफिसर्स जो हैं क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के काऊंसलर्स से यह उम्मीद करें कि वो सुधर जायेंगे। यह बड़ा मुश्किल है। वहां तो बिल्डिंग का पूरा Nexus बना हुआ है उसके हिसाब से ही वो लोग, यही उनका इन्टरैस्ट रहता है। हम लोग भी इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरीके से......।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री नसीब सिंह: यह एक लोकायुक्त की एक रिपोर्ट एक काऊंसलर के बारे में है। उन्होंने उसको सही माना है कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था, रवि शर्मा, प्रीत विहार का, उसकी रिपोर्ट है। यह अभी हाऊस में लगी है।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि इसके अंदर जो है.........।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री नसीब सिंहः उसमें यह दिया है क्योंकि वो अब निगम पार्षद नहीं है। इसलिए उसका कुछ नहीं किया जा सकता और लोकायुक्त ने यह कहा है कि वो स्टिंग ऑपरेशन ठीक पाया गया।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, हम इसको एग्जामिन करा लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें यह गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यह जो बिल्डिंग Nexus है। नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जायेंगी। आज दिल्ली Zone four में आती है। एक earthquake का झटका लगेगा तो यहां से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हम बचा नहीं पायेंगे। मैं यह समझता हूं कि ऐसा कुछ और स्टैप लेने की जरुरत है। जैसे हम ने trifurcation किया है कि बिल्डिंग डिपार्टमैंट को independent बना दिया जाए और उससे काफी हद तक चीजें कंट्रोल में आयेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13.12.2012 अपराह्न दो बजे तक स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को अपराह 2.00 बजे तक स्थगित की गई)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. श्री अनिल झा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किराडी विधान सभा क्षेत्र की किन-किन कॉलोनियों में कार्य किए जा रहे हैं,

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजना व विधायक निधि फंड के कितने कार्य चल रहे हैं, किन-किन एजेंसी को कार्य दिया गया है, पिछले 4 वर्षों में एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया है, इसका विवरण क्या है।

(ग) बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने की योजना है, और

(घ) बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में कितने तालाबों का विकास कार्य कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा किराडी विधानसभा क्षेत्र में जिन कॉलोनियों में कार्य किए जा रहे है, उनका विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। में दर्शाया गया है

(ख) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृत 08 कार्य चल रहे हैं तथा विधायक निधि फंड के 13 कार्य प्रगति पर है तथा 03 की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा पिछले

4 वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृति तथा विधायक निधि फंड से कराये गए कार्यों का ब्यौरा एवं एजेंसियों को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा सूची पुस्तकालय मे उपलब्ध है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में 88 कॉलोनियों में कार्य कराया जाना है, जिनमें से 25 कॉलोनियों के रु. 3565.62 लाख के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं। शेष कॉलोनियों के प्राक्कलन तैयार किए जा रहे है। इन सभी कॉलोनियों की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य किए जाएगें। जिन कॉलोनियों में कार्य कराया जाना है। उनका ब्यौरा सूची ग में संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है

(घ) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में 22 तालाबों का विकास कार्य करने का लक्ष्य है।

22. श्री एस.पी.रातावालः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादय एवं संभरण विभाग द्वारा दिल्ली में कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके तहत प्रत्येक आधार कार्डधारी को गैस सिलैंडर का कनेक्शन मिल सके; और

(ख) सरकार द्वारा आज तक किन-किन श्रेणियों के, कितने-कितने लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त कराया गया?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) दिनांक 04.12.2012 तक कुल 1619 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी कार्डधारियों को

गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं।

23. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा काफी संख्या में नए ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी किए गए हैं लेकिन उन पर राशन लेने हेतु मोहर नहीं लगाई गई; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्डो पर राशन दफ्तर द्वारा कब तक मोहर लगाई जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

(घ) झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कब तक नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां, 16 अप्रैल 2008 से जारी किए जा रहे ए.पी.एल. राशनकार्डो पर राशन लेने हेतु मोहर नहीं लगाई जा रही है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ एवं ड) झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड ए.पी.एल. (जे.आर.सी), कैबिनेट निर्णय के द्वारा 2007 में बनाए गए थे। यह योजना एक सीमित समय के लिए किए चलाई गई थी। फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

24. श्री जयभगवान अग्रवालः क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में मई-जून 2012 के दौरान की गई शिक्षकों की नियुक्तियों में गंभीर अनियमिताएं पाई गई हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या इन पदों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से अनुमति ली गई थी;

(ग) क्या इन नियुक्तियों के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा सचिव एवं प्रधान सचिव (वित्त) के निर्देशों का पालन किया गया है; और

(घ) क्या उपरोक्त मामले में गठित जांच समिति ने जांच प्रारंभ भी कर दी है?

मुख्य मंत्री जीः

(क) इस संबंध में विभाग को शिकायते प्राप्त हुई थीं तथा विभाग ने शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद डीटीयू एक्ट के सेक्शन 11(4) के तहत विस्तृत जांच के लिए कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया इस नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है जो कि Chairman Board of Management. DTU को कमेंट के लिए भेजा गया है। कमेंट मिलने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त ''क'' के अनुसार।

25. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगीं कि

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के वृद्व विधवा तथा विक्लांग

व्यक्तियों की पेंशन के फार्म लंबे समय से लंबित पड़े है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के फार्म भी बहुत समय से लंबित पड़े है।

(ग) इन लंबित पेंशन फार्मो का निपटान कब तक कर दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्री जी:

(क और ख) जी नहीं। विभाग द्वारा सभी आवेदन-पत्र जिनमें कोई त्रुटी नहीं पाई जाती, 45 दिनों के अन्दर स्वीकृत किये जाते है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

26. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा खादय एवं संभरण विभाग के सर्किल ऑफिस व सहायक आयुक्तों के कार्यालयों को रेनोवेट करके उन्हें सजाने-संवारने की योजना बनाई गई है

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है, इसका सर्किल अनुसार विवरण क्या है:

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा राशन एवं मिट्टी का तेल देने का प्रावधान समाप्त कर उपभोक्ताओं को सीधे कैश सब्सिडी दिए जाने की योजना लागू कर दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो जब इन ऑफिसों में राशन वितरण का कार्य समाप्त हो गया है तो रेनोवेशन पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने का क्या औचित्य?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) विभाग द्वारा 39 कार्यालयों के रेनोवेशन के लिए रुपये 8,05,92,528 (आठ करोड पांच लाख बानवे हजार पांच सौ अठठाइस) की धनराशि डीएसआईआईडीसी को आबंटित की गई है। सर्कल अनुसार विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) जी नहीं। वर्तमान में केवल मिट्टी का तेल उपयोग करने वाले कार्डधारियों को कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत पहली बार एक एलपीजी भरा सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर तथा सुरक्षा पाइप मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त क्रम सं. 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

27. श्री सतप्रकाश राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की टेन्डर प्रक्रिया का विवरण क्या है।

(ख) इस प्रक्रिया के तहत एक सिविल डिविजन कार्यालय द्वारा एक दिन में कुल कितने टेंडर लगाना संभव है।

(ग) वर्तमान में सी.डी-1 में कुल कितने टेंडर लगाये जाने, कितने दिन से लंबित हैं तथा इन्हें कब तक लगा दिया जाएगा, और

(घ) टेंडर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा टेंडर, ई-टेंडरिंग प्रकिया के तहत दिल्ली सरकार की बेबसाइट जो कि एन.आई.सी. द्वारा संचालित है, पर लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त टेंडर विज्ञापन को दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय के माध्यम से विभिन्न अखबारों में भी प्रकाशित किया जाता है।

(ख) एक सिविल डिविजन द्वारा एक दिन में टेंडर लगाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परन्तु एक सिविल डिविजन में एक दिन में 3-4 से ज्यादा एन.आई.टी. तैयार नहीं हो पाती है। अत: 3-4 टेंडर लगाये जाते है।

(ग) सी.डी.-1 में अब तक तैयार की गई एन.आई.टी. के सभी टेंडर दिनांक 6.12 12 तक लग गए हैं तथा वर्तमान में कोई भी टेंडर लगाना शेष नहीं है।

(घ) इस प्रक्रिया में फिलहाल कोई त्रुटि नहीं है। अत: इसमें सरलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. श्री अरविन्द्र सिंह: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतगर्त कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है, इनका नाम व पता सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है?

(ख) नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए क्या मापदंड हैं तथा सरकार द्वारा कितनी आंगनवाड़ी खोलने का लक्ष्य रखा हैं?

(ग) एक आंगनवाड़ी खोलने में सरकार को कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ती हैं?

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा इस वर्ष आंगनवाड़ी वर्करों के वेतन में बढोत्तरी की गई हैं, यदि हां, तो कितनी?

(ङ) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं एवं कहां-कहां पर तैनात हैं, इसका विवरण क्या हैं;और

(च) क्या देवली विधानसभा में नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री जी:

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं के अंर्तगत 275 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। नाम व पते की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) प्रत्येक जरुरतमंद इलाके में 400 से 800 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा सकता हैं। भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य के लिए 11150 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैं जिसमें से 10615 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(ग) एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित धनराशि व्यय की जाती है;

	कुल व्यय
आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए एक मुश्त राशि (Nonrecurring)	500 रुपये
आंगनवाड़ी केन्द्र का किराया आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/ सहायिका का मानदेय	8250 रुपये प्रतिमाह
प्री-स्कूल किट मेडियन किट आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकायों की वर्दी, विविध	3800 रुपये प्रति वर्ष
पूरक पोशाहार	औसत 500 रु/दिन

(घ) जी हां। 7 नवम्बर 2012 से आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में दिल्ली सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह/ कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकायों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह/सहायिका के हिसाब से बढोत्तरी की गई हैं। वर्तमान में कार्यकर्ता को कुल 500 रुपये प्रतिमाह तथा सहायिका को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता हैं।

(ड़) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 275 आंगनवाड़ी वर्कर हैं। उनकी सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(च) यदि किसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता हैं।

29. चौ. मतीन अहमदः क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में नए औद्योगिक इलाके बनाए जाने है;

(ख) यदि हां, तो पुराने 36 इलाकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त इलाकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री जीः

(क) जी हां

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 22 गैर अनुरुप औद्योगिक क्लस्टरो (Non-conforming Industrial Clusters) को अधिसूचित किया है जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक भूखण्ड संकेन्द्रित हैं।

* दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए नियम एवं दिशानिर्देश 01 मई, 2012 को जारी किये हैं।

* इन क्षेत्रों के पुनर्विकास का कार्य संबंधित पुनर्विकास योजना को एम.सी.डी. द्वारा स्वीकृति दिये जाने के 3 वर्ष के अन्दर किया जाना है।

(ग) लागू नहीं

30. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थान चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो दिल्ली में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां चलाए जा रहे है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कुछ नए संस्थान खोलने का निर्णय लिया है यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने संस्थान खोले जाएंगे; और

(घ) क्या सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र में भी कोई प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोला जायेगा, यदि हां, तो यह संस्थान कब तक खोल दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में कुल 17 सरकारी प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) व 59 गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान चलाए जा रहे हैं। उनकी सूचियों अनुबंधो ''अ'' एवं ''ब'' के रुप में संलग्न हैं।

(ग) जी हां। कुल छः संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

31. श्री साहब सिंह चौहानः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) बनने के पश्चात दिल्ली सरकार के तत्कालीन कर्मचारी/स्टाफ की डीटीयू में वर्तमान में क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने उक्त कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों के लिए कोई डीपीसी अभी तक नहीं बनाई गई और न ही उन्हें अपेक्षित इंकरीमेन्ट व अन्य सुविधाएं दी हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि डीन तथा विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों व बहालियों में डीटीयू एक्ट की लगातार अवहेलना व मनमानी हो रही है, तथा इस संबंध में माननीय उपराज्यपाल के दिनांक 23.10.2012 के आदेश को भी अनदेखा किया गया;

(घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि विद्यार्थियों की संख्या के दृष्टिगत उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई हैं तथा फीस मनमानी बढ़ा दी गई है; और

(च) डीटीयू में कैन्टीन, पार्किंग, सैनीटेशन, सुरक्षा संबंधी ऐजेंसियों का चयन किया आधार पर कब-कब किन शर्तों पर हुआ, इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) डीटसीयू एक्ट की धारा 4 (डी) के अनुसार दिल्ली सरकार के तत्कालीन कर्मचारी/स्टाफ डीटीयू में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो विश्वविद्यालय बनने से पहले उन्हें मिलती थी।

(ख) दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में बदलने के बाद दिनांक 08.06.2010 के आदेशानुसार 71 तकनीकी कर्मचारियों को ए.सी.पी योजना के तहत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया गया और उसके बाद 84 कर्मचारियों (तकनीकी व मिनिस्टेरियल) को दिनांक 27.05.2011 के आदेशानुसार प.सी.पी. व एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया गया उन 24 तकनीकी/ मिनिस्टेरियल कर्मचारियों, जिनके एम.ए.सी.पी. के मामले 30.06.2012 तक देय हैं वह मामले विचाराधीन हैं व उनको जल्द ही अंतिम रुप दे दिया जाएगा।

(ग) इस संबंध में विभाग में शिकायते प्राप्त हुई हैं माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 23. 10.2012 को एक आदेश अंडर सेक्शन 53 दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) कानून 2012 के तहत कुलपति को विभागाध्यक्ष के पुनर्नियुक्ति के लिए जारी किया है। इस संदर्भ में माननीय उपराज्यपाल को स्पष्टीकरण देते हुए, कुलपति द्वारा पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड़) यह सत्य नहीं है, 162 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को वह सभी सुविधाऐं उपलब्ध हैं जो कि एक तकनीकी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए।

फीस की बढ़ोतरी वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में तर्क-संगत तरीके से प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृति के उपरान्त की गई है।

(च) डीटीयू में कैन्टीन, पार्किंग, सैनीटेशन, सुरक्षा संबंधी ऐजेंसियों का चयन ई-टैन्डर के माध्यम से प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत टैन्डर नियमों को आधार मानते हुए एन.आई.टी. के अनुसार किया गया है। नियम व शर्ते संलग्न हैं। इस विश्वविद्यालय में पार्किंग की सुविधा छात्र/छात्राओं, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों को अन्य शिक्षण संस्थाओं की तरह नि:शुल्क उपलब्ध है।

32. श्री विपिन शर्मा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में अनेक एपीएल कार्डो पर मोहर न लगने के कारण उन पर विभाग द्वारा गेंहू, चावल आदि नहीं दिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) एपीएल कार्डो पर मोहर कब तक लगाई जाएगी?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा दिल्ली सरकार को जो कोटा जारी किया गया है वह वर्तमान में मौजूद ए.पी.एल(स्टैम्प्ड), बी.पी.एल., जे.आर.सी. ए.ए.वाई, होमलेस और अन्नपूर्णा कार्डो के लिए ही पर्याप्त है इसीलिए वर्तमान में बन रहे नए ए.पी.एल. राशनकार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

33. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) गोकुल पुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान विधवा पेंशन, एवं विधवाओं की बेटी के विवाह के लिए कितनी सहयोग राशि दी गई, नाम, पते सहित सूचीवार विवरण क्या है,

(ख) कितने फार्म लबित हैं, और

(ग) लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

समाज कल्याण मंत्री जीः

(क) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को दिए गए आर्थिक सहायता का विवरण निम्न है:-

क्रम.	*आर्थिक सहायता*	*लाभार्थियों की सं.*	*कुल राशि रुपए में*
1.	विधवा एवं बेसहारा पेंशन	383	35,39,000
2.	विधवा बेटी विवाह	73	17,05,000

नाम व पते सहित पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

35. श्री कृष्ण त्यागी: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) बुराड़ी विधानसभा के लिए आवश्यक 50 नए आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति कब तक दे दी जायेंगी:

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिए कोई महिला तकनीकी संस्थान खोलने की योजना है, उनका पूर्ण विवरण क्या हैं?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) माननीय विधायक द्वारा नई आंगनवाड़ी खोलने का अनुरोध भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही खोल दिये जायेंगे। जिसके लिए विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:-

(1) विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रु. प्रतिमाह पेंशन योजना।

(2) विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30,000/-रु. एक मुश्त राशि देने की योजना।

(3) लाडली योजना।

(4) प्रियादर्शनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विश्वास नगर, दिल्ली।

(5) महिला कार्य केन्द्र।

(6) घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

(7) दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिरोध अधिकारी नामित किया गया हैं।

(8) दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।

(9) निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम गृह।

(10) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।

(11) आवाज उठाओ।

(12) कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता। इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चार गृह निर्मल छाया परिसर जेल रोड़ में चलाए जा रहे है।

36. श्री कुलवंत राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में कुल कितने तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं तथा कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) रोहिणी में कितने तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं इनके नाम क्या हैं, इनमें किन-किन

विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा इनमें कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा नए तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितने भू-खंड लिए गए हैं, तथा किन-किन स्थानों पर हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह भूमि प्राप्त की जा चुकी हैं; और

(ड़) सरकार कब तक नए तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोल देगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) दिल्ली में कुल 133 तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं जिनमें से 38 सरकारी (विश्वविद्यालय-03, संस्थान-07, पाूलिटेकनिक-11 तथा आई.टी. आई.-17), 3 सरकारी सहायता प्राप्त व 92 गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान (संस्थान-25, पॉलिटेकनिक-08 तथा आई.टी.आई/आई.टी.सी-59), हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान जो प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं उनकी सूचियां अनुबंधों ''ब'' के रुप में पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) रोहिणी में निम्नलिखित 2 तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं:-

(1) रोहिणी में गुरु नानक देव पॉलिटेकनिक (सरकारी) है जिसमें निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती है:-

विषय	*I सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*	*III सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*	*V सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*
कैमिकल इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	62/49	54/42	54/35
इलेक्ट्रो. व कॉम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	70/50	67/48	57/35
मैकेनिकल इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	66/52	69/51	48/44
पॉलिमर इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	63/60	51/61	50/47
इलेक्ट्रीक इंजिनियरिंग (सुबह)	70/..	63/..	57/..

(2) रोहिणी में माउण्ट आबू प्राइवेट आई.टी.आई सैक्टर-5 में स्थित है जिसमें कि कम्पयूटर ओपरेटिंग एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है जिसमें 40 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए कोई भी भू-खंड प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ड़) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

37. श्री अनिल कुमारः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के बीपीएल के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल की जगह गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में तथा पटपडगंज विधान सभा क्षेत्र में इनकी संख्या क्या है:

(ग) क्या यह सत्य है कि जिन कार्डधारियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, यदि हां, तो इसका विवरण क्या है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ बीपीएल कार्डधारियों के नाम पर एक भी गैस कनैक्शन नहीं है लेकिन उनके राशन कार्ड पर गैस कनेक्शसन चढा हुआ है,

(ड) क्या ऐसे व्यक्ति दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने वाली योजना का लाभ ले सकते हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में 'कैरोसीन मुक्त दिल्ली' योजना के अंतर्गत कुल 356395 बीपीएल/ एएवाई/जेआरसी कार्डधारी हैं तथा पटपडगंज मंडल संख्या 57 में बीपीएल/ एएवाई/जेआरसी (एपीएल) कार्डधारियों की कल संख्या 2318 हैं जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है;

एएवाई- 762

बीपीएल- 1395

जेआरसी- 161

(ग) जी नहीं।

(घ, ड़ एवं च) अभी हाल में ऐसी कुछ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। जांच के पश्चात ऐसे कार्डधारकों को गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा सकेगी।

38. श्री रमेश विधूड़ी: क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त हो रही है?

(ख) यदि हां, तो वित वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली सरकार को इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

(ग) दिनांक 01.12.2012 तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा वह कहां-कहां पर खर्च हुई, उसका विस्तृत विवरण क्या हैं?

(घ) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस समेकित योजना के अंतर्गत क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका विस्तृत विवरण क्षेत्रानुसार क्या हैं? और

(ड़) क्या इस आई.सी.डी.एस ICDS योजना के लिए दिल्ली सरकार का भी आर्थिक योगदान हैं, यदि हां, तो इसका विवरण क्या हैं?

शिक्षा मंत्री जी:

(क) जी हां। समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होने के कारण भारत सरकार आर्थिक मदद भी प्रदान कर रही हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली सरकार को इस योजना के अंतर्गत कुल 70.14 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

(ग) केन्द्र सरकार

	प्राप्त राशि (2012-13)	*2011-12 की Liabilities (रुपये में)*	*2012-13 लिए कुल उपलब्ध राशि (Col 2 B Col3)*	*खर्चा (2012-13)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
ICDS General (90%)	60-44 करोड़ रुपये	17-81	4153	36-37
Supplementary Nutrition Programme (50%)	27-81 करोड़ रुपये	10.44	17.16	4.18

ICDS General की राशि स्टाफ की सैलरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय, आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया, प्री-स्कूल किट, मेडिसिन किट, कन्टीजैन्सी आदि पर खर्च हुई हैं तथा SNP की राशि पूरक पोषहार पर खर्च हुई हैं।

(घ) दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

लाभार्थी

1.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)	गर्भवती महिला-17 वर्ष से अधिक की आयु जिसका पहला व दूसरा प्रसव हो जिसमें उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया हो और जिसका पति सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के

		उपक्रम (केन्द्रीय या राज्य सरकार) में काम नहीं करता हैं। लाभार्थियों को 4000 रुपये की धन राशि उचित देखभाल हेतु 3 किश्तों में निर्धारित शर्तो के आधार पर दी जाती हैं। यह योजना उत्तर पश्चिम व पश्चिम जिलों में चल रही हैं।
2.	कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता	कमजोर वर्ग की एव अनुसूचित जाति एवं जन जाति की दूध पिलाने वाली महिलाओं को उचित पोषाहार हेतु प्रथम 2 बच्चों के जन्म पर 400 रुपये की एक मुश्त राशि।
3.	राजीव गांधी किशोरी सशक्ती करण योजना 'सबला'	इसके अर्न्तगत 11 से 15 वर्ष की किशोरियों को पोषाहार एवं गेर पोषाहर संबधी सेवायें उपलब्ध कराई जाती है जिसमें स्वास्थ्य जांच, आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियों का वितरण, जीवन कौशल कला शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान हैं। यह योजना पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर पूर्व जिलों में चल रही हैं।

(ड़) जी हां। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार भी निम्न अनुपात के अनुसार दिल्ली सरकार भी निम्न अनुपात के अनुसार आर्थिक योगदान करती हैं;

	दिल्ली सरकार
पुरक पोषहार हेतू (Supplementary Nutrition Programme)	कुल राशि का 40 प्रतिशत
तनख्वाह मानदेय आंगनवाड़ी का किराया एवं अन्य	कुल राशि का 10 प्रतिशत

उपरोक्त के अतिरिक्त दिल्ली सरकार निम्न मदों पर भी खर्चा करती हैं;

आंगनवाड़ी कार्यकताओं का मानदेय	1140 रुपये प्रतिमाह सहायिका (1000+140 रुपये 10)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 2 वर्दी	400 रुपये प्रति वर्ष /कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी सहायिकायों की 2 वर्दी	400 रुपये प्रति वर्ष/सहायिका
पूरक पोषहार	3 रुपये प्रतिदिन/प्रति बच्चा (1+2 रुपये 40)
	3 रुपये प्रतिदिन / प्रति (0.40+2.40 रुपये 40)

39. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या लोक निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा विजय नगर सिंगल स्टोरी से गुड़ मंडी जी.टी. रोड तक नजफगढ नाले के साथ-साथ सड़क का निर्माण प्रस्तावित है?

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के प्रारम्भ होने में देरी के क्या कारण हैं? और

(ग) इस सड़क का निर्माण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री जी:

(क) जी नहीं। विजय नगर सिंगल स्टोरी से गुड़मंडी जी.टी रोड तक नजफगढ नाले के अंदर पिलर खड़े करके सड़क चौड़ा किये जाने की एक योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है।

(ख तथा ग) विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने तथा अध्ययन के पश्चात उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

40. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पेंशन व आर्थिक सहायता कब तक दी गई हैं,

(ख) उसका पूर्ण विवरण क्या है,

(ग) क्या विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढाने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक, इनमें वृद्धि कर दी जायेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा पेंशन एवं आर्थिक सहायता का नवम्बर 2012 तक का विवरण निम्नलिखित है:-

क.स.	*योजना का नाम*	*कुल लाभार्थी*
1.	विधवा पेंशन	1712
2.	आर्थिक सहायता (एन एफ बी एस)	26

विभाग द्वारा सभी आवेदन-पत्र जिनमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, 45 दिनों के अंदर स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) फिलहाल नहीं, परंतु सरकार ने विधवा/निराश्रित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि दिनांक 01.04.2012 से 1000 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. कर दी है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

52. श्री अरविन्दर सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली को पूर्ण किरोसीन मुक्त करने हेतु सरकार की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को किरोसीन मुक्त करने हेतु गैस कनैक्शन दिए जा चुके हैं,

(ग) देवली विधान सभा क्षेत्र में कितने परिवारों को किरोसीन मुक्त कर गैस कनेक्शन दिए है, उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए; और

(घ) परिवारों को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएगें?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) दिनांक 4/12/2012 की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 1619 कार्डधारियों को गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके है।

(ग एवं घ) देवली विधान सभा क्षेत्र में अब तक 963 लोगों ने कैरोसीन फ्री दिल्ली योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। इसमें से 634 फार्म गैस कम्पनी को भेज दिए गए हैं तथा 328 फार्म गैस वितरक के पास लंबित हैं। एक गैस कनेक्शन श्री जहीर अहमद को रिलीज हुआ है जिनका पता-77 बी ब्लाक संजय कैम्प दक्षिणपुरी एक्सटेंक्शन है। 31 जनवरी 2013 तक सभी पात्र आवेदकों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रखा गया है।

53. श्री अरविन्दर सिंहः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बीपीएल कार्डधारियों को राशन देना बंद कर दिया गया है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कार्डधारियों को राशन के बदले नकद धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा सीघे कार्डधारियों के खाते में किया जा रहा है,

(ग) इस भुगतान को करने की प्रक्रिया क्या है, और

(घ) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्डधारियों को भुगतान किया गया उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख, ग एवं घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

54. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अंत्योदय/पीले कार्डधारकों को रशन पर दी जाने वाली सब्सिडी के बदले नकद भुगतान किए जाने संबंधी योजना लागू कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्डधारकों की संख्या पूरी दिल्ली में कितनी व करावल नगर विधानसभा में कितनी है,

(ग) इन कार्डधारको को सब्सिडी दिए जाने के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कई उच्च आय वर्ग के श्रेणी के लोगों द्वारा इस तरह फार्म भरे गये हैं,

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच-पडताल की गई है; और

(च) यदि हां, तो क्या यदि नहीं तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

55. श्री कुलवंत राणाः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मिट्टी के तेल के डिपो हैं, और किन-किन स्थानों पर किस-किस नाम से हैं, उनके मालिक कौन-कौन हैं, प्रत्येक डिपो पर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है व इनको प्रति माह कितना-कितना तेल मिलता है, प्रत्येक डिपोवार उपभोक्ताओं के नाम व पते सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मिट्टी तेल कार्डधारी को गैस चुल्हा एवं सिलेंडर मुहैया करवाने का फैसला किया है, इस योजना के तहत आज तक कितने लोगों को गैस चुल्हे व सिलेंडर दिए गए है, और कहां-कहां पर दिए गए हैं, उनकी नाम व पते सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ग) दिल्ली सरकार किन-किन नियम व शर्तो के अनुसार कम्पनियों से गैस चुल्हे एवं सिलेंडर प्राप्त कर रह हैं, उसके रेट क्या हैं, और किस आधार पर लिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 12.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है। प्रत्येक डिपोवार उपभोक्ताओं के नाम व पते की सूची सीडी में संलग्न है।

(ख) दिल्ली सरकार की किरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत उन 356395 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी राशन कार्डधारियों को मुफ्त गैस कनैक्शन, जिसके तहत पहली बार एलपीजी भरा सिलेंडर, चूल्हा, रेगूलेटर तथा सुरक्षा पाइप मुफ्त प्रदान किया जा रहा है जो कि दिल्ली सरकार के खादय एवं आपूर्ति विभाग से सस्ती दर पर मिट्टी का तेल प्राप्त करतें हैं तथा गैस उपभोक्ता नहीं है। अभी तक कुल 1619 कनैक्शन गैस कम्पनियों द्वारा जारी किए गएं हैं लाभर्थियों के नाम व पते की सूची सीडी में संलग्न है।

(ग) दिल्ली सरकार की किरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत सिलेंडर तथा रेगुलेटर के एवज में घरोहर राशि के रुप में प्रत्येक बीपीएल/एएवाई कार्डधारी के लिए रु. 800/ भारत सरकार तथा रु. 800/ दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। तथा जेआरसी (एपीएल) कार्डधारी के एवज में रु. 1600/ के हिसाब से पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक बीपीए/एएवाई/जेआरसी (एपीएल) कार्डधारी को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने में वहन किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा निम्न है:–

कार्डधारी की श्रेणी	*सिलिंडर एवं रेगूलेटर की कीमत (रुपये में)*	*दो बर्नर चूल्हा +रबर पाईप+ नीली किताब + इनस्टांलेशन चार्ज (रुपये में)*	*एलपीजी की लगत (रुपये में)*	*दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत राशि (रुपये में)*	*भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत राशि (रुपये में)*
एएवाई	1600	1250	399	2449	800
बीपीएल	1600	1250	399	2449	800
एपीएल (जेआरसी)	1600	1250	399	3249	--

56. श्री कुलवंत राणाः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जो राशन कार्डधारी हैं और दिल्ली सरकार से राशन प्राप्त कर रहे हैं व अलग-अलग श्रेणी के हैं उनमें से दिल्ली सरकार अन्नश्री योजना के तहत किस-किस श्रेणी के कितने-कितने लोगों को सम्मिलित करेंगी? इस योजना को कैसे लागू किए जाएगा व इसके क्या मापदंड होंगे? यह योजना कब तक लागू हो जाएगी और खाते में पैसे कब तक आने प्रारम्भ हो जाएंगे,

(ख) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है उनके नाम, पते व फौन नं. सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ग) गरीबी रेखा के नीचे दिल्ली में कुल कितने लोग हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में न्यूनतम गरीबी की वार्षिक आय 60,000 रुपये निश्चित की गई है, क्या यह आय बहुत कम नहीं है, क्या इस वार्षिक न्यूनतम आय के कारण बहुत सारे गरीब लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्या सरकार इसको बढाने की कोई योजना बना रही है ताकि सभी गरीब लोग इसका लाभ उठा सके,

(ड़) सरकार ने जिन व्यक्तियों को उचित दर दुकाने दे रखी है उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है, और एफ.पी.एस. की अन्नश्री योजना में क्या भूमिका रहेगी, क्या यह भी सत्य है कि प्रत्येक एफ.पी.एस. पर फर्जी राशन कार्ड हैं, सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार

के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस)के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनको रुपये 600/- प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्त वर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ. 4/23/08एआर/8562-8562/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ.जी.एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा चालक एवं धरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008 अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ, जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों की सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम)द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) अन्नश्री योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान की प्रकिया जारी है। अत: अभी उनकी सूची मुहैया नहीं कराई जा सकती।

(ग) बीपीएल एवं एएवाई-3,65,099।

(घ) ये सत्य नहीं है। शेष उपर्युक्त क के अनुसार।

(ङ) सरकार द्वारा उचित दर दुकानों पर राशन बांटने का कार्य जारी है और अन्नश्री योजना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। फर्जी राशन कार्ड का जैसे ही संज्ञान में आता है तो विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

57. श्री विपिन शर्मा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के आदेशानुसार बी.पी.एल.कार्ड धारियों को खाना पकाने की गैस सिलेंडर तथा अन्य साज सामाज सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु आज कल खादय विभाग में बी.पी.एल. कार्डधारियों का पंजीकरण किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को सर्कल नं. 64 के कर्मचारियों द्वारा अधिकतर कार्डधारियों को यह बताकर परेशान किया जा रहा है चूंकि कम्पूयटर में उनके बीपीएल कार्डो का कोई विवरण नहीं है,

(ग) यदि यह सत्य है तो मंत्री महोदय राशन कार्ड तो खादय विभाग द्वारा बनाए गए, फिर कम्प्यूटर में उनके कार्डो का कोई विवरण न होने का क्या कारण है,

(घ) महोदय इस त्रुटिपूर्ण कृत्य को कोई ठीक करके बीपीएल कार्ड धारियों को गैस की सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, विस्तार से बताया जाए।

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख, ग एवं घ) इस तरह के 115 कार्डधारियों के मामले अभी तक प्रकाश में आएं हैं और उनमें से 15 कार्डधारियों का विवरण कम्प्यूटर में डाला जा चुका है और वह अब चालू हैं उनको भी इस कैरोसीन फ्री दिल्ली के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा और अन्य 100 कार्डधारियों का विवरण जांच करने के उपरांत उनका निपटारा किया जाएगा। जिनकी प्रक्रिया जारी है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

बीपीएल/एएवाई	इनएक्टिव श्रेणी	संख्या-73
बीपीएल/एएवाई	000 श्रेणी	संख्या-42

जिन कार्डो का विवरण कम्प्यूटर में डाल दिया गया है और चालू कर दिया गया है।

बीपीएल/एएवाई	इनएक्टिव श्रेणी	संख्या-13
बीपीएल/एएवाई	000 श्रेणी	संख्या-02

58. श्री मतीन अहमदः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में बीपीएल कार्डो की गिनती कितनी हैं,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में बीपीएल कार्ड खत्म किए जा रहें हैं,

(ग) यदि हां, तो आगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या उनको राशन व मिट्टी का तेल मिलेगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) 3,65,099

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त ख के अनुसार लागू नहीं है।

59. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली को केरोसीन फ्री बनाने की योजना के चलते तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ झुग्गी बस्ती है जिनमें रहने वालों के राशन कार्डो में घर लिखा है परंतु वह पूर्णतः झुग्गी बस्तीर क्षेत्र हैं, (उदाहरणतः संजय कैम्प, इन्द्रा बस्ती, मलिकपुर झुग्गी, नन्द लाल झुग्गी कैम्प, इत्यादि) परंतु घर लिखे होने के कारण उन्हें केरीसीन फ्री दिल्ली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से झुग्गी वालों के पास वास्तव में गैस कनेक्शन नहीं है, परंतु उनके राशन कार्डो में गैस उपभोक्ता लिखा है, जिस कारण उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से सामान्य श्रेणी एपीएल के कार्डधारक भी हैं, जिनकी माली हालत खराब है, और उनके पास भी गैस कनेक्शन नहीं है और वो मिट्टी का तेल ले रहें है, परंतु राशन कार्ड में गैस और सामान्य लिखा होने के कारण उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन सब विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) कैरोसीन फ्री दिल्ली का लाभ बीपीएल/एएवाई/जेआरसी कार्डधारियों को दिया जा रहा है जो मिट्टी का तेल लेते हैं।

(ख) अभी हाल में ऐसी कुछ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। जांच के पश्चात ऐसे कार्डधारकों को गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा सकेगी।

(ग) जी नहीं सामान्य श्रेणी के एपीएल कार्डधारकों को मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है।

(घ) उपर्युक्त क, ख एवं ग के अनुसार

60. श्री जय भगवान अग्रवालः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सर्कल नं. 13 रोहिणी में कुल कितने एपीएल/बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं,

(ख) जो बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, उनमें कितने राशन कार्डो पर उपभोक्ता को खादय सामग्री मिलती है,

(ग) जिन बीपीएल राशन कार्डो पर खादय सामग्री नहीं मिलती है उसके क्या कारण है,

(घ) क्या जिन बीपीएल राशन कार्डधारियों को खादय सामग्री नहीं मिलती है उनको खादय सामग्री दिलवाने की सरकार की कोई योजना है, और

(ड़) यदि हां, तो वह क्या है और कब तक क्रियान्वित हो जाएगी?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) मंडल-13 में कुल कार्ड संख्या निम्न प्रकार है: एएवाई-1060, बीपीएल-1522, एपीएल (जेआरसी)-139, (आरसीआरस)-2, एवं एपीएल (स्टाम्पड)-10539

(ख) सभी 1522 बीपीएल कार्डो पर राशन सामग्री मिलती हैं।

(ग, घ एवं ड़) उपर्युक्त क एवं ख के अनुसार।

61. डॉ. हर्षवर्धन: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड बनाए गए हैं,

(ख) दिल्ली में कितने राशन कार्ड आज तक बनाए गए हैं और उनकी क्या-क्या केटेगरी हैं और क्या आधार कार्ड जिनके बनाए गए हैं उनके राशन कार्ड बनाने की कोई योजना है,

(ग) क्या दिल्ली सरकार द्वारा राशन के बदले कैश सब्सिडी दिए जाने की कोई योजना है, यदि हां तो कैश सब्सिडी किन लोगों को दी जाएगी, उसका चयन कैसे किया गया है और सरकार ने इसके लिए कितने धन का प्रावधान किया है

(घ) क्या कैश सब्सिडी बीपीएल, एएवाई के लिए भी है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) बीपीएल-262056, एएवाई-103043, एपीएल (जेआरसी-40456, आरसीआरसी-221206, एपीएल (अनस्टैम्पड)-1585050, एपीएल (स्टैम्पड)-1153286। दिल्ली का कोई भी नागरिक राशन कार्ड बनवा सकता है चाहे उसके पास आधार कार्ड हो या न हो।

(ग एवं घ) दिल्ली सरकार द्वारा राशन के बदले कैश सब्सिडी दिए जाने की योजना विचाराधीन हैं।

62. श्री नसीब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) शाहदरा साउथ जोन में कैटरिंग वैन के कितने लाईसेंस हैं और किस-किस स्थान पर वह वैन खडी है; और

(ख) बिना लाईसेंस के जो वैन खड़ी है वह कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध करवाई जाए?

शहरी विकास मंत्री जी:

(क) शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में सभी लाईसेंस शुदा कैटरिंग वैंन अब शेफ कार्ट में परिवर्तित हो गई है और वर्तमान में आठ शेफ कार्ट लाईसेंस शुदा है जिनकी सूची संलग्न है।

एक शेफ कार्ट जो अपोजिट आन्नद लोक अपार्टमेंट में खड़ी होती है उसका लाईसैंस रद्द कर दिया गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है।

(ख) दिनांक 01.04.2012 से अब तक बिना लाईसेंस की अब तक 11 शेफ कार्ट जब्त करके नियमानुसार कार्यवाही की गई। जब्त की गई शेफ कार्ट का विवरण इस प्रकार है:-

26.05.2012-एक शेफ कार्ट-स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर

02.06.2012-एक शेफ कार्ट-ललिता पार्क लक्ष्मी नगर

11.06.2012-एक शेफ कार्ट-वसुंधरा इन्कलेव

14.06.2012-एक शेफ कार्ट- कृष्णा नगर

26.06.2012-एक शेफ कार्ट-क्रास रिवर माल के पास

23.10.2012-चार शेफ कार्ट-सी.बी.डी. ग्राउड (2)

आई.पी.एक्स.(1) तथा स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर (1)

21.11.2012-दो शेफ कार्ट-स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर ललिता पार्क लक्ष्मी नगर

क्रम संख्या	*ट्रेडर का नाम व पता*	*स्वीकृत अबटित स्थान*
(1)	श्रीमती इंद्रा आर्य, 49 श्याम एन्क्लेव I.P. एक्सटेंशन, दिल्ली	Beyond 200 meter away from Road No.58 towards CBD Ground.
(2)	श्री राजेन्द्र सिंह, B-87, एम आई जी फ्लैटस, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली।	मंगलम मार्ग, पसरेलवे आरक्षण भवन Institutional Area, कडकडडूमा, दिल्ली

(3)	श्री अनुज भारद्वाज, A-16/5, चेतराम गली, मोजपुर दिल्ली	Balco Society front Martket, Patpar Ganj
(4)	श्री अनिल कुमार सूद, 76, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, दिल्ली	Opp, DDA Land Near Amar Jyoti School, Har Govind Enclave.
(5)	श्री गौतम सिंह, 39-B, Pkt 3, मयूर विहार, फेज III, दिल्ली	Infront of Pratap Ngr. Bhagaywan Society, Acharya Naketan, Mayur Vihar, Phase 1 Delhi.
(6)	श्रीमती एलविन्ना विल्लियम, 426, Pkt, B-5 सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली	In front of Fine Home Apptt., Acharaya Niketan, Mayur Vihar Phase.
(7)	श्री मती निशा कपूर B-23, GTK रोड़, ईडस्ट्रियल एरिया दिल्ली	महाराजा सूरजमल पार्क, गेट नबंर 5 दिल्ली
(8)	श्रीमती रवला, H. No. 44, गली न.6, संत नगर, दिल्ली	अपोजिट आदित्य आर्केड विल्डिंग, पास महावीर स्वामी पार्क, आवार्थ नागराज मार्ग, प्रीत विहार

63. श्री सतप्रकाश राणाः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बीपीएल व एपीएल कार्ड हैं, नाम व पते सहित इनकी पूरी जानकारी क्या है,

(ख) इसमें से कितने लोगों ने अब तक गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया हैं और इनमें से कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा,

(ग) यदि जिस पते पर राशन कार्ड बना हुआ है, उक्त पते पर परिवार के किसी सदस्य

के नाम पहले से गैस कनेक्शन है तो क्या उस राशन कार्ड पर गैस कनेक्शन दिया जाएगा या नहीं, और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त राशन कार्डधारी इसके लिए क्या कर सकता है जिससे कि गैस कनेक्शन मिल सके?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में बीपीएल-6459, एएवाई-2146, एपीएल (स्टैम्पड)-18517, एपीएल (जेआरसी)-372 एवं एपीएल (अनस्टैम्पड) 31676 राशनकार्ड हैं। (सीडी संलग्न है।)

(ख) दिनांक 05.12.2012 तक 1848 लोगों ने आवेदन किया है और जो औपचारिकता पूरी करेंगे उन्हीं को कनेक्शन दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) परिवार में एक व्यक्ति को केवल एक ही गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

64. श्री सतप्रकाश राणा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में वर्तमान में कुल कितने सफेद राशन कार्डधारी हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है,

(ख) क्या अन्नश्री योजना के अंतर्गत पहले ऐसे परिवारों को सम्मिलित नहीं किया जाना था जोकि पिछले कई वर्षो से राशनकार्ड होने के बावजूद राशन से वंचित हैं,

(ग) क्या सरकार उक्त राशन कार्ड धारियों को राशन देने या अन्नश्री योजना में सम्मिलित करने का विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो पूरी योजना क्या है और कब तक इन राशन कार्ड धारियों को लाभ प्राप्त होगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) ऐसे कुल सफेद राशन कार्डो की संख्या 15,85,050 है।

(ख ग एवं घ) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें है उनको रुपये 600/- प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला समस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्त वर्ष के दौरान ही शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ.4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ, जी, एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।
2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।
3. पेशागत मापदंड-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा चालक एवं धरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खाते में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

65. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में कुल कितने बीपीएल कार्डधारी हैं जो राशनकार्ड पर लिखे पते पर ही निवास करते हैं और स्वयं ही राशन लेते हैं,

(ख) सरकार जरुरतमंदों के लिए नए बीपीएल कार्ड बनाना कब तक शुरु करेंगी,

(ग) सरकार की अन्नश्री योजना को एनजीओ को देने के बजाय विधायकों को क्यों नहीं दिया गया,

(घ) यदि विधायक के द्वारा किसी जरुरतमंद गरीब को इस योजना का लाभ देना हो,

जो जीआरसी सर्वे में नहीं हैं, तो इसके लिए क्या तरीका है, और

(ड़) सरकार की अन्नश्री योजना के फॉर्मो पर माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो किस आदेश के तहत लगाई जाती है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) ऐसे कुल बीपीएल कार्डधारी 3,65,099 है।

(ख) अभी इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) अन्नश्री योजना में लाभार्थी के आवेदन पर क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति ली जाती है।

(घ) अन्नश्री योजना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

(ड़) आवेदन पत्र की स्वीकृति दिल्ली कैबिनेट से ली गई थी।

66. श्री जयकिशनः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सुलतानपुर माजरा क्षेत्र में मिट्टी तेल उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने शुरु कर दिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और

(ग) इस क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को कब तक सिलेण्डर उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क,ख एवं ग) सुलतानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 07/12/2012 तक 1481 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए है उनमें से 952 आवेदन पत्र गैस कम्पनियों तथा 328 गैस वितरकों के पास लम्बित हैं। आवेदन पत्रों की जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होगी उसी के अनुरुप गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

67. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बीपीएल एवं अन्य राशन कार्ड नये बनाने का कार्य पिछले कई वर्षो से बंद हैं, इसका क्या कारण है,

(ख) पालम विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्डो का एफपीएस के हिसाब से किस-किस के कितने कार्ड बने हैं, इसका पूरा विवरण क्या है,

(ग) नए बीपीएल एवं दूसरे कार्ड पर मुहर लगाने का कार्य कब तक शुरु होगा, और

(घ) पिछले 14 सालों से झुग्गी झोपडी के कार्ड नये बंद हैं, क्या उनको नया कार्ड मिलेगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां। दिल्ली में बी.पी.एल. कार्डो की संख्या, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, दिल्ली के लिए स्वीकृत बी.पी.एल. राशन कार्डो की संख्या के लगभग बराबर है। ए.पी.एल (अनस्टाम्पड) राशन कार्ड बनाए जा रहे है।

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) नये बीपीएल कार्ड बनाने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। नये एपीएल कार्डो पर मुहर लगाने के कार्य का मामला विचाराधीन है।

(घ) उपरोक्त कम संख्या 'ग' के अनुसार।

68. श्री साहब सिंह चौहानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान खादय एवं संभरण विभाग द्वारा राशन एवं मिट्टी के तेल की दुकानों के माध्यम से किन-किन चीजों को कार्डधारियों को दिया जाता है,

(ख) किस-किस श्रेणी के राशन कार्डो पर खादय सामग्री एवं मिट्टी का तेल कितनी मात्रा में दिया जाता है,

(ग) उक्त वस्तुओ की दरें क्या है,

(घ) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कार्डो की संख्या क्या है; और

(ड़) क्या कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिन पर कुछ भी वस्तुएं नहीं मिलती, यदि हां, तो उनकी वर्तमान में संख्या एवं श्रेणी क्या है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) वर्तमान में खादय एवं संभरण विभाग द्वारा राशन एवं मिट्टी के तेल की दुकानों के माध्यम से निम्नलिखित साम्रगी दी जाती है।

1. गेहूं। 2. चावल।

3. चीनी। 4. मिट्टी का तेल

(ख एवं ग) खादय एवं संभरण विभाग द्वारा वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के राशनकार्डो पर जारी किये जा रेह राशन सामग्री की मात्रा एवं मूल्य की सूची निम्न प्रकार है-

वस्तुएं	बी.पी.एल. कार्ड		ए.पी.एल (स्टाम्पड)		ए.ए.वाई		ए.पी.एल (जे आर सी)		ए.पी.एल (आर सी आर सी)	
	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो
गेहूं	24 किलो	4.80 रु.	18 किलो	7.05 रु	25 किलो	2.00 रु	25 किलो	7.05 रु	25 किलो	7.05 रु
चावल	10 किलो	6.30 रु.	4 किलो	9.25	10 किलो	3.00 रु.	10 किलो	9.25 रु	10 किलो	9.25 रु.
चीनी	06 किलो	13.65 रु.	-	-	06 किलो	13.50 रु.	-	-	-	-
मिट्टी का तेल	12.50 ली.	14.79 रु.	-	-	12.50 ली	14.79	12.50 ली	14.79	-	-

(घ) दिनांक 06/12/2012 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कार्डो की संख्या निम्न प्रकार है-बी.पी.एल- 262056, ए.पी.एल (स्टैम्पड)-1153286।

(ड़) जिन राशन कार्डो पर राशन नहीं जाता है उनकी संख्या 1585050 है, ये एपीएल अनस्टैम्पड की श्रेणी में आते हैं।

69. श्री साहब सिंह चौहानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अन्नश्री योजना क्या है,

(ख) इस योजना के तहत किस श्रेणी के कार्डधारियों को यह सुविधा दी जा रही है?

(ग) उक्त कार्डधारियो के चयन की प्रक्रिया व आधार क्या है, और

(घ) किस-किस विधान सभा में किन-किन कार्डधारियों को चयनित किया गया है, उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क व ख) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको रुपये 600/-प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्तवर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

(ग) दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. *भौगोलिक मापदण्ड*-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. *सामाजिक मापदण्ड*-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. *पेशागत मापदंड*-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) उपर्युक्त (क एवं ख) के अनुसार लागू नहीं।

70. श्री वीर सिंह धींगानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार अन्नश्री योजना के तरह उन गरीब लोगों के कार्ड बना रही है, जो राशन से वंचित हैं,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने कार्ड अन्नश्री योजना के तहत बनाए गए हैं, और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जिन लोगों के पास एसीएल कार्ड पहले से ही मौजूद है तथा वे बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, क्या उन लोगों को भी अन्नश्री योजना के कार्ड दिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में अन्नश्री योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

(ग) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको रुपये 600/-प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैक खाते में सीधे अंतरित की

जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्तवर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड- अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड- कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय

संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

71. श्री वीर सिंह धींगानः क्या उर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के खादय एवं संभरण विभाग में कुछ रिक्तियां भरी गई है,

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रिक्तियां भरी गई हैं,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि खादय एवं संभरण विभाग में बडे पैमाने पर स्टाफ की कमी है,

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के प्रत्येक सर्किल में किन-किन पदों की कुल कितनी कमी है, और

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार यथाशीघ्र राशन विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करेगी, यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) रिक्तियां भरने की प्रकिया सतत एवं निरंतर रहती है।

(ग) जी हां, कुल 559 पद रिक्त है परन्तु कार्य निष्पादन के लिए 100 डाटा एन्ट्री आपरेटर नियुक्त किए गए है जो एल डी सी का कार्य कर रहे है।

(घ) सर्किल अनुसार पद स्वीकृत नहीं है, विभाग में स्वीकृत रिक्त एवं भरे हुए पदों की सूची संलग्न है।

(ङ) इस विभाग द्वारा समय-समय पर सेवा विभाग, दिल्ली सरकार को रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए पत्र-व्यवहार किया जाता है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
VACANCY POSITION AS ON 1-12-2012

S.N.	*Post*	*Grade Pay*	*Sanctioned*	*Filled*	*Vacant*
1.	Secretary-cum-Commissioner (IAS)	10000	01	01	00
2.	Spl. Secretary-cum-Spl. Commissioner (DANICS)	8700	01	01	00
3.	Addl. Secretary-cum-Addl. Commissioner/ Joint commissioner (DANICS)	7600/6600	02	02	00
4.	System Analyst	6600	01	01	00
5.	Asstt. Commissioner (DANICS/ Adhoc DANICS)	5400	09	08	01
6.	Registrar (DANICS/Adhoc DANICS)	5400	01	01	00
7.	Asstt. Director (CA) (DANICS/ Adhoc DANICS)	5400	02	02	00

8.	SMIO (DANICS/Adhoc DANICS)	5400	01	00	01
9.	Accounts Officer	5400	01	00	01
10.	A.A.O	4800	02	02	00
11.	F.S.O (GR-1 DASS)	4800/5400	72	57	15
12.	Superintendent (GR-1 DASS)	4800/5400	09	03	06
13.	Civil Supply Officer (GR-1 DASS)	4800/5400	02	00	02
14.	M.I.O (GR-1 DASS)	4800/5400	01	00	01
15.	Statistical Officer	4600	02	02	00
16.	Sr. P.A	4800/5400	04	04	00
17.	Programmer (IT)	5400	04	01	03
18.	Asstt. Programmer (IT)	4200	03	02	01
19.	Inspector (GR-II DASS)	4200	273	130	143
20.	Sub-Inspector (GR-IV DASS)	1900	40	00	40
21.	Head Clerk (GR-II DASS)	4200	56	27	29
22.	U.D.C (GR-III DASS)	2400	133	77	56
23.	Steno (GR-II)	4200	14	14	00
24.	Steno (GR-III)	2400	18	11	07
25.	Legal Assistant	2400	18	11	07
26.	Statistical Assistant	4200	09	05	04
27.	L.D.C (GR-IV DASS)	1900	283	95	188
28.	Class-IV/Peon (Group 'C' Post 6th CPC)	1800/1900	177	121	56
29.	Motor Cycle Messenger	1800	05	01	04
30.	Driver	1800	15	14	01
	TOTAL		**1142**	**583**	**559**

72. श्री रमेश बिधुडी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा कैरोसिन मुक्त दिल्ली बनाने की घोषणा की है, यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री गैस कनेक्शन की आपूर्ति सरकार द्वारा करनी है, क्या यह भी सत्य है कि बहुतायत में लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन की आपूर्ति नहीं हुई है, यदि हां, तो,

(ख) तुगलकाबाद विघानसभा क्षेत्र में कुल कितने फ्री गैस कनेक्शन वितरित होने हैं,

(ग) कितने अभी तक वितरित हुए है,

(घ) बाकी कब तक वितरण होंगे,

(ड़) तुलगकाबाद विधानसभा क्षेत्र में फ्री गैस कनेक्शन के लिए कौन सी एजेंसियां हैं, उनके पते सहित विवरण क्या है,

(च) क्या सरकार की उन संस्थानों के विरुद्ध कोई योजना है जो गैस कनेक्शन देने में देरी के लिए जिम्मेदार हैं; और

(छ) यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क)से(घ) ये सत्य है कि सरकार द्वारा कैरोसिन मुक्त दिल्ली बनाने की योजना है जिसके अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत दिनांक 06/12/2012 तक तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2248 लोगों के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 53 लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1214 आवेदन पत्र

गैस कम्पनी के पास तथा 980 गैस वितरक के पास लंबित पडे हैं। शेष लाभार्थियों हेतु प्रक्रिया जारी है।

(ड) एकमात्र वितरक एस एण्ड पी एण्टरप्राइजेज है जिसका पता दुकान नं.-8 अरावली शॉपिंग काम्पलेक्स, अरावली अपार्टमैंटस अलकनंदा, नई दिल्ली-19 है।

(च एवं छ) यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है।

73. श्री भरत सिंहः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में मिट्टी के तेल के बदले कोई राशि कार्डधारकों को देने की योजना विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, और

(ख) जिन क्षेत्रों में एक राशन की दुकान पर 2000 व 2500 कार्ड हो गए हैं वहां पर नई दुकान खुलवाने की क्या नीति है तथा इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं। वर्तमान में कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के अंतर्गत बीपीएल, एएवाई एवं जेआरसी श्रेणी के चालू कार्डो पर फ्री गैस कनेक्शन वितरित कि जा रहे हैं तथा केश राशि देने की वर्तमान में कोई योजना नहीं हैं। कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलिंडर, दो बर्नर चुल्हा, रेगूलेटर, सुरक्षा पाईप एवं नीली किताब मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान समय में राशन की दुकानों पर 1000 कार्ड से अधिक होने पर इनका कार्डधारियों की सुविधा के अनुसार रेशनाईजलेशन कर दिया जाता है। यदि फिर भी किसी दुकान पर कार्डो की संख्या 1000 से अधिक रहती है तो उस क्षेत्र में

नई दुकान खोलने की अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होने के तीन माह के अंदर नई दुकान का आबंटन कर दिया जाता है।

74. श्री अनिल झाः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किराडी विधानसभा में कुल कितने लाल कार्ड धारी नामित हैं, लाल कार्ड बीपीएल कार्डधारक को कितना अनाज और तेल उपलब्ध करवाया जाता है?

(ख) किराडी विधानसभा में कितने लोगों को बीपीएल कार्ड धारक गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है? विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें,

(ग) अन्नश्री योजना में किन एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त धारक का चयन किया गया, उसकी पात्रता क्या थी? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन परिवारों या नागरिक को अन्नश्री का लाभ मिल रहा है वह उसके योग्य है या नहीं? अन्नश्री योजना हेतु जिस एजेंसी को कार्य दिया गया उसका सर्वे करने हेतु क्या काई और आधार था? विस्तृत ब्यौरा देने का कष्ट करें, और

(घ) किराडी विधानसभा क्षेत्र में नए राशन की दुकानें खोलने हेतु पिछले तीन वर्षो में क्या-क्या कदम उठाए गए, नए राशन की दुकानें हेतु विभाग कि उदासीनता का कारण क्या है?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) किराडी विधानसभा में 1197 लाल कार्ड धारी नामित है। लाल कार्ड बीपीएल कार्डधारक को दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित मात्रा एवं मुल्य पर अनाज और तेल उपलब्ध करवाया जाता है-

वस्तुएं	*मात्रा*	*मुल्य (प्रति किलो/लीटर)*
गेहूं	25 किलो	02:00 रुपये
चावल	10 किलो	03:00 रुपये
चीनी	06 किलो	13:50 रुपये
मिट्टी का तेल	12:50 लीटर	14:79 रुपये

(ख) अभी केवल गैस के आवेदन ही लिए जा रहे है अभी किसी को गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(ग) दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड- अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड- कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/

गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) किराडी विधानसभा में 06 नई राशन की दुकानें खोलने हेतु अनुमोदन हो चुका है जिसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

75. श्री जय किशनः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सुल्तान पुरी और मंगोल पुरी के बीच स्थिति सप्लीमेंट्री ड्रेन पर पुल बनाने की योजना थी,

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब से शुरु होगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां, यह सत्य है। सुल्तानपुरी और मंगोल पुरी के बीच स्थित सप्लीमेंट्री ड्रेन की आर.डी. 21000 मी. पर पुल बनाने की योजना है। इस पुल को बनाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्राप्त हो गयी थी।

(ख) नए प्रस्तावित पुल के साथ वाले मच्छी बाजार के पास स्थित आर.डी. 21260 मी. में पुल के पियर कैप्स में हल्की दरार आने के कारण इस पर केवल हल्के वाहन ही चलाए जा रहे हैं। इस पुल में दरार आने के कारणों की जांच केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई) द्वारा की जा चुकी है अतः इस पुल के सुदृढीकरण का कार्य जल्दी ही शुरु किया जाएगा तथा कार्य को वर्ष 2013-14 में पुरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के सुदृढीकरण का कार्य होने के उपरांत आर.डी. 21000 मी. पर बने पुल का पुनर्निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आर.डी. 2100 मी. पर बना पुराना पुल ट्रैफिक डायवर्जन के उपयोग में लाया जा रहा है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

76. श्री धर्मदेव सोलंकीः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में तीन बडे नाले, एक पंखा रोड एवं दूसरा कैंट से सागरपुर, विकासपुरी, दशरथपुरी, विनय एन्कलेव होता हुआ एवं तीसरा पालम रेलवे लाइन से पालम मेन बाजार महावी एन्कलेव होता हुआ नंदा ब्लाक तक गंदे नाले से जुडा हुआ है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक खुला नाला, पंखा रोड के साथ, को कवर करके रोड बनाया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या बचे हुए दोनों बडे नालों को कवर करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां, यह सत्य है। नाले के कुछ हिस्से (लम्बाई) को कवर करके सडक बनाने का कार्य एम.सी.डी. द्वारा किया जा रहा है।

(ग) माननीय उपराज्यपाल महोदय के पत्र दिनांक 09.02.2010 के आदेशानुसार किसी भी नाले को कवर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

77. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ नाले के दाई और स्थित रघुबीर नगर पुल से बाहरी रिंग रोड की और जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही थी और इस सडक पर सधन कारपेटिंग भी की जानी थी,

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा,

(ग) चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है, इसलिए रात्रि में साफ देखने के लिए यहां रोड लाइटस की अत्यंत आवश्यकता है, और

(घ) इस महत्वपूर्ण लिंक पर रोड लाइट कब तक लगवा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस कार्य को दो माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग में लाइट लगाने की कोई योजना विधाराधीन नहीं है, क्योंकि सडकों पर लाइट लगाने का कार्य विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

78. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यो हेतु यमुना पार विकास बोर्ड द्वारा किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी तथा कब दी गई थी, पूरा विवरण दें।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभागीय अधिकारियों की निष्कृयता के कारण आज दिन तक इन योजनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है,

(ग) यदि हां तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) यमुना विकास बोर्ड की 50 वीं बैठक जो दिनांक 26.06.12 को संपन्न हुई थी उसके अन्तर्गत करवाल नगर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कुल आठ योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। जिनका विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ग) कुल आठ योजनाओं में से 06 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिनके एस्टीमेट स्वीकृति करने के बाद निविदाये आमंत्रित कर ये कार्य आरंभ किये जायेंगे। शेष 02 योजनाओं में से एक योजना कोर्ट केस की वजह से स्वीकृत नहीं की गयी तथा एक योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अभी विस्तृत जांच की जा रही है।

(घ) जिन 06 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनको पूरा करने का लक्ष्य सूची क में दर्शाया गया है।

79. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा के अनतर्गत सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा विकास कार्य करने हेतू टेंडर लागने के लिये चिन्हित किया गया है,

(ख) यदि हां तो ऐसी कुल कितनी योजनायें बनाई गई व किस-किस कालोनी की है, पूरा विवरण दें,

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण है, तथा

(घ) यहां विकास कार्य कब तक शुरु कर दिये जायेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) योजनाओं का पूर्ण विवरण सूची क में संलग्न है।

(ग) कुल 30 योजनाओं में से 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया चुका है, 12 कार्य प्रगति पर है, 01 कार्य जिसमें 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अभी कोर्ट स्टे के आदेश पर रुका हुआ है तथा 8 योजनाएं जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इन योजनाओं के एस्टीमेंट स्वीकृत होने के बाद जल्द ही निविदायें आमंत्रित की जायेगी। शेष 3 योजनाओं में से एक योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कोर्ट केस की वजह से नहीं दी गई व दो योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु जांच की जा रही है।

(घ) जिन योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी निविदाये आमंत्रित करने के पश्चात कार्य शुरु कर दिये जायेंगे।

LIST OF SCHIEME OF KARAWAL NAGAR CONSTITUENCY

M.L.A. MOHAN SINGH BISTH Question no.79

S.No.	Name of Scheme	Estimate Cost	Likely Dated of Completion	Present Status
1.	Beautification of shank at RD. 1950m of L.F. Bound adjoining Sonia Vihar (TYADB)	56.00	07.11.13	Work in progress
2.	Improvement of Sabhapur road and construction of side drain joining L.F Bund and S.M Bund after demolishing existing drain (TYADB)	137.76	01.03.13	Work in progress
3.	Beautification of shank at RD. 5222m of L.M Bound (TYADB)	26.00	13.02.13	Work in progress
4.	Development of street pavement and side drain from street No. 12 to 21 of Shaheed Bhagat Singh Colony in Karawal Nagar Constituency	51.95	03.08.12	Work completed
5.	Improvement of Sadatpur and its side drains from RD. 2500m to RD. 3165m in Karawal Nagar Constituency	128.24	05.12.11	Work completed

6.	Development of street pavement side drains in A-B Block of Paschim Karawal Nagar in Karawal Nagar Constituency	84.37	10.10.11	Work Completed
7.	Development of street pavement and side drains of left out street between No. 1 to street No.23 of Shaheed Bhagat Singh Colony in karawal Nagar	116.84	28.10.11	Work Completed
8.	Restoration of road and construction of side drains os Kamal Vihar externsion in Karawal Nagar Constituency	95.05	10.09.12	Work in Progress
9.	Development of street pavement and side drains in left out galis and cuts of Karawal Nagar extension of Karawal Nagar Constituency	184.02	06.05.13	Work in Progress
10.	Development of street pavement and side drains in Mukund Vihar of Karawal Nagar Constituency	194.05	15.01.13	Work in progress
11.	Development of street pavement and side drains in West Sadatpur extension of Karawal Nagar Constituency	141.60	15.02.13	Work in progress
12.	Construction of single storey Panchayat Ghar in village Badarpur Khadar in Shahdra Block Distt. North East	144.76	12.03.13	Work in progress

13.	Construction of RCC box culvert at RD. 2180m of relief drain from ramp and road to Sania Vihar colony along CRPF boundary wall.	68.00	29.10.11	Work in progress
14.	Construction of Dhalao near RD. 2400m of bond drain in Karawal Nagar Constituency.	36.87	31.03.13	Work in progress
15.	Construction of RCC culvert near RD. 1900m of Karawal Nagar drain for joining Kamal Vihar and Ankur Vihar	54.00	25.12.12	Work in progress
16.	Construction of foot-over bridge cross the 2 No. DJB pipe lines at RD. 2770m of escape drain No. 1 and development of left bank between RD 2770 and RD. 2975m	24.12	19.01.13	Work in progress
17.	Supplying and fixing of swaged pole on L/B of Karawal Nagar drain from RD. 0m to R.D. 1720m	30.85	30.11.12	Work completed on Labour contract
18.	Construction of one no Kitchen and Electrification of double storey chaupal at village Tukhmirpur in Karawal Nagar Constituency	7.25	30.12.12	Work in progress
19.	Demolishing and reconstruction of Harijan Chaupal at village Khajuri Khas in Karawal Nagar A.C.70	37.50	15.03.13	Work in progress

20.	Improvement of Chauhan patti village road connecting of L.F. Bund to Sabhapur village road	89.02	30.04.13	A/A & E/S received on 09.11.12
21.	Improvement of link road from RD 3800m to main road Sabhapur village and road from Hanuman Temple to main road via K.D. School L/C construction of side drain at Sabhapur extension Delhi.	84.90	15.06.13	A/S & E/S received on 19.11.12
22.	Beautification of Shank at RD. 800m of L.F Bund adjoining Sonia Vihar	108.00	30.07.13	A/A & E/S received on 30.11.12
23.	Development of street pavement and side drain F-Block Kajuri Khas in Karawal Nagar A.C	124.15	31.03.13	A/A & E/S received on 30.11.12
24.	Construction of foot bridge for crossing the DJB Lines at RD. 60m of escape drain No.1	42.49	30.08.13	A/A & E/S received
25.	Construction of road and retaining wall on L/S bank of escape drain No. 1 from RD. 2230m to RD. 2580m	242.41	-	A/A & E/S pending due to administrative and expenditure scrutiny
26.	Construction of Dhalao on R/B of Karawal Nagar drain in the U/s of Shiv ViharPuliya near RD.350m	59.42	15.10.13	A/A & E/S received
27.	Construction of double storey chaupal at village Sherpur in Karawal Nagar Constituency.	124.08	31.03.13	A/A & E/S received

28.	Demolishing of domaged R.R masonary wall and construction of 1metre high brick wall on river side on top edge of L.f. Bund between RD. 0m to RD. 5750m	128.00	30.09.13	A/A & E/S received on 19.11.12
29.	Development of street pavement and sede drains in Kamal Vihar colony in Karawal Nagar Constituency	166.00	-	A/A & E/S pending due to administrative and expenditure scrutiny
30.	Improvement of Sabhapur road connecting to RD. 3300m of L.F Bund to Sabhapur village road	127.26	-	A/A & E/S pending due to court case

80. श्री ओ.पी बब्बरः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि आई टी आई बिल्डिंग, तिलक नगर, नई दिल्ली-18 में विभिन्न कार्य करने हेतु रु. 24,10,500 का आबंटन किया गया था यद्यपि रु. 16,22,200 खर्च हो चुके हैं परंतु अभी भी रु. 7,88,300 का उपयोग किया जाना बाकी है;

(ख) इस आबंटित राशि को बचे हुए आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कम्प्यूटर, टैक्सटाइल डिजाइनिंग के कमरों के फर्श के रख रखाव एवं भवन की सामान्य मरम्मत/रखरखाव के लिए लागत का अनुमान लगाया गया था;

(घ) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि आई टी आई की इस जर्जर इमारत के स्थान पर एक स्थाई इमारत बनाने एवं इमारत में दुमंजिला एस पी एस प्रदान करने का प्रस्ताव लाया गया था; और

(च) यदि हाँ, तो इस की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां, शेष राशि 7,88,300 के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्र व्यवहार चल रहा है तथा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संबंधित शेष कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं।

(ख) इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अनुरोध किया जा चुका है।

(ग) कम्प्यूटर, टैक्सटाइल डिजाइनिंग के कमरों के फर्श के रख रखाव एवं भवन की सामान्य मरम्मत/रखरखाव से संबंधित कार्य का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर कर चुके हैं तथा संबंधित विभाग से आश्वासन मिला है कि वे इसकी लागत का अनुमान शीघ्रातिशीघ्र भेज देंगे।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड़) लोक निर्माण विभाग को यह आवेदन किया गया है कि वह एस पी एस के लिए इस संस्थान का निरीक्षण करें और लागत का अनुमान भेजें।

(च) उपरोक्तानुसार।

81. श्री श्री कृष्ण त्यागी: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि अगर ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध हो तो सरकार कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकती है; और

(ख) इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए क्या-क्या कार्यवाही जरुरी है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, बशर्ते कि जमीन की उपयोगिता की स्वीकृति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हो।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के दिशा निर्देशों के

अनुसार तथा परियोजना के दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है।

82. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि नन्द नगरी आई.टी.आई के परिसर में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीकी शिक्षा केन्द्र कब तक खोला जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त केन्द्र को खोलने के लिए भवन निर्माण कार्य समय पर शुरु नहीं किया गया;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार शीघ्र उक्त प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा केन्द्र को शीघ्र खुलवाने का प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो अब तक की कार्रवाई से अवगत करवाया जाए?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) पी.डब्लू.डी के द्वारा भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात तकनीकी संस्थान को संक्रियात्मक कर दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रयोजित (सी.एस.एस), परियोजना को बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम.एस.डी.पी) के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाना है। शुरुआत में इस बावत भवन निर्माण का कार्य पक्की संरचना प्रस्तावित था। तदोपरान्त स्थानीय निकायों द्वारा तय मापदण्डों के तहत निर्माण योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भवन दो मंजिला (अर्ध पक्के संरचना) का बना दिया जाए; परिणाम स्वरुप निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लोक निर्माण विभाग द्वारा 218 लाख से बढ़ाकर 294 लाख हो गई, इस कारण पुन: अनुमोदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अपेक्षित था। जिसकी स्वीकृति माह अक्टूबर 2012 में मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से वित्तीय अनुमति प्रतीक्षित है। कार्य का प्रारंभ मंत्रालय (केन्द्रीय सरकार) द्वारा वित्तीय अनुमति प्राप्त होने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा निधि विमोचन होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ड़) जी हां।

(च) उपरोक्त ''घ'' के अनुसार।

83. श्री जयभगवान अग्रवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि डीटीयू एक्ट की धारा-53 के अन्तर्गत माननीय उपराज्यपाल जी ने दिनांक 23.10.2012 को विभागाध्यक्ष की बाहली हेतु आदेश दिया था, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या डीटीयू के कुलपति ने इस आदेश को लागू कर दिया है, यदि नहीं तो क्या यह एक्ट की अवमानना नहीं है, और आदेश लागू न करने पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) शिक्षकों की पदोन्नती एवं प्रबंधन में भागीदारी हेतु डीटीयू के कलपति ने तकनीकी शिक्षा विभाग के किन-किन निर्देशों का पालन नहीं किया है, क्या इस संदर्भ में दिल्ली सरकार कुलपति के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, इस संदर्भ में माननीय उपराज्यपाल जी को स्पष्टीकरण देते हुए, कुलपति द्वारा पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) शिक्षकों की पदोन्नती के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आदेशों को पालन किया जा चुका है प्रभावी तिथि के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही शीघ्र कर दी जाएगी।

84. श्री भरत सिंहः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नजफगढ़ में पिछले चार साल में कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं व कौन-कौन से संस्थान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खोले गए हैं,

(ख) क्या यह सत्य है कि रोशनपुरा में उच्च शिक्षा के लिए भूमि अधिगृहित की गई थी लेकिन उस जमीन पर अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक स्वीकृत हो जाएगी, और

(घ) क्या नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई योजना विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) पिछले चार वर्षो में नजफगढ़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। परंतु यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भगिनी निवेदिता महाविधालय की नई इमारत कैर (नजफगढ़ के समीप) में प्रस्तावित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्त (क) के अनुसार।

85. श्री सतप्रकाश राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली विश्वविधालय में वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थी हैं और इनमें कुल कितनी सीटें ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं और कुल कितने ओ बी सी विद्यार्थी हैं,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के जाटों को भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ओ. बी.सी कोटे में दाखिल किया जा रहा हैं,

(ग) यदि नहीं, तो क्यों, और

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज अनुसार या विभागानुसार कुल कितने शिक्षकों की कमी है और इस सभी को कब तक पूरा किया जाएगा और इनमें ओ.बी.सी. कोटे की कुल कितनी नियुक्तियां की आयेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क से घ तक) दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना मांगी गई है।

86. श्री अरविन्द सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि देवली विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा देवली विधान सभा में कोई कॉलेज खोलने की योजना बना रही है,

(ग) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, और

(घ) देवली विधानसभा की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कब तक सरकार यहां पर कॉलेज खोल देगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) 1. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कोई भी महाविधालय देवली विधानसभा क्षेत्र में नहीं है।

2. इस संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय से भी सूचना मांगी गई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

87. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि व्यवसायिक कोर्स के उत्थान एवं सीटों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों एवं प्राईवेट स्कूलों में बी.एड, एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी.बी.एड, अन्य व्यवसायिक कोर्स की सायंकालीन कक्षाएं चलाने को कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरु कर दिया जाएगा एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

88. श्री कुलवंत राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार व दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल कितने महाविद्यालय हैं,

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों की संख्या कितनी हैं और वह कहाँ-कहाँ स्थित है,

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और वह कहां-कहां स्थित है,

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जनसंख्या के अनुपात में महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम है और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार एक भी महाविद्यालय नहीं खोल पाई,

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की रोहिणी एक बहुत बड़ी आवासीय कॉलोनी है और इतनी बड़ी आबादी वाली कॉलोनी में एक भी कॉलेज नहीं है,

(च) क्या यह भी सत्य है कि पिछले 14 वर्षा से रोहिणी के निवासियों को प्रति उच्च शिक्षा के संबंध में दिल्ली सरकार व उच्च शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है,

(छ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से महाविद्यालयों के लिए भू-खण्ड प्राप्त किए हैं, यदि हां, तो वह कहां-कहां पर स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल क्या हैं, और

(ज) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त भू-खण्डों पर महाविद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं और उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है, पूर्ण विवरण दें।

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार के 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 12 है। शेष के बारें में सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगी गई है।

(ख) इस संबंध में सूचना दिल्ली विश्वविधालय से मांगी गई है।

(ग) इस संदर्भ में सूचना परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(घ) दिल्ली सरकार ने गत वर्षो में तीन नये विश्वविद्यालय खोले हैं। जिनके नाम इस प्रकार है;

(1) गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

(2) भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(3) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

(ड़) दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 02 महाविद्यालयों की नई इमारतें प्रस्तावित है और भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नई ईमारत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) जी नहीं।

(छ एवं ज) दिल्ली सरकार/उच्च शिक्षा निदेशालय को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भूखंडों का आवंटन किया गया है, उनकी विवरण सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

89. श्री भरत सिंह: क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं?

(ख) पिछले चार सालों में कितने नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए?

(ग) इस क्षेत्र में नए ऑगनवाडी केन्द्र खोलने की कोई योजना विचारधीन है?

(घ) यदि हां, तो कब तक, पूर्ण विवरण दें?

शिक्षा मंत्री जी:

(क) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं के अंर्तगत 131 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) पिछले चार सालों में 61 नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए।

(ग) यदि किसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हौ तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।

90. सतप्रकाश राणाः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली में वर्तमान में लाड़ली योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं,

(ख) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में लाड़ली योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन विभाग के पास जमा हुए हैं नाम व पते सहित पूरी जानकारी क्या है, और

(ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी लड़कियों को 18 वर्ष की आयू पूरी होने के बाद पैसे मिल चुके हैं या दिए जाने हैं, नाम, पता व राशि सहित पूरी जानकारी क्या है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) दिल्ली में वर्तमान में लाड़ली योजना के अंतर्गत लगभग पांच लाख बीस हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) लाड़ली योजना के अंतर्गत आंकड़े जिला स्तर पर रखे जाते हैं 1 विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं रखे जाते। विजवासन विधान सभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम जिला के अंतर्गत आता है। उस जिले में 2012-13 में कुल 9100 फार्म जमा हुए हैं।

(ग) जिला दक्षिण-पश्चिम में वर्ष 2011-12 में 1076 बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर पैसे मिल चुके हैं।

91. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि मुद्रा स्फिति के कारण विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन की क्रय क्षमता में कमी हो गई है,

(ख) क्या बेसहारा/विधवा महिलाओं को दी जाने वाली इस पेंशन को दिल्ली के मूल्य सूचकांक जो कि शिमला स्थित ब्यूरों द्वारा तैयार किया जाता है, से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बेसहारा/विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन एवं विधवाओं की बेटी की शादी के समय वितीय सहायता प्रदान की जाती है परंतु बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए कोई वितीय सहायता नहीं दी जाती, और

(घ) क्या बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए वितीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है?

समाज कल्याण मंत्री जीः

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग एवं घ) सरकार ने 01.04.2012 से बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए भी 300000 रुपए की वितीय सहायता देने का प्रावधान कर दिया है।

92. श्री साहब सिंह चौहानः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली में सरकार के द्वारा महिला एवं बाल संबंधी क्या-क्या योजना चलाई जा रही है,

(ख) उक्त प्रत्येक योजना में क्या-क्या सुविधाएं हैं तथा प्रत्येक योजना की औपचारिकताएं क्या हैं,

(ग) पिछले 10 वर्षो में अब तक प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक योजना में कितने-कितने धन की व्यवस्था व मांग की गई तथा खर्च कितना-कितना हुआ, उसका ब्यौरा क्या हैं, और

(घ) उक्त योजनाओं को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं व कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री जीः

(क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रु. प्रतिमाह पेंशन योजना।
2. विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30000 रुपये एक मुफ्त राशि देने की योजना।
3. लाड़ली योजना।
4. प्रियदर्शनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विशवास नगर, दिल्ली।
5. महिला कार्य केन्द्र।
6. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की ''घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005'' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली अतंर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त किए गए हैं।
7. दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है।
8. दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।
9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम गृह।
10. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।
11. आवाज उठाओं। इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं।

1. निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।

2. अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़ नई दिल्ली।

4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली। बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. महिलाएवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं।

2. 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं।

4. समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10615 आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ख) औपचारिकताएं एवं सुविधाएं योजना अनुसार पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) विभागीय योजनाओं को प्रमोट करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार किया जाता है।

93. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि अविवाहित महिलाएं जिनकी उम्र तकरीबन पैन्तीस से चालीस साल हो गई है, और उनकी शादी नहीं हो पाई, क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने के लिए कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, इसकी जानकारी दी जाए, और

(ग) ऐसी किसी अविवाहित महिला के पिता की मृत्यु हो गई हो, और अविवाहित महिला की माता जीवित हो, तो क्या उसको भी पेंशन देने का प्रावधान है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

(ग) जी, नहीं।

94. श्री ओ.पी बब्बर: क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि डी एस आई डी सी शैड, तिलक विहार की सीवर/ड्रेनेज प्रणाली बिल्कुल चरमरा/ध्वस्त हो चुकी है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्षा के दिनों में आंतरित सीवर/ड्रेनेज प्रणाली पूरी तरह ठप्प पड़ जाती है, जिससे शेडस के मालिकों/ उपभोक्ताओं को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है, और

(ग) शेड धारकों को तुरंत राहत पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री जी:

(क) यह सत्य नहीं है कि सीवर एवं ड्रेनेज प्रणाली चरमरा/ध्वस्थ हो चुकी है। कभी-कभार सीवर/ड्रेनेज के बहाव में रुकावट आती है। जिसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी शेड धारकों/अलॉटी एसोसिएशन की है।

(ख) उपरोक्त अनुसार। वर्षा के दिनों में सीवर जो कि ड्रेन से जुड़े नहीं होते, में कोई असर नहीं होना चाहिए। ड्रेन बारिश के दिनों में भर सकते हैं जब एम.सी.डी. की मुख्य ड्रेन में रुकावट आती है।

(ग) ये शेड out right sale basis पर आवंटिल किये गये थे, जिसमें रिपेयर व रख-रखाव की जिम्मेदारी अलॉटी वैलफेयर एसोसिएशन या शेड धारकों की है।

95. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली की अधिकृत प्रथम भाषा क्या है;

(ख) दिल्ली की द्वितीय-तृतीय एवं अन्य अधिकृत कौन-कौन सी भाषाएं हैं;

(ग) विभिन्न भाषाओं की अकादमियों कौन-कौन सी है तथा उनके कार्य, उद्देश्य व लक्ष्य क्या है;

(घ) विभिन्न अकादमियों का प्रत्येक वर्षानुसार पिछले 10 वर्षो में कितना-कितना बजट रखा गया गया, खर्च हुआ,

(ड) विभिन्न अकादमियों द्वारा उक्त वर्षो में किये गये कवि सम्मलनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त कार्य में विधायकों की कोई भूमिका हैं?

शिक्षा मंत्री जीः

(क) दिल्ली की अधिकृत भाषा हिन्दी है।

(ख) दिल्ली की दूसरी अधिकृत भाषा का दर्जा उर्दू व पंजाबी को प्राप्त है।

(ग) विभिन्न भाषाओं की अकादमियों हिन्दी, उर्दू पंजाबी, सिंधी, संस्कृत एवं मैथिली-भोजपुरी हैं। इनके कार्य, उद्देश्य व लक्ष्य संबंधित भाषाओं का प्रचार-प्रसार करना है।

(घ) प्रति संलग्न पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ङ) प्रति संलग्न पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(च) उक्त कार्य में विधायकों को अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जाता है। माननीय विधायक, शैक्षिक संस्थान इत्यादि के अनुरोध पर भी कार्यक्रम किये जाते हैं।

96. श्री अरविन्दर सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से कितने सैम्पल लिये गये?

(ख) इनमें से कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गयी एवं दोषी पाये गये प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या विभाग द्वारा दूध, खोया, पनीर आदि के भी नमूने उठाये गये हैं, यदि हां, तो कहां-कहां से एवं कितने नमूने सही पाये गये और

(घ) देवली विधान सभा क्षेत्र में कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गयी एवं कितने विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) दिल्ली में त्यौहार को दृष्टि में रखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 451 सेम्पल लिए।

(ख) इनमें से 79 सैम्पलों में खाद्य सुरक्षा नियम और अधिनियम का उल्लधंन पाया गया। जिसकी सूची ''क'' संलग्न है। दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा नियम और अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय छानबीन के पूरा होने पर संबंधित न्यायालयों में मुकदमा दायर किया जाएगा।

(ग) जी हां। त्यौहार को दृष्टि में रखते हुए 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभाग ने दूध, खोया, पनीर आदि के 71 नमूने उठाए गए जिसकी सूची ''ख'' पुस्तकालय में उपलब्ध है। इनमें से 69 नमूने सही पाए गए।

(घ) देवली विधान सभा क्षेत्र से 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभाग द्वारा उठाए गए सैम्पलों में कोई मिलावट नहीं पायी गयी।